खण्ड–516, अंक–03
शुक्रवार, 26 अग्रहायण, शक संवत् 1943
(17 दिसम्बर, 2021 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, चतुर्थ सत्र, वर्ष 2021)

(खण्ड 516 में 03 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम नगीना मिश्र के निधन पर शोकोद्‌गार	7
प्रश्नोत्तर	7-19
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन संख्या 04 वर्ष 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन संख्या 03 वर्ष 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन संख्या 05 वर्ष 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन संख्या 06 वर्ष 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	20
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त खण्ड-1 वर्ष 2019-2020 एवं खण्ड-2 वर्ष 2019-2020 तथा विनियोग लेखे 2019-2020 (सदन के पटल पर रखा गया)	20
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का 20वां प्रतिवेदन...	20
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का 21वां प्रतिवेदन...	20-21
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का 22वां प्रतिवेदन...	21
श्री असलम अली, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका	21
श्री आजाद अरिमर्दन, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित 03 याचिकायें	21-22
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकायें	22
श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 04 याचिकायें	22
श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकायें	23

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 02 याचिकायें	23
श्री प्रतिभा शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 34 याचिकायें	24-27
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	27-29
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में जे0पी0 ग्रुप द्वारा भूमि अधिग्रहण के समय किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें... ...	29-30
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में बस अड्डे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें... ...	30
जनपद मेरठ के विभिन्न गाँवों से होकर गुजरने वाली काली नदी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ...	30
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत दिल्ली-मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर गजरौला में रौनक फैक्ट्री के सामने अण्डर पास बनाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	30-31
जनपद मथुरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा हुए कतिपय कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ...	31
जनपद उन्नाव के तहसील बाँगरमऊ अन्तर्गत कतिपय ग्रामों की चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें... ...	31-32
जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला अन्तर्गत ग्राम औना में शौचालय निर्माण में हुई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	32
सचिवालय कालोनी महानगर में आवास की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	32-33
जनपद झाँसी में बेतवा नदी पर लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	33
जनपद बरेली के अन्तर्गत नगर पंचायत धौराटांडा की कान्हा गौशाला की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ...	33-34
जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के विकास खण्ड जैतीपुर अन्तर्गत निर्मित पशु चिकित्सालय के निर्माण कार्य की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें...	34

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बनीकोडर अन्तर्गत मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य समय से पूर्ण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	34
जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत कतिपय गौसदन, मधवलिया, निचलौल के 500 एकड़ जमीन को भाड़े पर किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	34-35
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम बाबूपुर में राजकीय हाईस्कूल का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	35
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ...	35-36
प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय किस्त निर्गत किये जाने तथा पात्र व्यक्तियों को जी0ओ0 टैग की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	36-37
जनपद बलिया के आदर्श नगर पालिका रसड़ा के वार्ड नं0-1 में जल जमाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ...	37
प्रदेश के नियोजन विभाग में डॉ0 सतवीर सिंह, संयुक्त निदेशक मूल्यांकन प्रभाग द्वारा की गयी अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	37-38
जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड बलियाखेड़ी में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	38
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सांगीपुर के राजस्व ग्राम रामनगर कोल में सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	38-39
जनपद सहारनपुर के कस्बा सरसावा के अन्तर्गत हो रहे अवैध निर्माण पर तत्काल रोक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें...	39
जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला के अन्तर्गत भगवान बुद्ध इंटर कालेज की आराजी का सीमांकन एवं बाउण्ड्रीवाल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	40
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत नगीना-नहटौर मार्ग पर से ग्राम ज्ञानपुर से पखनपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	40

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में सहारा इंडिया ग्रुप एवं पी0ए0सी0एल0 में जमाकर्ताओं के पैसे वापस दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ...	40-42
प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	42
जनपद अयोध्या के विकास खण्ड रुदौली अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लाभार्थियों को आवास न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	42
जनपद अमेठी के विकास खण्ड अमेठी के अन्तर्गत अमेठी-किठावार मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ...	43
जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम सभा बिहलोलपुर में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	43
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज में आक्सीजन प्लांट चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	43-44
जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन अन्तर्गत अंजली धर्मकांटा से उच्चतर प्राथमिक विद्यालय तक का मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	44
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय को मेडिकल कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	44-45
जनपद कुशीनगर के तहसील पडरौना में स्थित गाटा संख्या 600/0.26 के स्थानीय प्रशासन तथा शासन से निराकरण/आदेश पारित करने के बाद भी अनुतोष नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	45
आगरा में तैनात जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें... ...	45-46
जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ अन्तर्गत स्थापित राजकीय नलकूप संख्या-48 को रि-बोर कर नये सिरे से चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	46-47
जनपद उन्नाव के खण्ड विकास अधिकारी मियांगंज द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ...	47

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ के मलिहाबाद में तैनात कानूनगो द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ...	47-48
उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को अन्य पड़ोसी प्रदेशों से महंगी बिजली मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ...	48
जनपद श्रावस्ती के खाद, बीज दुकानदारों का ज्वाइन्ट डायरेक्टर एवं अन्य कर्मचारी द्वारा शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	48-49
सहारा ग्रुप की दो कम्पनियों से निवेशकों से पैसे वापस कराने की मांग ...	49
वित्तीय वर्ष 2021-2022 की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा ...	49-66
सेन्ट्रल कैफेटेरिया में मा0 अध्यक्ष की ओर से सभी सदस्यों के लिए मध्यान्ह भोज की व्यवस्था	66
कोरोना काल में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के रोके गये नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता एवं अन्य भत्तों की बहाली की मांग... ...	67
मा0 अध्यक्ष द्वारा दलीय नेताओं के भाषण हेतु 10 मिनट के समय निर्धारण की सूचना	67-92
द्वितीय अनुपूरक 2021-2022 की अनुदान संख्या 09, 22, 58, 76, 78 लगायत 80, 86 तथा 92	92-94
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक 2021 (पारित)	94-104
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के माह अप्रैल से जुलाई तक के लिए लेखा अनुदान (पारित)	104-105
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण) ...	105
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक 2021 (पारित) ...	105-115
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	115-118
सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (पारित)	118
सत्रहवीं विधान सभा के अन्तिम सत्र के समापन के पूर्व दलीय नेताओं द्वारा आभार	119-136

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-343

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — प्रयागराज
3. अजय कुमार लल्लू,श्री — कुशीनगर
4. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
5. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
6. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
7. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
8. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
9. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
10. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
11. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
12. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
13. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
14. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
15. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
16. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
19. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
20. अमन मणि त्रिपाठी — महाराजगंज
21. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
22. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
23. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
24. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
25. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
26. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
27. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
28. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
29. अवधेश सिंह, प्रो0 (डॉ0) — वाराणसी
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
31. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
32. असलम अली, श्री — हापुड़
33. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
34. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
35. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
36. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
37. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
40. आशुतोष उपाध्याय श्री — देवरिया
41. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
42. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
43. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
44. उज्जवल रमण सिंह, श्री — प्रयागराज
45. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
46. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
47. उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री — कानपुर नगर
48. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
49. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
50. उषा सिरोही, श्रीमती — बुलन्दशहर
51. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
52. ओमकुमार, श्री — बिजनौर

53. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
54. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
55. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
56. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
57. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
58. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
59. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
60. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
61. काली प्रसाद, श्री देवरिया
62. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
63. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
64. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
65. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
67. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
68. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
69. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
70. गंगा, श्री कुशीनगर
71. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
72. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
73. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
74. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
75. गौरी शंकर, श्री जालौन
76. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
77. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
78. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
79. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
80. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 प्रयागराज
81. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
82. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
83. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
84. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
85. जयमंगल, श्री महाराजगंज
86. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
87. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
88. जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
89. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
90. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
91. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
92. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
93. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
94. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
95. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
96. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
97. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
98. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
99. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
100. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
101. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
102. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
103. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
104. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
105. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
106. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
107. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
108. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
109. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
110. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
111. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
112. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
113. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
114. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
115. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
116. नन्द गोपाल गुप्ता, नन्दी, श्री प्रयागराज
117. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़

118. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
119. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
120. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
121. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
122. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
123. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
124. नाहिद हसन, श्री शामली
125. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
126. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
127. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
128. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
129. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
130. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
131. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
132. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
133. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
134. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
135. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
136. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
137. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
138. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
139. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
140. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
141. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
142. प्रवीण कुमार सिंह प्रयागराज
143. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
144. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
145. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
146. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
147. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
148. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
149. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
150. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
151. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
152. बाबा गोरखनाथ, श्री अयोध्या
153. बावन सिंह, श्री गोण्डा
154. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
155. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
156. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
157. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
158. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
159. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
160. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
161. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
162. बृजेश श्री सहारनपुर
163. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
164. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
165. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
166. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
167. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
168. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
169. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
170. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
171. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
172. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
173. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
174. महबूब अली, श्री अमरोहा
175. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
176. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
177. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
178. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
179. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
180. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
181. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
182. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
183. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन

184. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री प्रयागराज
185. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
186. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
187. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
188. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
189. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
190. योगेश धामा, श्री बागपत
191. योगेश वर्मा, श्री खीरी
192. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
193. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
194. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
195. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
196. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
197. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
198. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
199. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
200. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
201. रवि शर्मा, श्री झांसी
202. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
203. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
204. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
205. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
206. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
207. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
208. राज करन कबीर, श्री बांदा
209. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
210. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
211. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
212. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
213. राजबाला, श्रीमती रामपुर
214. राजमणि कोल, श्री प्रयागराज
215. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
216. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
217. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
218. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
219. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
220. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
221. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
222. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
223. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
224. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
225. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
226. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
227. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
228. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
229. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
230. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
231. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
232. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
233. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
234. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
235. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
236. लकी यादव, श्री जौनपुर
237. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
238. लाखन सिंह, श्री औरैया
239. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
240. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
241. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
242. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
243. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
244. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
245. विक्रमाजीत मौर्य, श्री प्रयागराज
246. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
247. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
248. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा

249. विनय शाक्य, श्री — औरैया
250. विनोद सरोज, श्री — प्रतापगढ़
251. विनोद कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
252. विपिन कुमार 'डेविड', श्री — एटा
253. विपिन सिंह, श्री — गोरखपुर
254. विमलेश पासवान, डा0 — गोरखपुर
255. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री — गाजीपुर
256. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस — शाहजहांपुर
257. वीरेन्द्र, श्री — एटा
258. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री — अयोध्या
259. शरद कुमार अवस्थी, श्री — बाराबंकी
260. शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
261. शशांक वर्मा, श्री — खीरी
262. शशांक त्रिवेदी, श्री — सीतापुर
263. शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
264. शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
265. शीतल पाण्डेय, श्री — गोरखपुर
266. शीतला प्रसाद ''पप्पु पटेल'', श्री — कौशाम्बी
267. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती — मिर्जापुर
268. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री — जौनपुर
269. शैलेश कुमार सिंह शैलू, श्री — बलरामपुर
270. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती — अयोध्या
271. श्याम धनी, श्री — सिद्धार्थनगर
272. श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
273. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 — बरेली
274. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
275. श्रीकान्त कटियार, श्री — उन्नाव
276. श्रीकान्त शर्मा, श्री — मथुरा
277. श्रीराम चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
278. श्रीराम सोनकर, श्री — मऊ
279. संग्राम यादव, डॉ0 — आजमगढ़
280. संगीत सिंह सोम, श्री — मेरठ
281. संगीता चौहान, श्रीमती — अमरोहा
282. संगीता बलवन्त, डा0 — गाजीपुर
283. संगीता यादव, श्रीमती — गोरखपुर
284. संजय, श्री — बुलन्दशहर
285. संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
286. संजय प्रताप जायसवाल, श्री — बस्ती
287. संजय यादव, श्री — बलिया
288. संजय सिंह गंगवार, श्री — पीलीभीत
289. संजीव कुमार दिवाकर, श्री — एटा
290. संजीव राजा, श्री — अलीगढ़
291. संदीप कुमार सिंह, श्री — अलीगढ़
292. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री — बाराबंकी
293. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 — सिद्धार्थनगर
294. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री — कासगंज
295. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री — मेरठ
296. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, डॉ0 — देवरिया
297. सत्यवीर त्यागी, श्री — मेरठ
298. सन्त प्रसाद, श्री — गोरखपुर
299. सरोज सोनकर, श्रीमती — बहराइच
300. सरिता भदौरिया, श्रीमती — इटावा
301. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री — बागपत
302. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री — बाराबंकी
303. साधना सिंह, श्रीमती — चन्दौली
304. सावित्री कठेरिया, श्रीमती — इटावा
305. सीताराम वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
306. सुनीता, श्रीमती — गाजीपुर
307. सुनील कुमार शर्मा, श्री — गाजियाबाद
308. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर — फर्रुखाबाद
309. सुनील वर्मा, श्री — सीतापुर
310. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री — बहराइच
311. सुभाष पासी, श्री — गाजीपुर
312. सुभाष राय, श्री — अम्बेडकरनगर
313. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री — बलिया
314. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री — वाराणसी

315. सुरेन्द्र मैथानी, श्री	कानपुर नगर	330. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री	कानपुर नगर
316. सुरेश कुमार, श्री	शामली	331. सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी
317. सुरेश कुमार, श्री	अमेठी	332. सौरभ सिंह, श्री	खीरी
318. सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	333. स्वाती सिंह, श्रीमती	लखनऊ
319. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	334. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
320. सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	335. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0	सीतापुर
321. सुरेश राही, श्री	सीतापुर	336. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी
322. सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	337. हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद
323. सुशान्त सिंह, कुँ0	बिजनौर	338. हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस
324. सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद	339. हरीराम, श्री	सोनभद्र
325. सुशील सिंह, कुँ0	चन्दौली	340. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर
326. सुषमा पटेल, श्रीमती	जौनपुर	341. हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
327. सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया	342. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा
328. सूर्यभान सिंह, श्री	सुल्तानपुर	343. हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव
329. सोवरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी		

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम नगीना मिश्र के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

आज एक सूचना पूर्व माननीय सदस्य के निधन की प्राप्त हुई है तो सबसे पहले उसी को लिये लेते हैं। मुझे आदरणीय सदन को एक दुःखद शोक की सूचना देनी है। आदरणीय सदन के माननीय सदस्य रहे श्री राम नगीना मिश्र जी का निधन 16 दिसम्बर, 2021 को हो गया। वह 94 वर्ष के थे और तमाम आंदोलनों में राजनीतिक प्रतिबद्ध एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में उनका काम यहाँ इस आदरणीय सदन में सराहनीय रहा है। वह अपने क्षेत्र के राजनीतिक ही नहीं सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। उन्होंने हर तरह से इस सदन की और जनता की सेवा की है। श्री मिश्र के निधन पर पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे आदरणीय सदन की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे। उनके शोक संतप्त परिवार को यह वज्राघात सहने की शक्ति भी दे, मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनायें उनके शोकाकुल परिवार तक पहुँचवा दूँगा। आइये उनकी स्मृति में खड़े होकर मौन धारण करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुये)

ओम शांति।

प्रश्नोत्तर†

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत चोरी, लाइन हानि एवं दुर्घटना आदि के मद्देनजर समस्त खुली विद्युत लाइनों को भूमिगत लाइन में परिवर्तित करने विषयक

***1-श्री मौहम्मद फईम इरफान-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत चोरी, लाइन हानि, दुर्घटना आदि के दृष्टिगत समस्त खुली विद्युत लाइनों को भूमिगत लाइन में परिवर्तित करने की योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

जी नहीं, खुली विद्युत लाइनों को भूमिगत लाइन में परिवर्तित करने का कार्य स्थलीय तथा तकनीकी आवश्यकतानुसार, योजना की स्वीकृति तथा धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

---

† नोट :- उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

प्रदेश में लॉकडाउन जनित परिस्थितियों के मद्देनजर विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया विद्युत बिलों में रियायत देने के सम्बन्ध में

***2-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लॉकडाउन जनित परिस्थितियों के दृष्टिगत विभिन्न विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत के बकाया बिलों में रियायत देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

प्रदेश में लॉकडाउन जनित परिस्थितियों के दृष्टिगत विभिन्न विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत के बकाया बिलों में पूर्व में रियायत दी गयी थी, जोकि निम्नवत् है :-

लॉकडाउन की अवधि में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं, जिनके द्वारा माह जुलाई, 2020 में निर्गत विद्युत बिलों की सम्पूर्ण धनराशि 31 जुलाई, 2020 तक जमा कर दी गयी थी, तो उन्हें उपभोग माह अप्रैल, 2020 (बिलिंग माह मई, 2020) की स्थगित फिक्स/डिमाण्ड चार्ज की धनराशि की सीमा तक छूट माह अगस्त, 2020 के बिल में दे दी गयी थी। फिक्स चार्ज के मद में भारत सरकार द्वारा रुपये 342.68 करोड़ की धनराशि वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं को उनके फिक्स चार्ज के मद में छूट देने हेतु अनुमन्य की गयी थी।

लॉकडाउन के कारण मार्च, 2020 से मई, 2020 के मध्य समस्त उपभोक्ताओं के बिलों की देय तिथि 31-05-2020 कर दी गयी थी जिसके कारण लॉकडाउन में उपभोक्ताओं द्वारा बिल न जमा करने पर बिल पर लगने वाले सरचार्ज की छूट दी गयी थी।

सम्पूर्ण प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतम 4 कि0वा0 तक के घरेलू उपभोक्ताओं हेतु आसान किस्त योजना लागू की गयी थी, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं के दिनांक 31-10-2019 तक के विद्युत बिलों की मूल धनराशि को शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम 12 किस्तों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकतम 24 किस्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी है। उपभोक्ता द्वारा मूल धनराशि के सभी मासिक किस्तों के भुगतान के साथ सभी मासिक बिलों को जमा करने के पश्चात् उनके 31-10-2019 तक के विलम्बित भुगतान अधिभार की धनराशि माफ करने की व्यवस्था की गयी थी।

उ0प्र0 में कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में उ0प्र0 के किसानों को किसान आसान किस्त योजना के अन्तर्गत उनके दिनांक 31-01-2020 तक के बकाये में सरचार्ज धनराशि के छूट की व्यवस्था की गयी थी, जिसकी पंजीकरण अवधि दिनांक 01-02-2020 से दिनांक 31-07-2020 तक थी। किसान आसान किस्त योजना के अन्तर्गत पंजीकृत किसानों को उनके कुल बकाये को 6 समान किस्तों में जमा करने की व्यवस्था की गयी थी। उपर्युक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 में स्थित एल0एम0वी0-2 (शहरी एवं ग्रामीण),

एल0एम0वी0-4 बी (निजी संस्थान) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक श्रेणी) के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को विलम्बित भुगतान अधिभार में 100 प्रतिशत छूट हेतु कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी थी। यह योजना दिनांक 15-12-2020 से 31-01-2021 तक लागू थी जिसमें उक्त श्रेणी के बकायेदारों का उनके दिनांक 30-11-2020 तक के विद्युत बकाया पर सरचार्ज के रूप में लगाई गई धनराशि में 100 प्रतिशत छूट का प्राविधान किया गया था।

वर्तमान में समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0-1 एवं एल0एम0वी0-5 तथा 5 कि0वा0 विद्युत भार तक के एल0एम0वी0-2 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के विलम्बित भुगतान अधिभार की छूट हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है, जो दिनांक 21-10-2021 से 15-12-2021 तक लागू है, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30-09-2021 तक के बकाया धनराशि में सरचार्ज की छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें एल0एम0वी0-1 (2 कि0वा0 भार तक के) एल0एम0वी0-2 (2 कि0वा0 भार तक के) एवं एल0एम0वी0-5 समस्त विद्युत भार को विलम्बित भुगतान अधिभार में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है एवं एल0एम0वी0-1 (2 कि0वा0 से अधिक विद्युत भार) एवं एल0एम0वी0-2 (2 कि0वा0 से अधिक परन्तु 5 कि0वा0 भार तक) के विद्युत उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट का प्रावधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों के निजी नलकूप की ऊंची विद्युत दरों को कम करने सम्बन्धी

***3-श्री नाहिद हसन**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों के निजी नलकूप की ऊंची विद्युत दरों को कम करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां, शासन द्वारा प्रदेश के किसानों के निजी नलकूपों की दरों को कम रखने हेतु शासकीय सहायिकी प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22 हेतु प्रदेश के किसानों के निजी नलकूपों (रूरल शिड्यूल) हेतु शासकीय सहायिकी रुपये 6198.00 करोड़ प्रदान की गयी। मा0 नियामक आयोग के टैरिफ आदेश में ग्रामीण क्षेत्र के अनमीटर्ड एवं मीटर्ड उपभोक्ताओं की मा0 आयोग द्वारा अनुमोदित औसत बिलिंग दर क्रमशः रुपये 1.22 एवं रुपये 2.54 है जो औसत आपूर्ति लागत रुपये 7.54 से क्रमशः 83.79 प्रतिशत तथा 66.33 प्रतिशत कम है। विभिन्न उपभोक्ता वर्गों हेतु लागू टैरिफ का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62, 64 एवं 86 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा विभिन्न उपभोक्ता/उपभोक्ता संगठनों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स से आपत्तियां/सुझाव लेकर व्यापक जनसुनवाई करते हुए किया जाता है।

प्रदेश में दिनांक 04-08-2021 तक लगे स्मार्ट मीटर का विवरण तथा स्मार्ट मीटर के ज्यादा बिल जेनरेट करने के कारण स्मार्ट मीटर को वापस लेने के सम्बन्ध में

***4-श्री संजय गर्ग-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 04-08-2021 तक कितने स्मार्ट मीटर लगाये गये एवं स्मार्ट मीटर खराब होने की कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकांश स्मार्ट मीटर ज्यादा यूनिट के बिल जेनरेट कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार सभी स्मार्ट मीटर को वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

दिनांक 04-08-2021 तक उत्तर प्रदेश में कुल 11,38,213 नग स्मार्ट मीटर स्थापित किये जा चुके हैं।

परियोजना के आरम्भ से अब तक विभिन्न तकनीकी कारणों से स्मार्ट मीटरों के खराब होने की कुल 20,925 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो कुल स्थापित मीटरों का मात्र 1.8 प्रतिशत है।

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का विद्युत बीजक मीटर में रिकार्ड की गई वास्तविक ऊर्जा खपत के आधार पर बनाया जाता है। यदि उपभोक्ता को स्थापित स्मार्ट मीटर में रिकार्ड की जा रही रीडिंग पर संदेह होता है एवं उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर चेक मीटर लगाकर स्थापित स्मार्ट मीटर की जांच की जाती है। यदि उपरोक्त जांच में तकनीकी कारणों से स्मार्ट मीटर तेज/मंद पाया जाता है तो मीटर को 15 दिनों के भीतर नये मीटर से बदलते हुए उस मास के, जिसमें विवाद उत्पन्न हुआ है, पूर्व तीन मास का बिल अंतिम परिणाम के अनुसार पश्चात्वर्ती बिल में समायोजित कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर में निगम द्वारा संचालित विद्युत परिषद् कन्या इण्टर कालेज में अध्यापकों की तैनाती हेतु पत्र सं0-क-6 नं0-239545, दिनांक 05-08-2021 पर कार्यवाही विषयक

1-श्री दलवीर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-6 नं0-239545 दिनांक 05-08-2021 विषयक हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर में निगम द्वारा संचालित विद्युत परिषद् कन्या इण्टर कालेज में अध्यापकों की तैनाती के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

मा0 सदस्य के उक्त पत्र में संदर्भित हरदुआगंज परियोजना के अधीन संचालित विद्युत परिषद् कन्या इण्टर कालेज, कासिमपुर में अध्यापकों की तैनाती सम्बन्धी प्रकरण पर अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम के निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार विद्यालयों के प्रान्तीयकरण किये जाने तक कोई नई भर्ती न किये जाने हेतु निदेशित किया गया है जिसकी सूचना निगमीय पत्र सं0-2265-मा0सं0प्र0-02/उनिलि/2021, दिनांक 06-09-2021 एवं पत्र सं0-2671-मा0सं0प्र0-02/उनिलि/2021, दिनांक 16-10-2021 द्वारा मा0 सदस्य को अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद के ग्राम बंजरिया (पश्चिमी) में रामदेव गुप्ता व आलोक सिंह के घर के बीच गुजरने वाले रास्ते के बीचो बीच लगे खम्भे को रास्ते के किनारे विस्थापित कराने विषयक

2-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद के ग्राम बंजरिया (पश्चिमी) में रामदेव गुप्ता व आलोक सिंह के घर के बीच गुजरने वाले रास्ते के बीचो बीच में बिजली का खम्भा लगा होने के कारण वहां के निवासियों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बिजली के खम्भे को रास्ते के किनारे पर स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

उक्त बिजली के खम्भे को रास्ते के किनारे स्थापित कराया जाना सम्भव है।

दिनांक 25-12-2021 तक उक्त खम्भों को रास्ते के किनारे कराने की कार्यवाही पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के मजरों और पुरवों में अधूरे विद्युतीकरण के कार्य को पूर्ण कराने विषयक

3-श्री सुभाष राय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के मजरों और पुरवों में विद्युतीकरण का कार्य अधूरा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का सर्वे कराकर अधूरे कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनसंख्या में वृद्धि के कारण नई बसावटों के निर्माण तथा विद्यमान पुरवों/मजरों में नये घरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है। अतः इन नये बसावटों के असंयोजित घरों तक विद्युत तंत्र का निर्माण कराकर इच्छुक लोगों को विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है, जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के मद में उपलब्ध कराई गई धनराशि से कराया जाता है।

अतः केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्त पोषित योजना के प्रारम्भ होने पर इन पुरवों/मजरों को योजना से आच्छादित कराकर विद्युत संयोजन निर्गत कराया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

योजना की स्वीकृति एवं धन प्राप्त होने पर कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के धान क्रय केन्द्रों के विवरण विषयक

4-श्री सुभाष राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में धान के कितने क्रय केन्द्र स्थापित हैं तथा उक्त में से कितने केन्द्रों पर धान की तौल/खरीद की जा रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (योगी आदित्यनाथ)-

खरीफ विपणन वर्ष 2021-2022 में जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा जलालपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न क्रय एजेंसियों के कुल 11 धान क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। सभी 11 क्रय केन्द्रों पर 563 किसानों से 34415.28 कुन्तल धान की खरीद की गयी है। सभी क्रय केन्द्रों पर किसानों की आवक के अनुसार धान खरीद का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद, नगर पंचायत डासना देहात की सैफी कालोनी एवं अन्य कालोनियों में अवर अभियंता सत्येन्द्र और अवर अभियंता संदीप चौहान के द्वारा अनधिकृत विद्युतीकरण कराने की जांच पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

5-श्री असलम अली-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के मसूरी बिजली घर पर तैनात कतिपय अवर अभियंता द्वारा नगर पंचायत डासना देहात की सैफी कालोनी में अनधिकृत

विद्युतीकरण कराने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, क्या सरकार प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सैफी कालोनी के विद्युतीकरण हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-गाजियाबाद के कार्यालय-ज्ञाप सं0-2324 दिनांक 04-12-2018 द्वारा 73 कि0वा0 भार (बहु बिन्दु पर) की स्वीकृति के साथ प्रदान की गयी जिसके अनुपालन में धनराशि रुपये 455855.00, रसीद सं0-383888924211, दिनांक 11-12-2018 एवं धनराशि रुपये 82054.00, रसीद संख्या 383888928149, दिनांक 11-12-2018 विद्युत वितरण खण्ड, मुरादनगर में जमा कराने के उपरान्त विभागीय नियमानुसार 1 × 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित किया गया है।

प्रदेश में खेत स्वामी की सहमति के बिना किसी एजेंसी को खेत से मिट्टी उठाने की अनुमति होने की जानकारी के सम्बन्ध में

6-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेत स्वामी की सहमति के बिना किसी निर्माण एजेंसी को उसके खेत से मिट्टी उठाने का अधिकार प्राप्त है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अधिकार से संबंधित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भू-स्वामी की सहमति उपरान्त ही आनलाइन माध्यम से मिट्टी का खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जाता है।

जनपद अम्बेडकरनगर, तहसील जलालपुर में बस अड्डा स्थापित करने के सम्बन्ध में

7-श्री सुभाष राय-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील जलालपुर के अन्तर्गत मुख्यालय जलालपुर में बस अड्डा न होने के कारण और राजकीय बस न चलने के कारण क्षेत्रीय जनता को आये दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जलालपुर में बस अड्डा स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक कटारिया)-

जी नहीं।

जलालपुर में परिवहन निगम की अपनी कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

जनपद-अम्बेडकरनगर की तहसील जलालपुर है, जिला मुख्यालय अकबरपुर से पूरब दिशा में 25 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।

अहिरौला-कानपुर मार्ग पर निगम की एक बस सेवा प्रतिदिन जलालपुर होकर संचालित है।

निगम के सीमित संचालन के दृष्टिगत बस अड्डा बनाया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकरनगर, तहसील जलालपुर के अन्तर्गत मुंगराडिला-रफीगंज-न्योरी मार्ग चौड़ीकरण के क्रम में बिजली के खम्भे सड़क के अन्दर आने तथा उक्त खम्भों को हटाने के सम्बन्ध में

8-श्री सुभाष राय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील जलालपुर के अन्तर्गत मुंगराडिला-रफीगंज-न्योरी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है जिसके कारण बिजली के पोल/खम्भे सड़क के अन्दर आ गये हैं जिससे आये दिन दुर्घटना हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त खम्भों/पोलों को हटवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

सड़क चौड़ीकरण कार्यों में सम्बन्धित विभाग यथा लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के चौड़ीकरण क्षेत्र में आने वाले जन उपयोगी सेवायें (पोल/खम्भे) को मार्ग के किनारे स्थानान्तरित करने हेतु वांछित धनराशि सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-जलालपुर के कार्यालय पत्रांक : 1249, दिनांक 24-07-2021 द्वारा शिफ्टिंग प्राक्कलन धनराशि रुपये 999148.00 तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अम्बेडकरनगर को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित एवं दूरभाष के माध्यम से भी अवगत कराया गया है, परन्तु अभी तक उक्त शिफ्टिंग प्राक्कलन धनराशि खण्ड कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

लोक निर्माण से प्राक्कलित धनराशि प्राप्त होते ही कार्य प्राथमिकता पर कराया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

अर्जुनगंज, सुल्तानपुर रोड, जनपद लखनऊ में विद्युत संयोजन गलत ढंग से स्थानान्तरित करने एवं पुनः स्वीकृत मीटर न लगाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 ख-6 नं0 773098, दिनांक 11-02-2021 व सं0 क-6, नं0 540690 दिनांक 22-09-2021 पर कार्यवाही विषयक

9-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सुल्तानपुर रोड में विद्युत संयोजन गलत ढंग से स्थानान्तरित करने एवं पुनः स्वीकृत मीटर न लगाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-ख-6 नं0 773098, दिनांक 11-02-2021 व सं0-क-6 नं0 540690 दिनांक 22-09-2021 क्रमशः उन्हें एवं मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

श्री सुदामा प्रसाद द्विवेदी पुत्र स्व0 उमा चरन द्विवेदी एवं श्री विजय कुमार पुत्र श्री सुदामा प्रसाद द्विवेदी के अर्जुनगंज, नियर भारत मेडिकल स्टोर, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ की मृत्यु पश्चात् श्री सुदामा प्रसाद द्विवेदी की पुत्रवधू श्रीमती शारदा कुमारी पत्नी स्व0 विजय कुमार, श्री सुदामा प्रसाद द्विवेदी की पुत्री श्रीमती माधुरी त्रिपाठी एवं श्रीमती शशी दीक्षित द्वारा उक्त भवन को श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री धर्मानन्द (क्रेता) को रजिस्ट्री किया गया, जिन्होंने संयोजन अपने नाम परिवर्तित कराकर उक्त संयोजन की पी0डी0 दिनांक 03-03-2021 को करा दी। तत्पश्चात् श्री सुदामा प्रसाद द्विवेदी की तीसरी पुत्री श्रीमती भारती अवस्थी पत्नी श्री विनोद अवस्थी ने उक्त भवन अपने हिस्से के लिए अलग पोर्टल के माध्यम से 2.00 कि0वा0 का प्री-पेड आवासीय विद्युत के संयोजन हेतु आवेदन सं0-1009824597 किया गया तथा संयोजन को दिनांक 24-07-2021 को अवमुक्त कर दिया गया। साथ ही दिनांक 26-07-2021 को सिंगल फेज प्री-पेड मीटर लगाने हेतु विभागीय कर्मचारी को भेजा गया था, परन्तु उक्त परिसर पर श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री धर्मानन्द एवं श्रीमती भारती अवस्थी पत्नी विनोद अवस्थी के मध्य आपसी विवाद हो गया। श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री धर्मानन्द जिसके द्वारा उक्त भवन को खरीदा गया है, का कहना है कि श्रीमती भारती अवस्थी अपने हिस्से की रजिस्ट्री कराकर अपने हिस्से में विद्युत संयोजन स्थापित करायें, लेकिन श्रीमती भारती अवस्थी इससे सहमत नहीं हैं। उनसे विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि अपने हिस्से की रजिस्ट्री/बंटवारानामा कराकर अपना संयोजन अपने हिस्से में करा लें। लेकिन श्रीमती भारती अवस्थी इससे सहमत नहीं हैं। पुनः दिनांक 15-12-2021 को विभागीय अधिकारियों, प्रवर्तन दल एवं स्थानीय पुलिस दल के साथ श्रीमती अवस्थी पत्नी श्री विनोद अवस्थी के परिसर पर प्री-पेड मीटर स्थापित करने का

प्रयास किया गया, परन्तु विवाद हो जाने के कारण परिसर में प्री-पेड मीटर स्थापित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त उक्त परिसर में पूर्व में चल रहे विद्युत संयोजन के स्थानान्तरित करने तथा पी0डी0 करने के सम्बन्ध में पत्र संख्या-1750 प्रनि0/म0वि0वि0नि0लि0/डी0पी0-3/सि0 गो0क्षे0 दिनांक 15-12-2021 द्वारा द्विसदस्यीय जांच समिति गठित की गयी, जिन्हें प्रकरण की जांच पूर्ण कर एक सप्ताह के अंदर जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जाँच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विद्युत वितरण खण्ड-1 व 2 में दिनांक 15-02-2021 तक लगाये गये स्मार्ट मीटर के खराब हो जाने व ज्यादा बिल आने की शिकायतों के सम्बन्ध में

10-श्री संजय गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विद्युत वितरण खण्ड-1 व 2 में दिनांक 15-02-2021 तक कितने स्मार्ट मीटर लगाये गये एवं कितने स्मार्ट मीटर खराब होने की शिकायतें दर्ज हुई हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकांश स्मार्ट मीटर ज्यादा यूनिट के बिल जेनरेट कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सभी स्मार्ट मीटर को वापस लेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

दिनांक 15-02-2021 तक जनपद सहारनपुर के विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम में 28049 व विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय में 21498 नग स्मार्ट मीटर स्थापित किये जा चुके हैं।

जनपद सहारनपुर के विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम व विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय में कुल 543 स्मार्ट मीटर विभिन्न तकनीकी कारणों से खराब हुए हैं।

यह सही नहीं है कि अधिकांश स्मार्ट मीटर ज्यादा यूनिट के बिल जेनरेट कर रहे हैं अपितु स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का विद्युत बीजक मीटर में रिकार्ड की गई वास्तविक ऊर्जा खपत के आधार पर बनाया जाता है। यदि उपभोक्ता को स्थापित स्मार्ट मीटर में रिकार्ड की जा रही रीडिंग पर सन्देह होता है एवं उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर चेक मीटर लगाकर स्थापित स्मार्ट मीटर की जांच की जाती है। यदि उपरोक्त जांच में तकनीकी कारणों से स्मार्ट मीटर तेज/मंद पाया जाता है, तो मीटर को 15 दिनों के भीतर नये मीटर से बदलते हुए उस मास के, जिसमें विवाद उत्पन्न हुआ है, पूर्व तीन मास का बिल अन्तिम परिणाम के अनुसार पश्चात्वर्ती बिल में समायोजित कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में दिनांक 01-01-2021 से 07-10-2021 तिथि तक अवैध खनन से सम्बन्धित शिकायतें और उस पर की गई कार्रवाई के विवरण विषयक

11-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में दिनांक 01-01-2021 से दिनांक 07-10-2021 तक अवैध खनन की कुल कितनी शिकायतें जिला प्रशासन को प्राप्त हुई हैं तथा उक्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अवैध खनन कर्ताओं से कितने राजस्व की वसूली की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद शामली में दिनांक 01-01-2021 से दिनांक 07-10-2021 तक अवैध खनन की कुल 74 शिकायतें जिला प्रशासन को प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार जाँच कराये जाने पर कुल 69 शिकायतें गलत/निराधार पायी गयी हैं तथा 05 शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध अंकन रुपये 3,08,28,282/-अधिरोपित कर सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं।

अवैध खनन कर्ताओं से माह मार्च, 2021 में अंकन 9,53,892/-रुपये की वसूली की गयी है। शेष धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र रुधौली के तहसील रुधौली व भानपुर में धान क्रय केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ कराने विषयक

12-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की विधान सभा क्षेत्र रुधौली के तहसील रुधौली व भानपुर में किसानों की रबी की फसल तैयार हो चुकी है जिसकी कटाई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है, परन्तु सरकार द्वारा संचालित धान क्रय केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ न होने के कारण किसान अपनी फसलों को निर्धारित दर से कम दामों पर बेचने को मजबूर है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त धान क्रय केन्द्रों का संचालन शुरू करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में जनपद बस्ती की विधान सभा क्षेत्र रुधौली के तहसील रुधौली व भानपुर में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत सीधे कृषकों से धान खरीद

करने हेतु कुल 21 क्रय केन्द्र स्थापित/संचालित हैं जिन पर दिनांक 01-11-2021 से दिनांक 09-12-2021 तक कुल 403 कृषकों से 2360.64 मी0 टन धान खरीद की गयी है जोकि निरन्तर गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

13-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[दिनांक 16-12-2021 को अतारांकित प्र0सं0-05 के द्वारा उत्तरित]

जनपद बस्ती में विद्युत उपकेन्द्र भानपुर के कर्मचारियों के आवास जर्जर होने तथा उनकी मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

14-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में विद्युत उपकेन्द्र भानपुर के कर्मचारियों के आवास जर्जर हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त आवासीय भवनों की मरम्मत करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 16-11-2021 को 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र भानपुर, जनपद बस्ती का अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड (वितरण) जनपद गोरखपुर के द्वारा निरीक्षण में पाया गया कि उपकेन्द्र परिसर पर 7 नग डी-टाईप एवं 1 नग अवर अभियन्ता हेतु तृतीय टाईप आवास है, जो अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। सभी आवास लगभग 50 से 55 वर्ष पुराने हैं एवं आवासों की चुनाई मिट्टी गारा से की गयी है तथा आवासों की छत आर0सी0सी0 की जगह आर0बी0 है, जिसकी सरिया नीचे से दिख रही है एवं सरिया में जंग लग चुका है। सभी दरवाजे एवं खिड़की हट चुकी हैं। फर्श टूट चुका है, लिंटेज बेड एवं छज्जे जर्जर अवस्था में हैं, सभी आवासों का सिर्फ ढांचा खड़ा है, कभी भी आवास गिर सकते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी आवासों की मरम्मत नहीं करायी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती, विधान सभा क्षेत्र रुधौली के निवासी स्व0 कृपाशंकर चौधरी के पुत्र संतोष कुमार चौधरी की नियुक्ति उ0प्र0 परिवहन विभाग में प्रदान करने विषयक

15-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की विधान सभा क्षेत्र रुधौली के निवासी स्व0 कृपाशंकर चौधरी जोकि उ0प्र0 परिवहन विभाग में ड्राइवर के पद पर

कार्यरत थे, जिनकी लखनऊ से दिल्ली जाने वाली अवध डिपो की बस का संचालन करते हुए आगरा के पास सड़क दुर्घटना में दिनांक 08-07-2019 को मृत्यु हो गयी थी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार मृतक आश्रित के रूप में इनके पुत्र श्री संतोष कुमार चौधरी को नियुक्ति प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी हां।

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पत्र दिनांक 13-12-2021 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व सूची में श्री संतोष चौधरी का नाम सम्मिलित है। प्रस्ताव शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

आज जो प्रश्न आये हैं, वह उत्तरित माने जायेंगे। उसके बाद ये प्रारम्भ के दो-तीन विषय लेने के बाद फिर मा0 नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी जी का उद्बोधन होगा।

उ0प्र0 सरकार का प्रतिवेदन सं0-4 वर्ष 2021†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन संख्या-4 वर्ष 2021 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0प्र0 सरकार का प्रतिवेदन सं0-3 वर्ष 2021†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य ऊर्जा उपक्रमों द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत सूचना प्रौद्योगिकी बिलिंग प्रणाली पर) उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-3 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0प्र0 सरकार का प्रतिवेदन सं0-5 वर्ष 2021†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-5 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उ0प्र0 सरकार का प्रतिवेदन सं0-6 वर्ष 2021†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन पर उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-6 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त खण्ड-1 वर्ष 2019-2020 एवं खण्ड-2 वर्ष 2019-2020 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2019-2020†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त खण्ड-1 वर्ष 2019-2020 एवं खण्ड-2 वर्ष 2019-2020 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2019-2020, उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

उ0प्र0 विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का 20वाँ प्रतिवेदन†

श्रीमती सरिता भदौरिया-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का 20वाँ प्रतिवेदन वाराणसी एवं मिर्जापुर मण्डलों में बाल विकास पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग (उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन), पर्यावरण विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, गृह विभाग तथा जिला कारागारों के स्थलीय निरीक्षण पर आधारित है, को प्रस्तुत करती हूँ।

उ0प्र0 विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का 21वाँ प्रतिवेदन†

श्रीमती सरिता भदौरिया-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का 21वाँ प्रतिवेदन अलीगढ़ एवं कानपुर मण्डलों के साथ जनपद गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) व मैनपुरी में बाल विकास पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा

† छापा नहीं गया।

विभाग, ग्राम्य विकास विभाग (उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन), पर्यावरण विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, गृह विभाग तथा जिला कारागारों के स्थलीय निरीक्षण पर आधारित है, को प्रस्तुत करती हूँ।

उ0प्र0 विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का 22वाँ प्रतिवेदन†

श्रीमती सरिता भदौरिया-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का 22वाँ प्रतिवेदन जनपद अयोध्या एवं रायबरेली में बाल विकास पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्रम विभाग, गृह विभाग तथा जिला कारागारों के स्थलीय निरीक्षण पर आधारित है, को प्रस्तुत करती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

सभी याचिकायें उपस्थित की हुई मानी जाती हैं।

(उपस्थित हुई मानी गई याचिकायें संलग्न हैं)

श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका††

श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के गोविन्दनगर, नरपतखेड़ा, पारा स्थित मुख्य मार्ग से श्री नरेश सिंह के आवास तक दूरी लगभग 50 मी0 तक क्षतिगस्त कच्चे मार्ग में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री आजाद अरिमर्दन, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित तीन याचिकायें†††

श्री आजाद अरिमर्दन, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा गोड़हरा से ग्राम सभा उदियावां के बीच बेसो नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

2-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तरवां में ग्राम सभा मिलखरा (जौनपुर सीमा से सटा हुआ) सीमा से सड़क श्री जगदीश मास्टर के खेत से सीताराम सिंह के मशीन होते हुए

---

† छापा नहीं गया।
†† छापी नहीं गयी।
††† छापी नहीं गयीं।

इटैली पतरही रोड तक लगभग 02 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका एवं

3-जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बुधिराम प्रधान एडवोकेट व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका।

श्री बम्बा लाल, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो याचिकायें†

श्री बम्बा लाल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के कादिलपुर में श्री संतोष के घर से श्री कौशल सिंह के मकान तक लगभग 250 मीटर सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 सुरेश व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका एवं

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर की नगर पंचायत रसूलाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्यारेलाल पप्पू व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित चार याचिकायें†

श्री बृजेश कुमार, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत ग्राम मकूर में वर्ष 1972 में दिये गये भूमिहीन लोगों के नाम कृषि भूमि के पट्टे को संक्रमणीय किये जाने के सम्बन्ध में श्री राघवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत अजमतगढ़ी रोड पर नहर की पुलिया एवं ग्राम खड़वारी सादिकपुर की नाला पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम जी तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत ग्राम टाडा नरोत्तमपुर में सुरेश रावत के खेत से फरहदपुर से जैतीपुर सम्पर्क मार्ग तक एवं ग्राम सैदपुर से आदमपुर बरेठी रोड तक की सड़क पर खड़न्जा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामशंकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका एवं

4-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत लखनऊ-कानपुर हाई-वे पर ग्राम जगदीशपुर की मुख्य सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषि सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ †

श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में आने वाली ग्राम-पीपली के कब्रिस्तान की पुलिया से मरघट तक लगभग 700 मीटर व केदार के खेत से अंजार के खेत तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनवार अहमद, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद की विधान सभा में आने वाले ग्राम अबूसैदपुर से ग्राम खरसौल तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ढाकन सिंह, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र बिलारी में ग्राम नरसरा से स्योंडारा रोड तक 1 किलोमीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री डालचन्द पुत्र डोरी सिंह, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद की विधान सभा के ग्राम पालनपुर में आशिक अली के मकान से कुशनपाल के मकान तक 150 मीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शहनशाह अली, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका एवं

5-जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र बिलारी के ग्राम नरूखेड़ा से ग्राम बनियाठेर तक 800 मीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामफल, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं-

1-जनपद बस्ती के रुधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक साऊंघाट, ग्राम पलाने पिच मार्ग से जमदा शाही पंजाब नेशनल बैंक तक लगभग 2.50 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामलौट गुप्त व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका एवं

2-जनपद बस्ती के रुधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक साऊघाट, ग्राम दुधराक्ष के पिच मार्ग बिगहिया मन्दिर से होते हुए छितरी प्रहलाद प्राथमिक विद्यालय तक लगभग 2.50 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

† छापी नहीं गयीं।

श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित चौंतीस याचिकाएँ †

श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत रमपुरा से भुगनियापुर मार्ग बम्बी रोड 01 किमी0 तक बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

2-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत चैनपुर से पिटरापुर 600 मी0 तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश नाथ पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

3-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत बसेई से भीखर तक विशेष मरम्मत कार्य 01.50 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

4-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत भाऊपुर मैथा रोड से भटुआमऊ लम्बाई आधा किमी0 सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

5-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत बनार अलीपुर से एन0एच0-24 लगभग 01.00 किमी0 तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णा गौतम व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

6-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत एन0एच0-24 से बारा होते हुए नुसरतपुर लगभग 02.00 किमी0 तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश राठौर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

7-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत हथिका बाजार से राजकुमार मिश्रा के दरवाजे लगभग 75 मी0 तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

8-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत एन0एच0-24 से बाढ़ापुर रोड (बम्बी रोड) लगभग 800 मीटर तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में सुश्री संतोषी द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

9-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत एन0एच0-24 से बलभद्रापुर से होते हुए करौसा लगभग 05 किमी0 तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत यादव व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

10-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत असई से फन्दा तक सड़क लगभग 01.50 किमी0 की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

11-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत कल्यानपुर-शिवली मार्ग से निहुटा तक सड़क का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवदत्त बाजपेयी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

12-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत रामगंगा नहर से अनूपपुर गांव के आश्रम तक लगभग 900 मी0 सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बउवन दुबे व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

13-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत रामपुर शिवली जसापुरवा होते हुए रामगंगा नहर तक लगभग 02 किमी0 सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

14-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवली में एक्स-रे मशीन, जेनरेटर, आर0ओ0, डेन्टल मशीन, पानी की टंकी आदि लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू राम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

15-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवली में पर्याप्त स्टाफ व बजट दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौजी अग्निहोत्री व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

16-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत रूरा नवनिर्मित अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

17-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैथा की बिल्डिंग को मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोनू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

18-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत रूरा शिवली मार्ग गहलौं, मुरीदपुर, औंगी व अधिका गांव तक 5 किलोमीटर जर्जर सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

19-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां में एन0एच0-24 से पोस्टमार्टम हाउस होते हुए जमालपुर तक दो किमी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

20-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां में एन0एच0-24 से बलिहारा तक दो किमी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

21-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां में प्रेमी देवी मन्दिर से भँवरपुर तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बालक राम कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

22-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत आलमचन्दपुर काशीराम कालोनी से वार्ड नं0-02 से ग्राम दरगवाँ 2 किलोमीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

23-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत पातेपुर से कुच्छी तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

24-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के रायपुर गजनेर रोड से सुल्तानपुर पेराजोर तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

25-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत माती रोड अकबरपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकबरपुर कानपुर देहात एवं ई0सी0एच0एस0 हास्पिटल तक लगभग 800 मीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

26-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत जर्जर सड़कों को परिवर्तन कराकर नयी सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

27-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत रूरा शिवली से देवीपुर सम्पर्क मार्ग 500 मीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

28-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत एन0एच0-24 से धन्जुआ पहाड़पुर होते हुए देवकली तक मरम्मत कार्य दो किलोमीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

29-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत राम गंगा नहर पुल से रंजीतपुर आश्रम तक विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

30-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत मैथा शिवली रोड से होते हुए श्री योगेश्वर आश्रम माधपुर तक लगभग डेढ़ किमी0 सड़क बनवाये जाने जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद त्रिवेदी व अन्य निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका,

31-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां में एन0एच0-24 से चिरौरा तक 1 किमी0 सड़क मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

32-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत रायपुर गजनेर रोड से गोगूमऊ से होते हुए दुघरी तक 2 किमी0 सड़क का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोहन कुमार गौतम व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

33-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत करौसा माइनर में जमालपुर बम्बी पुलिया से दरगवाँ तक मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घनश्याम शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका एवं

34-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के अन्तर्गत मड़ौली से तिगाई तक विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना लाल शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 18-20 में कुछ नहीं है।

आज कार्य स्थगन की जितनी भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उन्हें मैं सरकार के पास टिप्पणी सहित आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूँ।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-301 के अन्तर्गत 38 सूचनाएँ प्राप्त हुईं जिसमें निम्नलिखित सभी मा0 सदस्यों की सूचनाएँ स्वीकार की गई हैं :-

पहली सूचना श्री राम प्रताप सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में जे0पी0 ग्रुप द्वारा भूमि अधिग्रहण के समय किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में बस अड्डे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विभिन्न गाँवों से होकर गुजरने वाली काली नदी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत दिल्ली-मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर गजरौला में रोनक फैक्ट्री के सामने अण्डर पास बनाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जनपद

मथुरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा हुए कतिपय कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की जनपद उन्नाव के तहसील बाँगरमऊ अन्तर्गत कतिपय ग्रामों की चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला अन्तर्गत ग्राम औना में शौचालय निर्माण में हुई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री विनय शाक्य की सचिवालय कालोनी महानगर में आवास की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झाँसी में बेतवा नदी पर लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली के अन्तर्गत नगर पंचायत धौराटांडा की कान्हा गौशाला की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के विकास खण्ड जैतीपुर अन्तर्गत निर्मित पशु चिकित्सालय के निर्माण कार्य की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री सतीश चन्द्र शर्मा की जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बनीकोडर अन्तर्गत मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य समय से पूर्ण न कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत कतिपय गौ-सदन, मधवलिया, निचलौल के 500 एकड़ जमीन को भाड़े पर किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम बाबूपुर में राजकीय हाईस्कूल का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय किस्त निर्गत किये जाने तथा पात्र व्यक्तियों को जी0ओ0 टैग की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के आदर्श नगर पालिका रसड़ा के वार्ड नं0-1 में जल जमाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की प्रदेश के नियोजन विभाग में डॉ0 सतवीर सिंह, संयुक्त निदेशक मूल्यांकन प्रभाग द्वारा की गयी अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड बलियाखेड़ी में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सांगीपुर के राजस्व ग्राम रामनगर कोल में सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के कस्बा सरसावा के अन्तर्गत हो रहे अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री हाजी इरफान सोलंकी की जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला के अन्तर्गत भगवान बुद्ध इंटर कालेज की आराजी का सीमांकन एवं बाउण्ड्रीवाल कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत नगीना-नहटौर मार्ग से ग्राम ज्ञानपुर से पखनपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की प्रदेश में सहारा इंडिया ग्रुप

एवं पी0ए0सी0एल0 में जमाकर्ताओं के पैसे वापस दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री ओम प्रकाश राजभर की प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विकास खण्ड रुदौली अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लाभार्थियों को आवास न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्रीमती गरिमा सिंह की जनपद अमेठी के विकास खण्ड अमेठी के अन्तर्गत अमेठी-किठावार मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम सभा बिहलोलपुर में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज में आक्सीजन प्लांट चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री असलम चौधरी की जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन अन्तर्गत अंजली धर्मकांटा से उच्चतर प्राथमिक विद्यालय तक का मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री अनिल पाराशर की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय को मेडिकल कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केड़िया की जनपद कुशीनगर के तहसील पडरौना में स्थित गाटा संख्या 600/0.26 के स्थानीय प्रशासन तथा शासन से निराकरण/आदेश पारित करने के बाद भी अनुतोष नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की आगरा में तैनात जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ अन्तर्गत स्थापित राजकीय नलकूप संख्या-48 को रिबोर कर नये सिरे से चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के खण्ड विकास अधिकारी मियांगंज द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के मलिहाबाद में तैनात कानूनगो द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री संजय गर्ग की उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को अन्य पड़ोसी प्रदेशों से महंगी बिजली मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री मो0 असलम राईनी की जनपद श्रावस्ती के खाद, बीज दुकानदारों का ज्वाइन्ट डायरेक्टर एवं अन्य कर्मचारी द्वारा शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में जे0पी0 ग्रुप द्वारा भूमि अधिग्रहण के समय किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रताप सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-86, एत्मादपुर, जनपद-आगरा विगत सपा-बसपा की सरकारों के समय जे0पी0 ग्रुप के द्वारा भूमि अधिग्रहण के समय थाना एत्मादपुर में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-आगरा के किसानों पर झूठे मुकदमे लगाये गये थे जिससे कि सैंकड़ों की संख्या में किसान उत्पीड़ित हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त मुकदमों को वापस लेने की माँग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में बस अड्डे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा विधान सभा क्षेत्र-130, बीसलपुर हेतु परिवहन विभाग का राजकीय बस अड्डा निर्माण के लिए घोषणा की, तद्क्रम में बीसलपुर-पूरनपुर मार्ग पर दियोरिया कला में भूमि प्रस्तावित कर बस अड्डा बनाये जाने का सुझाव/प्रस्ताव किया गया, परन्तु अब तक परिवहन विभाग द्वारा राजकीय बस अड्डा उक्त प्रस्तावित स्तर पर निर्माण नहीं कराया गया है जबकि कथित बस अड्डा प्रस्तावित स्थल पर बना दिया जाना चाहिए था। इस बस अड्डे का निर्माण किया जाना नितान्त अपरिहार्य है ताकि जन सामान्य का आवागमन सुलभ सम्भव हो सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा हेतु अनुमति प्रदान करने तथा उक्त मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा के क्रम में परिवहन विभाग को राजकीय बस अड्डा बनाये जाने हेतु कार्रवाई भी करने की कृपा की जाये।]

जनपद मेरठ के विभिन्न गाँवों से होकर गुजरने वाली काली नदी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-किठौर, जनपद-मेरठ में काली नदी विभिन्न गाँवों से होकर गुजरती है। इसके प्रदूषित जल की सफाई अभियान के अगले चरण हेतु धन आवंटन की स्वीकृति की जानी आवश्यक है ताकि वृहद् स्तर पर सफाई अभियान चलाकर काली नदी की सफाई का अभियान चलाया जा सके। जनहित में काली नदी, मेरठ की सफाई हेतु धनावंटन किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत दिल्ली-मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर गजरौला में रौनक फैक्ट्री के सामने अण्डर पास बनाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा, जनपद अमरोहा के अन्तर्गत दिल्ली-मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (पुराना-24) पर गजरौला में रौनक फैक्ट्री के सामने अण्डर पास न होने के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हो रही दुर्घटनाओं के कारण मजदूरों की मौत भी हो चुकी है। हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अण्डर पास बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर उच्चाधिकारियों को कई बार पत्र लिखा गया, परन्तु कोई कार्रवाई न होने से जनमानस में निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत दिल्ली-मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (पुराना-24) पर गजरौला में रौनक फैक्ट्री के सामने अण्डर पास बनाये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।

जनपद मथुरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा हुए कतिपय कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बल्देव, जनपद मथुरा के ब्लाक राया एवं ब्लाक बल्देव में लोक निर्माण विभाग खण्ड-1 मथुरा द्वारा सम्पर्क मार्गों पर कार्य कराया जा रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्य मानक के विपरीत कराये गये हैं लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को कार्यालय पत्रांक 2623 भाजपा/वि0म0द0/2021 दिनांक 12-12-2021 प्रेषित किया गया, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। जनहित में बल्देव से राया सादाबाद होते हुए जुगसना मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, बल्देव, जुगसना मार्ग से पथवारी एवं चामड़ माता मंदिर वाया सलेमाबाद फूलपुर से झरैठा-दघैटा मार्ग, जुगसना रजवाहा से बल्टीकरी मार्ग का पुनः निर्माण कार्य, अभयपुरा से मादौर मार्ग का पुनः निर्माण कार्य, अभयपुरा से मादौर मार्ग, गढसौली से जोरवल होते हुए नगला-वली मार्ग का पुनः निर्माण, राया बल्देव से भैसारा मार्ग, महावन स्थित रसखान समाधि के संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य, बल्देव क्षेत्र में लो0नि0वि0 सी0डी0-1 मथुरा के द्वारा नवनिर्माण आई0टी0आई0 बिल्डिंग की टी0ए0सी0/उच्च स्तरीय जांच कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के तहसील बाँगरमऊ अन्तर्गत कतिपय ग्रामों की चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि इस अविलम्बनीय प्रश्न को जनपद-उन्नाव की बाँगरमऊ तहसील की दो ग्राम सभा राजेपुर और शिवपुरी को 50 वर्ष से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ज्यादा हो गये हैं, पर आज तक चकबन्दी नहीं हो पायी है। ग्राम सभाओं में सरकारी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। क्या ग्राम सभा में सरकारी जमीन नहीं बची है, जो बची है, उस पर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। लोगों ने यहां तक कि राजेपुर पंचायत भवन के बगल की सरकारी जमीन भी भू-माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। इन्हीं सब बातों से वहाँ दोनों ग्राम सभाओं में कोई सरकारी भवन का कार्य नहीं हो पा रहा है। इन दोनों ग्राम सभाओं में चकबन्दी अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार और शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अतिशीघ्र दोनों ग्राम सभाओं में चकबन्दी करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला अन्तर्गत ग्राम औना में शौचालय निर्माण में हुई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अनिल कुमार मौर्य-

[महोदय, सादर अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला अन्तर्गत ग्राम औना में ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा कतिपय व्यक्तियों यथा श्रीमती रश्मि मौर्या पत्नी चन्द्र प्रकाश मौर्य, श्रीमती कृष्ण कुमार पत्नी स्व0 राम लाल मौर्य, गंगा राम पुत्र शिव कुमार, लुद्दी, नेकराम पुत्र लक्ष्मन एवं अन्य का बगैर शौचालय का निर्माण किये बिना ही धन निकाल लिया गया है। कुछ शौचालय पुरानी ईंटों से बना दिये गये हैं, जो अभी भी अपूर्ण हैं। जिससे आम जनमानस को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा।

अतः महोदय से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर उक्त की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई किये जाने एवं पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिलाये जाने की माँग करता हूँ।]

सचिवालय कालोनी महानगर में आवास की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय शाक्य-

[महोदय, निवेदन है कि मैं राज्य सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश की सी-48, सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ की अध्यासी हूँ एवं अपने परिवार सहित उक्त भवन में निवास कर रही हूँ, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेरे भवन के आँगन का फर्श काफी दिनों से टूटा हुआ है एवं मेरे भवन के सामने की अस्थाई सुरक्षा दीवार (तारों से की गयी फेन्सिंग) काफी दिनों से टूटी हुई है। दोनों सूचनाएं मैंने कई बार उत्तर प्रदेश सचिवालय स्थित राज्य सम्पत्ति

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभाग के कार्यालय में पत्र के माध्यम से दी है, परन्तु आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है जिससे मेरे भवन के बरामदे में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है।

यह भी अवगत कराना है कि फेन्सिंग न होने के कारण असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है जिससे भवन परिसर एवं मेरे परिवार को सदैव असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि प्राथमिकता के आधार पर भवन की सुरक्षा हेतु मेरे उक्त भवन संख्या सी-48, सचिवालय कालोनी महानगर, लखनऊ के टूटे फर्श को नये सिरे से बनवाने के साथ ही सामने फेन्सिंग कराने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने का कष्ट करें।]

जनपद झाँसी में बेतवा नदी पर लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ।

जनपद झांसी के गरौठा तहसील के बामौर ब्लाक के डिकौली गांव के आस-पास के किसानों की खेतों की सिंचाई हेतु कोई साधन नहीं है। खेती होते हुए भी लोग भूख की चपेट में आ रहे हैं। यदि किसानों को पानी मिल जाये तो वह फसलें उगाकर अपना तथा प्रदेश का भी भला कर सकते हैं।

किसानों के हित में बेतवा नदी पर ग्राम डिकौली में लिफ्ट कैनाल बनाये जाने से आस-पास के सुट्टा सिंगार, बामौर, रिंया, भदरवारा, गोंती, कुरैठा, गढवई, दखनेश्वर आदि गाँवों के किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल सकेगा।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन में लाकर बेतवा नदी पर ग्राम डिकौली में लिफ्ट कैनाल बनाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बरेली के अन्तर्गत नगर पंचायत धौराटांडा की कान्हा गौशाला की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बहोरन लाल मौर्य-

[महोदय, जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत नगर पंचायत धौराटांडा की कान्हा गौशाला में अव्यवस्था के कारण गौ-पशुओं की बीमार होकर एवं भुखमरी के कारण मृत्यु हो रही है। सरकार द्वारा गौवंश की हत्या की रोकथाम के लिए कान्हा गौशाला चलाया जा रहा है, परन्तु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उदासीनता के कारण जनपद बरेली की नगर पंचायत धौराटांडा में कान्हा गौशाला में गौ-पशुओं की मृत्यु हो रही है। इसकी जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तहसील बरेली अन्तर्गत नगर पंचायत धौराटांडा की कान्हा गौशाला की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के विकास खण्ड जैतीपुर अन्तर्गत निर्मित पशु चिकित्सालय के निर्माण कार्य की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहाँपुर की 131, कटरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर के जैतीपुर में यू0पी0 सिडको द्वारा पशु चिकित्सालय का निर्माण कराया जा रहा है जिसे मानक के अनुरूप नहीं बनाया जा रहा है। इसकी शिकायत जिले स्तर पर की जा चुकी है, परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बनीकोडर अन्तर्गत मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य समय से पूर्ण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश चन्द्र शर्मा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद, जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बनीकोडर में मेरे पस्ताव पर युवा कल्याण विभाग द्वारा एक मिनी इण्डोर स्टेडियम जिसकी लागत लगभग चार करोड़ है, उसका निर्माण उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफेड) द्वारा कराया जा रहा है। विगत दो वर्षों से अभी तक उक्त स्टेडियम का आधा निर्माण कार्य भी नहीं पूर्ण हो पाया है। जबकि अभी तक उसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था। बार-बार विभागीय एवं कार्यदायी संस्था से कहने के बावजूद भी समय से निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण स्थानीय खिलाड़ियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बनीकोडर अन्तर्गत मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य समय से पूर्ण कराये जाने हेतु कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत गौ-सदन, मधवलिया, निचलौल के 500 एकड़ जमीन को भाड़े पर किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम सागर पटेल-

[महोदय, जनपद महाराजगंज के निचलौल के अन्तर्गत मधवलिया गौ-सदन में 500 एकड़ जमीन है, जो बेकार पड़ी है। इसे गरीबों को भाड़े (किराये) पर देने का प्राविधान है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पिछले साल तक भाड़े पर दिया जाता था, जिससे गरीब किसान जीवन-यापन हेतु अनाज एवं जानवरों के लिए चारा का व्यवस्था कर लेता था। इस समय यह व्यवस्था बन्द कर दिये जाने से गरीब किसानों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है और उक्त जमीन बेकार साबित हो रही है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गौ-सदन मधवलिया, निचलौल महराजगंज के 500 एकड़ जमीन को भाड़े पर किसानों (गरीब) को दिये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम बाबूपुर में राजकीय हाईस्कूल का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, मै आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद सीतापुर के तहसील व विकास खण्ड महमूदाबाद ग्राम बाबूपुर अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल (अल्पसंख्यक योजना) के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था, जिसे निर्माण एजेन्सी सी0एन0डी0एस0 द्वारा खलिहान की भूमि पर अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विद्यालय को निर्मित कराकर यथाशीघ्र छात्रों के हित में विद्यालय को संचालित कराया जाय। उक्त कार्य को जनहित में कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त अधूरे कार्य के निर्माण कार्य को कराये जाने हेतु सरकार से माँग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ठा0 दलवीर सिंह-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली, जनपद अलीगढ़ की नगर पंचायत गभाना में डूडा द्वारा निम्नलिखित विकास कार्य कराने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं। इन विकास कार्यों की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा काफी समय से की जा रही है। प्रस्तावित विकास कार्यों की डी0पी0आर0 डूडा, अलीगढ़ द्वारा मुख्यालय सूडा, लखनऊ को प्रेषित कर दी गई है। प्रस्तावित विकास कार्यों को शीघ्र स्वीकृत कर धनराशि आवंटित करना आवश्यक है :-

1-मोहल्ला रामपुर में प्रीती के घर से शिव मंदिर तक मिट्टी भराव, नाली एवं इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।

2-मोहल्ला रामपुर में रज्जो के मकान से चंद्रो की गली तक मिट्टी भराव, नाली एवं इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-मोहल्ला रामपुर में श्री अनिल राघव के घर से श्री चन्द्रपाल के घर तक मिट्टी भराव, नाली एवं इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।

4-मोहल्ला रामपुर में श्री विकास की दुकान से महताब के घर तक मिट्टी भराव, नाली एवं इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।

5-गांव सोमना में नहर के पुल से छोटे के घर तक मिट्टी भराव, रिटेनिंग वाल, नाली एवं इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।

6-गांव सोमना में कालू के प्लाट से तेजवीर के घर तक मिट्टी भराव, नाली एवं इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में जनपद अलीगढ़ में उक्त वर्णित विकास कार्यों का निर्माण डूडा द्वारा कराये जाने की माँग करता हूँ।]

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय किस्त निर्गत किये जाने तथा पात्र व्यक्तियों को जी0ओ0 टैग की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[महोदय, उपरोक्त प्रकरण में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुरोध कराना चाहता हूँ कि मेरे जनपद बस्ती के नगर पालिका तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र-309 रुधौली में दो नगर पंचायतें भानपुर व रुधौली संचालित हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री शहरी व ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवास की द्वितीय किस्त निर्गत न किये जाने के कारण आवास आधे-अधूरे पड़े हुए हैं। जिन लाभार्थियों के जी0ओ0 टैग लगभग एक से डेढ़ वर्ष पूर्ण हो चुका है, उन लाभार्थियों को भी अभी तक दूसरी किस्त नहीं मिल पायी है। लाभार्थियों के द्वारा दूसरी किस्त के लिए बार-बार सम्बन्धित कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है जिस कारण लाभार्थियों में बड़ा ही आक्रोश व्याप्त है। मेरे जनपद बस्ती नगर पालिका तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र 309 रुधौली में तमाम ऐसे पात्र व्यक्ति हैं। इसी प्रकार ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बन्द होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शीघ्र रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारम्भ कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। जिनका नाम सूची में न दर्ज होने के कारण प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। आवास योजना के पात्रता का परीक्षण कराकर पात्र व्यक्तियों को आवास योजना में सूचीबद्ध किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। शहरी आवास योजना के पात्र लाभार्थियों का भी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जी0ओ0 टैग न होने के कारण भी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाभार्थियों की सुविधा के लिए जी0ओ0 टैग की व्यवस्था तथा जिन लाभार्थियों का जी0ओ0 टैग हो गया है, उन लाभार्थियों को द्वितीय किस्त जारी किया जाना अति आवश्यक है। प्रकरण प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी आवास योजना से जुड़ा होने के कारण अति महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद बलिया के आदर्श नगर पालिका रसड़ा के वार्ड नं0-1 में जल जमाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि आदर्श नगरपालिका रसड़ा के वार्ड नं0-1 संत रविदास नगर जोकि घनी रिहायशी आबादी से आच्छादित है, के चारों तरफ वर्षों से शहर का गंदा पानी जमा है, जिससे सैकड़ों बीघा कृषि योग्य भूमि भी प्रभावित है एवं उसमें किसी भी प्रकार का कोई निर्माण या फसल आदि भी नहीं हो पाती है।

इस मामले को लेकर यहाँ की जनता अत्यन्त आक्रोशित है तथा कई बार इस हेतु जनान्दोलन भी किया जा चुका है क्योंकि गंदे पानी के जमाव की वजह से यहां के रास्ते भी पूरे वर्ष बाधित रहते हैं तथा संक्रमण की वजह से बीमारी का डर भी हमेशा बना रहता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर आदर्श नगर पालिका रसड़ा के वार्ड नं0-1, संत रविदास नगर के चारों तरफ वर्षों से हुए जल जमाव को दूर कराये जाने हेतु शासन से कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

प्रदेश के नियोजन विभाग में डॉ0 सतवीर सिंह, संयुक्त निदेशक मूल्यांकन प्रभाग द्वारा की गयी अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाकिम लाल बिन्द-

[महोदय, सदन के संज्ञान में लाना है कि डॉ0 सतवीर सिंह, संयुक्त निदेशक मूल्यांकन प्रभाग जो नियोजन विभाग में संयुक्त निदेशक एवं जनसूचना अधिकारी के पद को भी धारित कर रहे थे, अपने पद, प्रभाव एवं अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करके श्रीमती इन्द्रावती, ज्येष्ठ मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ का कार्यस्थल पर शारीरिक शोषण हेतु उत्पीड़न, अनेक अपराधिक षडयंत्र प्रायोजित करके मानहानि, शासकीय कार्यों को बाधित करने के साथ ही साथ अनेक नीतिगत अनियमितता, भ्रष्टाचार, शासकीय धन का दुरुपयोग, अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक तथ्यों के साथ पत्रावली पर इनके विरुद्ध टिप्पणियां की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गईं एंव पत्रों को लिखा गया। श्रीमती इन्द्रावती पीड़िता महिला अधिकारी को न्याय दिलाने हेतु विभिन्न स्तरों से मा0 मुख्य मंत्री जी के आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर भेजे गये दसों पत्र जो लम्बित थे, पर संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी से जांच रिपोर्ट बनवाकर सारे प्रकरण निक्षेपित करा दिये गये जबकि कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम/नियम-2013 की धारा-3 (1) एवं धारा-3 (2) की उपधारा (i) (ii) (iii), (iv), (v) में निहित व्यवस्था के साथ-साथ महिला उत्पीड़न के ऐसे प्रकरण में न्यूनतम तीन सदस्यीय जांच समिति बनाकर एवं पीड़ित को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। श्रीमती इन्द्रावती ने अपने पत्र दिनांक 28-12-2020 द्वारा भी न्याय की मांग की गई है। वह काफी व्यथित हैं। इस पीड़ित महिला अधिकारी के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः इस अति अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रकरण में श्रीमती इन्द्रावती पीड़ित महिला अधिकारी के उत्पीड़न हेतु दोषी डॉ0 सतवीर सिंह, संयुक्त निदेशक मूल्यांकन प्रभाग, जो 31 दिसम्बर 2020 को सेवानिवृत्त हो गये हैं, के समस्त सेवानिवृत्तिक लाभों को रोककर उच्च स्तरीय जाँच कराकर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे महिला एवं बाल विकास समिति विधान सभा को संदर्भित करने की सदन से माँग करता हूँ, जिससे एक पीड़ित महिला अधिकारी को समय से न्याय मिल सके।]

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड बलियाखेड़ी में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर-

[महोदय, जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-4, सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम कोटा से ग्राम उमाही होते हुए ग्राम भलसवा तक सम्पर्क मार्ग अति जर्जर अवस्था में है जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रकरण जनहित से जुड़ा हुआ है। अतएव जनपद सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम उमाही से ग्राम कोटा तक सड़क का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सांगीपुर के राजस्व ग्राम रामनगर कोल में सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सांगीपुर अन्तर्गत राजस्व ग्राम रामनगर कोल, जनपद रायबरेली की सीमा पर स्थित है, इसको व्यापार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

और शैक्षिक तथा बहुत हद तक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जनपद रायबरेली की तहसील सलोन पर निर्भर करना पड़ता है। इसके बीच में सई नदी बहती है। पक्का पुल न होने के कारण उक्त ग्राम रामनगर कोल तथा जनपद रायबरेली के परसदेपुर सहित 5-6 गांव, जो सलोन तहसील से सटे हुए हैं, वहाँ के लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस अन्तर्जनपदीय मार्ग पर पक्के पुल का निर्माण होना अति आवश्यक है। इस स्थान पर पुल का निर्माण हो जाने पर जनपद प्रतापगढ़ एवं जनपद रायबरेली सीधे तौर पर आपस में जुड़ जायेंगे और पुल के निर्मित हो जाने पर लगभग 30-40 हजार की आबादी सीधे तौर पर लाभान्वित होगी। अतः इस अन्तर्जनपदीय मार्ग पर नाबार्ड द्वारा पोषित एक पक्के पुल का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। पुल के अभाव में जहाँ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कभी-कभी लोगों को विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। उक्त स्थान पर पुल न होने से लोगों में चिन्ता एवं रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करती हूँ।]

जनपद सहारनपुर के कस्बा सरसावां के अन्तर्गत हो रहे अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश सैनी-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर के कस्बा सरसावा में नकुड़ बाईपास पर हरे-भरे आम के बाग को काटकर कॉलोनाइजरों द्वारा कालोनी का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें लगभग 300 दुकानों का भी निर्माण कराया जा रहा है।

यह भी अवगत कराना है कि नकुड़ बाईपास रोड पर सरसावां से नकुड़ को जाने वाले मार्ग पर बहुत भारी संख्या में ट्रैफिक चलता है तथा इसी बाईपास पर दुकानों का निर्माण कराया गया है, जिसमें किसी प्रकार की पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है तथा निकट भविष्य में बाईपास चौड़ीकरण की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

इस कालोनी को डिफेंस कालोनी के नाम से बनाया जा रहा है। आवासीय कालोनी को भी नगर की आवासीय कालोनी के अनुसार न तो कालोनी का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है और न ही अन्य जन सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि एयरफोर्स के जवान भी यहीं से दौड़ने तथा अभ्यास करते हैं, ऐसी स्थिति में दुकानों के बन जाने से जवानों को भी असुविधा होगी। अतएव, यह डिफेंस से जुड़ा हुआ है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त कालोनी में हो रहे अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाने व डिफेन्स से जुड़ा होने के कारण दुकानों का निर्माण कार्य रोके जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला के अन्तर्गत भगवान बुद्ध इंटर कालेज की आराजी का सीमांकन एवं बाउण्ड्रीवाल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना ला रहा हूँ-

जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला में भगवान बुद्ध इंटर कालेज स्थित है जिसमें छात्रों को इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दी जा रही है। उक्त कालेज के नियंत्रण में खेल तथा कालेज भवन हेतु कुल कितनी आराजी है, इसका सीमांकन नहीं किया गया है जिसके कारण कालेज प्रबन्ध तंत्र जमीनों की खुर्द-बुर्द में लगा हुआ है। यही नहीं बाउण्ड्रीवाल भी न होने से बलात कब्जा अवैध रूप से किया जा रहा है। यह स्थिति बड़ी ही भयावह है, जो विस्फोटक रूप ले सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर उक्त कालेज की सम्पूर्ण भूमि का सीमांकन व बाउण्ड्रीवाल बनवाये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के नहटौर मार्ग पर ग्राम ज्ञानपुर से पखनपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड कोतवाली के नगीना-नहटौर मार्ग पर ग्राम ज्ञानपुर से पखनपुर मार्ग लम्बाई लगभग 1.500 किमी0 की मरम्मत कराने हेतु पी0डब्लू0डी0 विभाग को भी प्रस्ताव दिया गया था। इस मार्ग से आने-जाने हेतु लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस कारण जनता में बहुत आक्रोश है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विकास खण्ड कोतवाली के नगीना-नहटौर मार्ग पर ग्राम ज्ञानपुर से पखनपुर मार्ग लम्बाई लगभग 1.500 किमी0 की मरम्मत हेतु सरकार से माँग करता हूँ।]

प्रदेश में सहारा इंडिया ग्रुप एवं पी0ए0सी0एल0 में जमाकर्ताओं के पैसे वापस दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[महोदय, प्रदेश में सहारा इण्डिया कम्पनी की पैरा बैंकिंग की डिवीजन में लाखों-करोड़ों जमाकर्ताओं का करोड़ों पैसा फंसा हुआ है। सहारा ग्रुप की दो कम्पनियां एस0आई0आर0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ई0सी0एल0 तथा एस0आई0एच0सी0एल0 के जरिये कम्पनी ने 2.25 करोड़ निवेशकों से करीब 24 हजार करोड़ रुपये जुटाये। इसके बाद इन पैसों का कैसे और कहां इस्तेमाल किया गया, इसका कोई रिकार्ड नहीं है। सेबी ने जांच शुरू की तो सामने आया कि एस0आई0 आर0ई0सी0एल0 तथा एस0आई0एच0सी0एल0 ने 2-2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपये इकट्ठे किये। दो साल तक यह सिलसिला चलता रहा। सहारा ने इसके लिए सेबी से अनुमति नहीं ली। सेबी के तत्कालीन बोर्ड मेम्बर डॉ0 के0एम0 अब्राहम ने पूरी जांच की। उन्हें पता चला कि सहारा के कई निवेशक फर्जी थे और बाकियों का कम्पनी से दूर-दूर तक रिश्ता नहीं था, आसान भाषा में कहें तो सहारा ने इन दो कम्पनियों के जरिये लोगों से पैसे लिये, साथ ही कहा कि वह इस पैसे से देश के अलग-अलग शहरों में टाउनशिप बनायेगा, लेकिन सहारा ने न तो टाउनशिप बनाया, न लोगों के पैसे वापस किये। 2009 में सहारा ग्रुप की एक कम्पनी के शेयर मार्केट में जाने की इच्छा से मामला शुरू होता है। शेयर मार्केट में जाने से पहले सेबी से अनुमति लेना होता है। ऐसे में सहारा प्राइम सिटी नाम की कम्पनी ने सेबी को आईपीओ लाने के लिए डीआरएचपी भेजा। यानि मार्केट से पैसा उगाहने के लिए अपना बायोडाटा भेजा। सेबी कम्पनी का बायोडाटा जांच रही थी। इसी दौरान सहारा की दो कम्पनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन (एस0आई0आर0ई0सी0एल0) तथा सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एस0आई0एच0सी0एल0) कटघरे मे आ गईं। सेबी को लगा कि इन्होंने गलत तरीके से जनता से पैसे उगाहे हैं। लोगों ने एक-एक पैसा जोड़कर इस कम्पनी में जमा किया था, किन्तु अब जमाकर्ता को उनका पैसा नहीं मिल रहा है। सभी जमाकर्ता सहारा इंडिया कम्पनी के आफिसों/ब्रांचों के चक्कर लगा रहे हैं, किन्तु कोई हल नहीं निकल रहा है। पता करने पर यह बताया जाता है कि सेबी ने रोक लगा रखी है। कोई कहता है कि कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसे में जमाकर्ता जाये तो जाये कहां। सभी जमाकर्ताओं का पैसा अविलम्ब दिया जाना अति आवश्यक है। इसी तरह से पी0ए0सी0एल0 में लाखों लोगों के हजारों करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं। बाजार नियामक सेबी के अनुसार पी0ए0सी0एल0 के 12.7 लाख से अधिक निवेशकों के 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के दावों में से 438 करोड़ रुपये की राशि ही लौटाई गयी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जांच में पाया था कि पी0ए0सी0एल0 लिमिटेड ने कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर लोगों से 18 साल में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अवैध सामूहिक निवेश योजना (सी0आई0एस0) के जरिये जुटायी थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर0एम0 लोढ़ा की अध्यक्षता वाली एक समिति ने कम्पनी में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा चरणबद्ध तरीके से लौटाने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। सेबी ने एक बयान में कहा, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसर समिति ने 12,70,849 पात्र आवेदनकर्ताओं के कुल 10,000 करोड़ रुपये के दावों में सिर्फ 438.34 करोड़ लौटाये थे। कोर्ट और सेबी की खींचतान में जनता बेहाल है। जनता के फंसे पैसे का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। जनता कई वर्षों से अपने पैसे के लिए आस लगाये बैठी हुई है। सरकार भी इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है। जिस कारण सभी में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। यदि

प्रदेश सरकार द्वारा समय रहते मायूस जनता के संकट का हल न निकाला गया, तो क्षेत्र में असंतोष की भावना व्याप्त हो जायेगी।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल सहारा इण्डिया ग्रुप एवं पी0ए0सी0एल0 के जमाकर्ताओं के पैसे वापस दिलाये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश राजभर-

[महोदय, प्रदेश सरकार ने 69000 शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए क्या सरकार यह योजना बनायी है। 69 हजार शिक्षक भर्ती एवं 309 खण्ड शिक्षाधिकारी की भर्ती में 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी जाति में लागू न होने का क्या कारण, वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के साथ ऐसा दुव्यर्वहार क्यों किया जा रहा है। सरकार यह बताये कि इन गरीब लोगों के साथ सरकार एवं प्रशासन की मिलीभगत करके पात्र विद्यार्थियों को कूटरचित तरीके से उनको लाभ नहीं दिया जा रहा है जो समाज को गर्त में धकेलने का कार्य सरकार कर रही है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के विकास खण्ड रुदौली अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लाभार्थियों को आवास न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद अयोध्या के विधान सभा रुदौली अन्तर्गत विकास खण्ड रुदौली व मवई में अति निर्धन गरीब परिवारों को वर्ष 2011 की सूची के आधार पर प्रधानमंत्री आवास का आवंटन किया गया है जिसके कारण कई हजार पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा प्रदान की गयी। वर्ष 2011 की सूची के अलावा वर्तमान में विकास खण्ड रुदौली व मवई की सभी ग्राम पंचायतों में बहुत से पात्र लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास की सुविधा से अभी भी वंचित हैं। जिनके पास रहने हेतु कोई भी आवास नहीं है। झोपड़ियों में रहकर अपना गुजर-बसर कर रहे हैं। इसकी जाँच कराकर वर्तमान में पात्र ऐसे लाभार्थियों को प्रधानमंत्री/मुख्य मंत्री आवास की सुविधा प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए जाँच कराकर वर्तमान में पात्र लाभार्थियों की सूची बनाकर प्रधानमंत्री/मुख्य मंत्री आवास की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अमेठी के विकास खण्ड अमेठी के अन्तर्गत अमेठी-किठावर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती गरिमा सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहती हूँ। जनपद-अमेठी के विकास खण्ड-अमेठी के अमेठी-किठावर मार्ग जिसकी दूरी लगभग 18 किमी0 है एवं विधान सभा क्षेत्र अमेठी के मुख्य मार्गों में से एक है, जिस पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन इसी मार्ग से होता है। वर्तमान समय में इस मार्ग की अत्यन्त दयनीय एवं जर्जर स्थिति है एवं आयेदिन दुर्घटना की सूचनाएं क्षेत्रीय जनताओं द्वारा मिलती रहती है। उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण होना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

मैं सदन के माध्यम से जनपद-अमेठी के विकास खण्ड-अमेठी में अमेठी-किठावर मार्ग (दूरी-18 किमी0) के चौड़ीकरण एवं नवनिर्माण कराने की माँग करती हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम सभा बिहलोलपुर में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, जिला अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा-बिहलोलपुर (चन्दनपुर) दान बहादुर के आवास से राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय के आवास तक (ल0 लगभग 800 मी0) मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज में आक्सीजन प्लांट चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-351, लालगंज के विकास खण्ड लालगंज में सामुदायिक केन्द्र लालगंज में लगभग 1 करोड़ धनराशि से विधायक विकास निधि एवं सांसद

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकास निधि से आक्सीजन प्लांट स्थापित हो गया है, किन्तु अभी तक चालू नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता को आक्सीजन के अभाव में अन्य जगह जाना पड़ता है, जिससे क्षेत्रवासियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त आक्सीजन प्लांट को यथाशीघ्र चालू कराये जाने की कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन अन्तर्गत अंजली धर्मकांटा से उच्चतर प्राथमिक विद्यालय तक का मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री असलम चौधरी-

[महोदय, जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन अन्तर्गत ग्राम पंचायत-साण्डा दखिलौल में माल रोड पर स्थित अंजली धर्मकांटा से उच्चतर प्राथमिक विद्यालय एवं गड़रिया खेड़ा होते हुए साण्डा दखिलौल (लम्बाई लगभग 1.50 किमी0) के मार्ग पर ईंट सोलिंग का कार्य लगभग 20 वर्ष पूर्व जिला पंचायत द्वारा कराया गया था। उक्त मार्ग पर छह ईंट-भट्ठे हैं, जिससे मार्ग पर अधिक संख्या में भारी वाहन के गुजरने के कारण उक्त मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त अवस्था में है। मार्ग के निर्माण/मरम्मत हेतु अनुमानित लागत रु0 75.00 लाख का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 11-09-2020 के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला पंचायत सदन द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत कार्य के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका और सम्बन्धित विभाग द्वारा कहा गया है कि प्रश्नगत कार्य की मरम्मत कार्य को कराया जाना सम्भव नहीं है। सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के कारण कई वर्षों से उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत कार्य न होने से क्षेत्रीय निवासियों, छात्र, छात्राओं को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय को मेडिकल कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल पाराशर-

[महोदय, जनपद अलीगढ़ के कोल विधान सभा क्षेत्र-75, अलीगढ़ महानगर में 425 बेड के पं0 दीन दयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय को पी0पी0पी0 मॉडल अथवा सरकारी मेडिकल कालेज बनाने हेतु जनहित में नितान्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा हेतु अनुमति प्रदान करने तथा पं0 दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय को पी0पी0पी0 मॉडल अथवा सरकारी मेडिकल कालेज बनवाने की कृपा की जाय।]

जनपद कुशीनगर के तहसील पडरौना में स्थित गाटा संख्या 600/0.26 के स्थानीय प्रशासन तथा शासन से निराकरण/आदेश पारित करने के बाद भी मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद कुशीनगर के तहसील पडरौना स्थित ग्राम खनवार बकलोलही, तहसील पडरौना में स्थित गाटा संख्या-600/0.26 के सम्बन्ध में उ0प्र0भू0रा0 के धारा-41 के अन्तर्गत न्यायालय उप जिलाधिकारी, पडरौना वाद संख्या 29 वृद्धि चन्द सिंह आदि बनाम ग्राम सभा में दिनांक 27-09-1993 को फील्ड बुक पुष्ट करते हुए पत्थर नसब किये जाने का आदेश पारित हुए 28 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी आज तक उक्त समस्या का निवारण नहीं हो पाया है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर उचित कार्रवाई किये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से माँग करता हूँ।]

जनपद आगरा में तैनात जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज गुप्ता-

[मान्यवर, मैं सदन के सामने एक अविलम्बनीय लोक हित की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्रवाई की माँग करता हूँ।

श्री मनोज कुमार पुष्कर, जिला प्रोबेशन अधिकारी, आगरा एक परिवीक्षाधीन अधिकारी हैं एवं आगरा में उनकी नियुक्ति प्रथम नियुक्ति है। हिन्दू महासभा के कुछ सदस्यों द्वारा यह शिकायत की गयी है कि श्री पुष्कर बसपा समर्थित मानसिकता के व्यक्ति हैं एवं अन्य आवश्यक कार्य नहीं करते एवं करने में अवांछनीय विलम्बता करते हैं। इसके अतिरिक्त एक ऐसे जिले में जिसमें पहले ही एक अधिकारी को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) आगरा में दिनांक 30-12-2020 को जिला प्रोबेशन अधिकारी की लापरवाही से हुए बालक के मृत्यु के सम्बन्ध में पूर्व जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री लवकुश भार्गव को महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0/60-1-2021 दिनांकित 08 अप्रैल, 2021 के कार्यालय आदेश से निलम्बित किया गया है, वहाँ इनकी कार्य प्रणाली पर बार-बार सवाल उठ रहे हैं। इनके द्वारा न तो

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किसी भी देयता दुकानदार का भुगतान किया जा रहा है और न ही किये जाने की कोई आशा है। सचिव, गति वेलफेयर सोसाइटी, आगरा द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को श्री पुष्कर के कार्य के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि राजकीय बाल गृह (शिशु), आगरा में किसी भी बच्चे को टीके की कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की गयी है एवं राजकीय बाल गृह (शिशु), आगरा में एक बालक कैंसर से पीड़ित है, जिसके इलाज की कोई समुचित व्यवस्था इनके द्वारा नहीं की गयी है। इस सभी विषयों के सम्बन्ध में शासन को पूर्व में पत्र लिखे गये हैं, परन्तु कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी। नव नियुक्ति होने के कारण श्री पुष्कर की कार्य प्रणाली संकुचित है।

उल्लेखनीय है कि श्री मनोज कुमार पुष्कर एक परिवीक्षाधीन अधिकारी हैं एवं उन्हें एक विशेष पार्टी की कार्य करने में रुचि अधिक है और कार्यालय के कार्यों को करने में नीरसता प्रतीत होती है।

अतः मैं सदन से माँग करता हूँ कि श्री मनोज कुमार पुष्कर के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करते हुए निष्पक्ष जाँच एवं अन्य किसी निष्पक्षीय मानसिकता एवं अनुभवी अधिकारी को जिला प्रोबेशन अधिकारी, आगरा के रूप में नियुक्त किया जाये जिससे कि प्रशासन का कार्य निष्पक्ष एवं सुलभता व सुचारु रूप से चलाया जा सके।]

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ अन्तर्गत स्थापित राजकीय नलकूप संख्या-48 एम0जी0 की बोरिंग को रि-बोर कर नये सिरे से चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण मामले की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। विधान सभा क्षेत्र बछरावाँ, जनपद रायबरेली के ग्राम चन्दापुर, पोस्ट-गूढ़ा, विकास खण्ड-शिवगढ़, जनपद-रायबरेली में किसानों के खेतों की सिंचाई का कोई साधन-नहर आदि न होने के कारण चौधरी चरण सिंह योजनान्तर्गत स्थापित राजकीय नलकूप संख्या-48 एम0जी0 अक्सर यांत्रिकी दोष के कारण खराब रहता है। कभी उक्त नलकूप की मोटर खराब या जल जाती है, तो कभी इस नलकूप की बोरिंग दोषगत हो जाती है, जिससे स्थानीय किसानों की फसलें समय से सिंचाई के अभाव में सूख जाती हैं। इस नलकूप संख्या-48 एम0जी0 को पास में ही दूसरी जगह रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय किसानों द्वारा अपने स्तर से कई बार विभाग से निवेदन किया जा चुका है किन्तु अभी तक नलकूप की बोरिंग के रि-बोर से सम्बन्धित कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अतः मैं इस अति लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से माँग करता हूँ कि जनहित में ग्राम चन्दापुर, पोस्ट-गूढ़ा, विकास खण्ड-शिवगढ़,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तहसील-महराजगंज, जनपद-रायबरेली में चौधरी चरण सिंह योजनान्तर्गत स्थापित राजकीय नलकूप संख्या-48 एम0जी0 को, पहले की गई बोरिंग स्थल से कुछ दूरी पर सड़क किनारे बैजनाथ के खेत में दूसरी नई बोरिंग (रि-बोर) पुनः कराकर इस नलकूप को नये सिरे से चालू कराया जाय, जिससे सम्बन्धित क्षेत्रीय किसानों के खेतों की सिंचाई की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।]

जनपद उन्नाव के खण्ड विकास अधिकारी मियांगंज द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मियांगंज के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा क्षेत्र पंचायत निधि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों को नियमानुसार नहीं कराया गया है, प्राविधानानुसार क्षेत्र पंचायत निधि से गांव के बाहर की सड़कों को एक गांव से दूसरे गांव को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य कराया जाता है परन्तु खण्ड विकास अधिकारी मियागंज द्वारा ग्राम प्रधानों से रिश्वत के रूप में धनराशि लेकर क्षेत्र पंचायत निधि मद में गांव के अन्दर की सड़कों का निर्माण करा दिया है जो नियमानुसार गलत है। महोदय, इस भ्रष्टाचार की जाँच कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यह लोक महत्व का विषय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी, मियांगंज द्वारा क्षेत्र पंचायत निधि मद में नियमानुसार निर्माण कार्य न कराये जाने से सम्बन्धित प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच संयुक्त रूप से कमेटी गठित कराकर जाँच कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद में तैनात कानूनगो द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[सदन के माध्यम से अवगत कराना है कि श्री ललित कुमार, कानूनगो मलिहाबाद द्वारा श्री सुरेश अग्रवाल आदि बनाम अमीर अहमद आदि द्वारा श्री हरी प्रसाद आदि बनाम उप जिलाधिकारी, मलिहाबाद आदि में पारित आदेश दिनांक 28-10-2014 के क्रम में गाटा संख्या-65/1/1/1.770 हेक्टेयर स्थित ग्राम-फिरोजपुर परगना व तहसील मलिहाबाद पर श्रीमती हुस्नआरा पत्नी मो0 फरीद से लगभग 50,000 रुपये का लेनदेन करके तथा मुकदमे के दौरान तिथि पर श्री हरी प्रसाद आदि को कोई सूचना, सम्मन नहीं भेजा गया जिसका जिस पर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुस्नआरा पत्नी मो0 फरीद से कानूनगो की मिलीभगत से हुस्नआरा पक्ष में एकतरफा फैसला उप जिलाधिकारी, मलिहाबाद द्वारा कर दिया गया है। मुकदमे की जानकारी श्री हरीप्रसाद आदि को नहीं हुई तथा जनहित के मामलों में धन की उगाही की सूचना प्राप्त हुई है जिससे सरकार की मंशा व छवि धूमिल कर रहे हैं। जनता में रोष व्याप्त है।

अतः सदन से माँग करती हूँ कि कि उक्त प्रकरण की जाँच कराकर मुख्य रूप से लिप्त श्री ललित कुमार कानूनगो, मलिहाबाद के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए इनका स्थानान्तरण किसी अन्य मण्डल में किया जाये।]

उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को अन्य पड़ोसी प्रदेशों से महंगी बिजली मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि उ0प्र0 में शहरी घरेलू उपभोक्ता पहले 150 यूनिट के लिए 5.5 रुपये प्रति यूनिट, 151-300 यूनिट के लिए 6 रुपये प्रति यूनिट, 301-500 यूनिट के लिए 6.50 रुपये और 500 से ज्यादा के लिए 7 रुपये प्रति यूनिट दे रहे हैं जबकि पड़ोसी प्रदेश उत्तराखण्ड, पंजाब, देहली, हरियाणा, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में घरेलू उपभोक्ताओं को उ0प्र0 की तुलना में बहुत कम दाम देना पड़ता है। इससे उ0प्र0 में विद्युत उपभोक्ताओं को अनावश्यक शोषण हो रहा है। उ0प्र0 में पुराने घरेलू उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है जिससे सभी घरेलू उपभोक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। महंगाई चरम सीमा पर होने के कारण आम उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ा है और आमदनी कम हुई है। ऐसे में महंगी बिजली आग में तेल डालने का काम कर रही है। विद्युत विभाग छापे मारकर घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का शोषण करने पर उतारू है। जिस कारण समाज में बहुत ज्यादा असन्तोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए, वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद श्रावस्ती के खाद, बीज दुकानदारों का ज्वाइन्ट डायरेक्टर एवं अन्य कर्मचारी द्वारा शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद असलम राईनी-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

मेरे जनपद श्रावस्ती में लगभग 475 दुकानदार हैं, जो खाद, बीज का व्यापार करते हैं। इनका शोषण जनपद श्रावस्ती के भूमि संरक्षण विभाग व कृषि विभाग का कर्मचारी महेन्द्र

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रताप सिंह कुशवाहा जे0डी0ए0 गोण्डा के दलाल बनकर पूरे मण्डल के दुकानदारों का शोषण करते हैं। ये विगत 04 वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं। शोषण के विषय में सभी दुकानदारों ने वीडियो के माध्यम से अपने दर्द को बताया है। ज्वाइन्ट डायरेक्टर की परिसम्पत्ति की जाँच होना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में उक्त प्रकरण में ज्वाइंट डायरेक्टर सहित अन्य संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध यथाशीघ्र कार्रवाई/ वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

सहारा ग्रुप की दो कम्पनियों से निवेशकों के पैसे वापस कराने की मांग

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

प्रदेश में सहारा इण्डिया कम्पनी की पैरा बैंकिंग डिवीजन से लाखों-करोड़ों जमाकर्ताओं का लाखों करोड़ों पैसा फंसा पड़ा है। सहारा ग्रुप की दो कम्पनियां एस0आई0आर0ई0सी0एल0 तथा एच0एस0आई0सी0एल0 के जरिये कम्पनी ने 2.25 करोड़ निवेशकों से करीब 24 हजार करोड़ से अधिक धन जुटाया था। इसके बाद पैसों का कहाँ, कैसे इस्तेमाल किया गया, इसका कोई रिकार्ड नहीं है। सेबी ने जांच शुरू की तो सामने आया कि इन दोनों कम्पनियों ने 2.25 करोड़ निवेशकों से 2.25 हजार करोड़ रुपये इकट्ठे किये और सहारा ने इसके लिए सेबी से अनुमति नहीं ली और सेबी के तत्कालीन बोर्ड मेम्बर डॉ0 के0एम0 अब्राहम ने जांच पूरी की तब पता चला कि सहारा के कई निवेशक फर्जी थे और बाकी कम्पनियों से दूर-दूर तक रिश्ता नहीं था। आसान भाषा में यह कहें कि सहारा ने इन दोनों कम्पनियों के जरिये लोगों के पैसे लिये कि इस पैसे से देश के अलग-अलग शहरों में टाउनशिप बनाया जायेगा। लेकिन सहारा ने न टाउनशिप बनाया है न ही लोगों के पैसे वापस किये। 2009 में सहारा ग्रुप की एक कम्पनी के शेयर मार्केट में जाने के लिए...

श्री अध्यक्ष-

आप यह बताए कि इसका राज्य सरकार से क्या मतलब है ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, यह उत्तर प्रदेश के लोगों का मामला है। सहारा इंडिया पी0ए0सी0एल0 में लाखों करोड़ों पैसे फंसे हैं निवेशकों के और लोग परेशान हैं। सरकार कहती है कोर्ट में और कोर्ट कहती है सेबी में है और इस नाते लोगों का पैसा मिल नहीं रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है सरकार इसे संज्ञान में ले सहारा और पी0ए0सी0एल0 से पैसा वापस दिलवाये।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा

नेता विराधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ। वित्त मत्री जी ने जो अनुपूरक और लेखा अनुदान पेश किया है उस पर अपनी बात रखने के लिए आपने आज्ञा दी मैं आपका बहुत

आभार व्यक्त करता हूँ। कल मुख्य मंत्री जी ने अपना भाषण दिया उसे भाषण कहिये या उपदेश कहिये। चले थे हम भजन को औटन लगे कपास जो वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है उस पर एक शब्द मुख्य मंत्री जी ने नहीं कहा है। केवल लट्ठ मार भाषा में बोलते रहे और बजट पर कुछ नहीं बोला। अनुपूरक द्वितीय वर्ष 2021-2022 का बजट पर भाषण इन्होंने नहीं दिया और न ही बांटा और मुख्य मंत्री जी ने बहुत ही चालाकी से काम किया लेकिन इनके बजट 2021-2022 की धनराशि कुल 5 लाख 55 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये हैं। प्रथम अनुपूरक 2021-2022 इन्होंने लिया है 7 हजार 301 करोड़ 6158 लाख द्वितीय अनुपूरक जो इन्होंने लिया है। 8479 करोड़ 53 लाख जिसमें राजस्व लेखा है 6819 करोड़ 52 लाख और पूँजी लेखा 1607 करोड़ 1 लाख इसमें 607 करोड़ की योजनाओं के लिए केन्द्र से पैसा प्राप्त होगा लेकिन होगा या नहीं होगा, कब होगा, इसका कुछ नहीं पता है।

शुद्ध व्यय भार जो है वह 781953.00 लाख है। लेखानुदान जो पेश किया है वह 5,45,370.69 करोड़ है, राजस्व लेखे में जो व्यय है वह 4,15,195.95 करोड़ है। पूँजी लेखे में जो व्यय है वह 1,30,174.74 करोड़ है। यह सब खूब दिखाने के लिए है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने यह जो अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की हैं उसमें छह माह की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सरकार ने बजट में जो आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया है उसमें से किसी भी मद में 50 प्रतिशत का कार्य नहीं कर सकी है। जब वित्त मंत्री जी ने पिछली बार अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था उस समय भी मैंने इसी सदन में कहा था कि दर्जनों ऐसे विभाग हैं जिन्होंने एक पैसे की भी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की है। मूल बजट का पैसा आप खर्च नहीं कर पाये हैं, जो आपने पहले अनुपूरक लिया उसका भी पैसा आप खर्च नहीं कर पाये हैं तो बार-बार अनुपूरक लेने का कोई औचित्य नहीं है। हमको लगता है कि सरकार धन का केवल दुरुपयोग कर रही है। सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ मात्र 32.31 प्रतिशत रही हैं। सरकार की उधारी और अग्रिम वसूली 18.60 प्रतिशत हुई है और उधारी एवं अग्रिम पर खर्च 42.90 परसेन्ट हुई है। किसने इस अनुपूरक बजट को बनाया है, आप कहाँ सो रहे थे, पता नहीं आपने इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार राजस्व मद में केवल 35.34 प्रतिशत धन खर्च नहीं कर पाई है अर्थात् यह सरकार 64.76 प्रतिशत धन खर्च नहीं कर सकी है। ऐसी स्थिति में फिर अनुपूरक लेने का क्या औचित्य है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस अनुपूरक धनराशि रुपये 781953.00 लाख का वित्त पोषण कर एवं करेत्तर राजस्व में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करके किया जायेगा तथा अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया जायेगा। इसका कोई विवरण आपने नहीं दिया है कि अनुत्पादक व्यय को कैसे कम किया जायेगा। आपको सदन को पूरी बात बतानी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ नहीं मालूम है लेकिन आपको तो मालूम है। मैंने सारा विवरण निकलवाया है, आप कितना ही सदन को घुमाने की कोशिश करिये। लेकिन विपक्ष को आप भ्रमित नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरा विवरण हम लोगों के पास उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने छह माह में कर राजस्व प्राप्ति

के निर्धारित लक्ष्य का 35.82 प्रतिशत और करेत्तर राजस्व का तो केवल 16.52 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर सकी है। सरकार अनुत्पादक व्यय में कमी करने का आश्वासन दे रही है, लेकिन जो धनराशि प्राविधानित की गई है वह अनुत्पादक व्यय की मदों में ही ली जा रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम अनुत्पादक व्यय की मदों से इसकी भरपाई करेंगे लेकिन जो आप पैसा मांग रहे हैं वह भी उन्हीं मदों का मांग रहे हैं। किन-किन अनुत्पादक व्यय की मदों को कम करेंगे, इसका उल्लेख भी आपने कहीं पर नहीं किया है। संविधान के अनुच्छेद-205(क) के अनुसार किसी विशिष्ट सेवा पर प्राधिकृत कोई रकम अपर्याप्त पायी जाती है या नई सेवा की आवश्यकता पैदा हो गई हो तो अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। सरकार पूरे वित्तीय वर्ष के खर्चों का आंकलन करके बजट प्रस्तुत करती है और धन स्वीकृत कराती है।

अनुपूरक में लिये जाने वाली मदों में विशिष्ट सेवा का कोई उल्लेख ही नहीं है। न ही किसी ऐसी नई सेवा का उल्लेख है जो पूर्वानुमानित न हो। इस अनुपूरक से प्रदर्शित होता है कि भाजपा सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। बजट सत्र का कोई महत्व नहीं रह गया है क्योंकि जब पैसा ही खर्च नहीं होगा तो बार-बार सदन बजट क्यों पास करे। बजट का ऐतिहासिक महत्व है। प्रदेश की जनता के विकास की निर्भरता इसी पर है। बजट पास करायेंगे और खर्च करेंगे। बिना किसी ठोस नीति के जनकल्याण संभव नहीं हो सकता। यह सरकार जनता के धन का दुरुपयोग करती है और पाँच वर्ष से मा0 मुख्य मंत्री जी का एक भी भाषण हो रहा है। जब से कोरोना आया है, पिछले सदन में भी कोरोना पर बहस हुई, उसके पहले सदन में भी कोरोना पर बहस हुई। कल भी कोरोना पर बहस हुई। मा0 मुख्य मंत्री जी कल दुनिया भर के बारे में बोले और फिर देश और दुनिया से वह तुलना करने लगे। पहले अपने घर को तो देखिये। पूरी दुनिया में जितने लोग कोरोना से मरे और जो उत्तर प्रदेश में मरे, उसकी कहीं तुलना नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, शहर-शहर, गाँव-गाँव श्मशान बन गये। जब श्मशान में जगह नहीं मिली तो लोग लाशों को नदियों में फेंकने लगे और जब अखबारों, चैनलों में आने लगा तो सरकार निर्दयतापूर्वक लाशों से कफन भी चुराने लगी। श्रीमन्, कफर चोर सरकार है। इस सरकार ने लोगों के शरीर पर कफन तक नहीं रहने दिया। उस पर हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, फिर लाशों से नदी पटी तो केवल तेरी चर्चा होगी, फिर लाइन पर देह कटी तो केवल तेरी चर्चा होगी, कहीं रसायन-कहीं पिटाई से, जनसेवा की नई दवाई, अस्पताल में हवा घटी तो केवल तेरी ही चर्चा होगी, सिर से ऊपर गुण्डागर्दी, खून-रेप से लथपथ वर्दी को लेकर आवाज उठी तो केवल तेरी चर्चा होगी, लोक भवन के आगे सबको खींच-खींच कर पिटवाने वालों, लोकतंत्र की जान बची तो केवल तेरी चर्चा होगी।

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री अध्यक्ष-

अब खन्ना जी शेर लिख रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अब यह खड़े होंगे तो कहेंगे ही कहेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्ष 2017 के संकल्प-पत्र में कहा था और हर जगह नारा भी लिखा था कि न गुण्डाराज न भ्रष्टाचार, अबकी बार भाजपा सरकार।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों की तरफ से मेजों की थपथपाहट)

वर्ष 2017 के संकल्प-पत्र में इन्होंने कहा था कि-न गुण्डाराज न भ्रष्टाचार, अबकी बार भाजपा सरकार। मा0 अध्यक्ष जी, गुण्डई चरम सीमा पर पहुँच गयी। दुनिया में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। दुनिया शर्मसार हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट दी कि दुनिया में महिलाओं से छेड़छाड़, रेप, जलाकर मार देने की घटनायें, अपमानित करने की घटनाओं में उत्तर प्रदेश दुनिया में एक नम्बर पर है और हिन्दुस्तान पाँच नम्बर पर है।

मान्यवर, यह आपकी ही रिपोर्ट है। इन साढ़े चार सालों के अंदर ही उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बना है। इसकी पुष्टि एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट के आंकड़े भी करते हैं। वर्ष 2016 में आई0पी0सी0 एवं एस0एल0एल0 के कुल अपराध 04 लाख 94 हजार 25 थे और वर्ष 2020 में 06 लाख 57 हजार 925 हो गये हैं। यह कौन गुण्डाराज है, कैसे बढ़ गये, आपने अपराधियों का इनकाउंटर कर दिया, जो अपराधी बचे, वह जेल चले गये और उसके बाद जो अपराधी बचे वह प्रदेश छोड़कर भाग गये। यह अपराध क्यों हुआ, यह अपराध क्यों बढ़े, कहाँ से आ गये ? आई0पी0सी0 अपराध वर्ष 2016 में 02 लाख 82 हजार 171, वर्ष 2017 में 03 लाख 10 हजार 84, वर्ष 2018 में 03 लाख 42 हजार 355, वर्ष 2019 में 03 लाख 53 हजार 131 और वर्ष 2020 में 03 लाख 55 हजार 110 हुए हैं। यह अपराध घटे कि बढ़े ? बढ़े तो अपराधी कहाँ से आये ? इस देश में माफियाओं, अपराधियों, डकैतों और छिनैती करने वालों की अगर कोई शरणस्थली है तो वह भाजपा पार्टी है, भाजपा की सरकार है। दंगे हुए, अपराध हुए। कुल एस0एल0एल0 अपराध, वर्ष 2016 में 02 लाख 11 हजार 854, वर्ष 2017 में 02 लाख 89 हजार 998, वर्ष 2018 में 02 लाख 42 हजार 802, वर्ष 2019 मे 02 लाख 75 हजार 447 और वर्ष 2020 में 03 लाख 2 हजार 815 अपराध हुए हैं। यह अपराध बढ़े कि घटे ? यह आप ही के आँकड़े हैं। यह केन्द्रीय सरकार के ही आँकड़े हैं। आप इसे देख लीजिये। अगर यह आँकड़े गलत हैं तो केन्द्र सरकार गलत है, अगर केन्द्र सरकार गलत है तो उत्तर प्रदेश सरकार कुछ है ही नहीं।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा अपनी पुस्तिका की ओर इशारा किया गया)

आप तो झूठे दिखा रहे हैं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आप लीजिये यह पुस्तिका पढ़ लीजिये और माननीय अध्यक्ष जी से पढ़वा लीजिये। क्या यह दिखवाने से हो जायेगा। इतिहास की परीक्षा हो और आप समाजशास्त्र दिखाने लगेंगे तो थोड़े होगा। कोई कापी उठाकर

आप ऐसे ही दिखाने लगेंगे तो थोड़े ही माना जायेगा। आप रिपोर्ट देखिये ना, यह लीजिये। आप चश्मा उतार के देखिये और चश्मा लगाकर देखिये। माननीय अध्यक्ष जी, कुल आई0पी0सी0 एवं एस0एल0एल0 अपराध वर्ष 2016 में 04 लाख 94 हजार 25, वर्ष 2017 में 06 लाख 82, वर्ष 2018 में 05 लाख 81 हजार 157, वर्ष 2019 में 06 लाख 28 हजार 578 और वर्ष 2020 में 06 लाख 57 हजार 925 अपराध हुए हैं।

कैसे बढ़ गये ? किशोरों द्वारा किये गये अपराध वर्ष 2017 में 825, वर्ष 2018 में 1048, वर्ष 2019 में 976, वर्ष 2020 में 1282 हैं। अनुसूचित जातियों पर किये गये अपराध वर्ष 2016 में 10426, वर्ष 2017 में 11444, वर्ष 2018 में 11924, वर्ष 2019 में 11829, वर्ष 2020 में 12714 हैं। अपराध हमारे में ढूंढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं आप में। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा उससे सम्बन्धित आई0पी0सी0 केस वर्ष 2016 में 30, वर्ष 2017 में 58, वर्ष 2018 में 84, वर्ष 2019 में 134 और वर्ष 2020 में 62 हैं। साइबर में अपराध वर्ष 2016 में 2639, वर्ष 2017 में 4971, वर्ष 2018 में 6280, वर्ष 2019 में 11416, वर्ष 2020 में 11097 हैं। उसमें अलग-अलग पूरा विवरण है। अगस्त 2021 में एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि वर्ष 2021 में अब तक पचास हजार से अधिक साइबर क्राइम अपराध दर्ज हो चुके हैं तो इससे साफ है कि अपराध घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। केवल लखनऊ में, जहाँ पर पूरी सरकार है, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, वहाँ पर प्रतिदिन पाँच हत्याएं हो रही हैं, दस लूटकाण्ड हो रहा है, कानून व्यवस्था की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ गयी हैं। केवल लखनऊ में 20 अगस्त, 2021 से 14 दिसम्बर 2021 के बीच 314 अपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं, उसमें 37 हत्याएं हैं, लगभग 51-52 घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। दिनांक 10 दिसम्बर 2021 से 14 दिसम्बर 2021 तक पाँच दिन में 12 से अधिक घटनाएं रोज हुई हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, अनुपूरक का नियम यह है कि उसी विषय पर केन्द्रित रहेंगे, जिस विषय पर बात हो रही है। ये पता नहीं कौन-सी किताब ले आये हैं, हमारे पास भी जो आंकड़े हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का क्राइम रिकार्ड नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से 24वां व 25वां स्थान है। मान्यवर, हम आपको भेज देंगे और इनका रिकार्ड भी भेज देंगे। आपने शुरू में आर्टिकल 205 पढ़ा तो आर्टिकल 205 में हमारे लेखानुदान दो विषय पर हमने पेश किया और एक अनुपूरक लिया। आपने कहा कि अनुपूरक में केवल वे ही विषय आने चाहिए जिससे सम्बन्धित हों लेकिन ये सब कुछ असंबंधित बोल रहे हैं। आप उसी विषय पर रहिये, भागिये मत।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

बैठिये-बैठिये। कल जो महाराज जी यहाँ पर बोल रहे थे, तब तो बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने जो बजट पर बोला ही नहीं, मैं तो बजट पर ही बोल रहा हूँ और जब आपकी

पोल खुल रही है तो आप खड़े हो जा रहे हैं, बर्दाश्त करिये, बर्दाश्त करने की क्षमता रखिये। माननीय अध्यक्ष जी, बढ़ते अपराधों से मा0 मुख्य मंत्री जी अवगत भी हैं, अभी जुलाई 2021 में मुख्य मंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर और बस्ती मण्डल में अपराध और अपराधियों की सूची बनाई गई है जिसमें 07 जिलों में घटित 2749 घटनाओं में टॉप क्लास के बदमाश शामिल पाये गये। मुख्य मंत्री जी के जनपद गोरखपुर में सबसे ज्यादा लुटेरे हैं। आपने ही नियुक्त किया है, आपकी सरकार ने नियुक्त किया है। 05 लाख रुपये या सम्पत्ति की लूट करने वाले 997 और डकैती वाले 100 बदमाशों की सूची गोरखपुर में बनायी गयी है। गोरखपुर में 25 ऐसे लुटेरे जो लूटते भी गये और हल्ला भी करते गये। 14 नये गैंग चिन्हित किये गये हैं, सुपारी लेकर हत्या करने वाले 426 पेशेवर शूटर गोरखपुर और बस्ती मण्डल में चिन्हित किये गये हैं। अध्यक्ष जी, यह सरकार केवल हिन्दू-मुसलमान कराने पर उतारू है। राज्य के सभी लोगों के लिए पुलिस और प्रशासन का एक ही कानून है लेकिन जब तक वह निष्पक्षता से काम नहीं करेगा, किसी भी सरकार की हनक नहीं बन सकती है। कल मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हनक से सरकार चलती है। कहाँ उनकी हनक है ? जब उन्हीं का जिला महफूज नहीं है तो हनक कहाँ है ? हनक केवल सदन में झूठ बोलने से होती है ? हनक बनती है, आत्म-विश्वास से, हनक बनती है, आत्म-चरित्र से, हनक बनती है, ठीक नीति लाकर सबको एक दृष्टि से देखकर काम करने से। राष्ट्रीय महिला आयोग को अगस्त, 2021 तक, अर्थात् 08 माह में जो शिकायतें मिली हैं, वह पिछले वर्ष 2020 की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है। इन शिकायतों में आधे से अधिक मामले उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आँकड़े आप देखें तो 2016 से 2020 के बीच छेड़खानी की घटनाओं में 300.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2016 में छेड़खानी के 609 मामले दर्ज थे, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही वर्ष 2017 में 993 और 2018 में 1328, 2019 में 1897 और 2020 में 2441 मामले दर्ज हुए।

(विपक्ष के सदस्यों ने शेम-शेम के नारे लगाये)

एन0सी0आर0बी0 2020 के डाटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर 02 घंटे में एक रेप का मामला पंजीकृत किया गया है, जबकि बच्चियों के खिलाफ रेप का मामला हर 90 मिनट में एक पंजीकृत हुआ है। अपराध घटे हैं या बढ़े हैं ? अब एक नया नारा बनाये हैं कि ''सोच ईमानदार और काम दमदार''।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 'सोच बेईमान और काम दागदार'।

(विपक्ष के सदस्यों ने शेम-शेम के नारे लगाये)

ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव में यह सिद्ध हो चुका है कि बेईमानी करने की पराकाष्ठा टूट गयी। हमारी बेटी-बहनों का चीर-हरण किया गया, कानून-व्यवस्था को ध्वस्त

कर दिया गया, पुलिस और कलेक्टर के बल पर वोट लिया गया और सरदार जी, आपको धरने पर बैठना पड़ा। सोच बेईमान और काम दगदार।

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मान्यवर, वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में रेप के कुल 4322 मामले दर्ज हुए थे। इसका सीधा मतलब कि हर रोज करीब 12 रेप के मामले दर्ज हो रहे हैं और मा0 मुख्य मंत्री जी महिलाओं का सम्मान बढ़ा रहे हैं। महिलाओं का सम्मान हमारे राज्य में और महिलाओं का अपमान जितना भाजपा सरकार के राज्य में हुआ उत्तर प्रदेश के इतिहास में और देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। भाजपा की असफल और गलत नीतियों का परिणाम है कि पुलिस थानों में वसूली में मशगूल है। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस समय गुण्डा ऐक्ट लगा उप मुख्य मंत्री जी ने बात की, श्रम मंत्री जी ने बात की और एम0पी0 साहब चार दिन जाकर मिले और उसका भी मर्डर हो गया है। आप अपने कार्यकर्ताओं की चिन्ता नहीं कर रहे हैं अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। इसलिए याद रखिये आपकी नाकामियों को देखते हुए जनता ने हर जाति, धर्म और मजहब के लोगों ने यह मन में संकल्प ले लिया है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश से भगाना है और अखिलेश यादव की सरकार को लाना है। कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद टिप्पणी कर चुके हैं कि मा0 न्यायाधीश जी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंगलराज कायम हो गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दो-दो बार टिप्पणी कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं हो रहा है जबकि जंगलराज कायम हो रहा है। अब इससे भी अधिक कुछ हो सकता है क्या ?

मान्यवर, कल समाजवाद पर बात कर रहे थे, रामराज पर बात हो रही थी, क्या यही रामराज है ? जहां हमारी बेटी-बहू की इज्जत सुरक्षित न हो क्या यही रामराज है, जिसमें गुण्डे लोग लोगों को पीट-पीटकर के मार डालते हैं, क्या यही रामराज है ? जहां पर रात-दिन डकैती और बलात्कार होते हों, क्या यही रामराज है ? लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर और उनको लूटकर मार दिया जाये, क्या यही रामराज है कि नौजवान किसान जिसके माँ-बाप ने अपनी गाढ़ी कमाई से अपने सभी बच्चों को पढ़ाया-लिखाया और जब नौकरी के लिए फार्म भरवाकर बच्चों को पेपर देने के लिए भेजा तो पेपर आउट हो गया, क्या यही रामराज है ? सियासत में लोगों के नाम को बदनाम न करें, सियासत में प्रभु के नाम को बदनाम न करिये और क्षणिक सुख के लिए इस देश को नीलाम न करिये।

श्रीमन बेरोजगारी पर मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हमने तो 04 लाख नौकरी दे दी (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा साढ़े चार लाख नौकरी कहे जाने पर) अच्छा, साढ़े चार लेकिन मिली किसको, इसमें आप किसी को नौकरी मिली क्या, आपके किसी रिश्तेदार को नौकरी मिली क्या, आपके क्षेत्र में किसी को नौकरी मिली क्या और माननीय अध्यक्ष जी, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने बेसिक शिक्षा की बात भी की। मैं था बेसिक शिक्षा मंत्री और हमने चार लाख

नौकरी तो अकेले बेसिक शिक्षा में दी। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ स्कूल की बात आई तो माननीय अखिलेश यादव की सरकार में थाली, गिलास, लोटा, विद्यार्थियों के लिए बेंच, दूध, फल, ड्रेस की सारी व्यवस्था की गई। लेकिन श्रीमन, इन्होंने क्या किया है, उनके खाते में 11000 रुपये भेजा है, जिसकी कल ये बात कर रहे थे। मान्यवर, 11000 रुपये नहीं 1100 रुपये भेजे हैं तो जरा आप 1100 रुपये में दो जोड़ी ड्रेस, बेल्ट, जूता, मोजा, स्वेटर खरीद के दिखा दीजिये, जरा खरीद कर दिखा दीजिये। आप लोग गार्जियन को बेईमान बनाने का सपना देख रहे हैं कि हम ड्रेस पहनने वाले लड़के के पिता को ही बदनाम कर दें कि हमने तो उसको पैसा दे दिया लेकिन उसने कुछ खरीदा ही नहीं। अरे! वह कहाँ से खरीदे, जब महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। हम तो जानते हैं कि 1100 रुपये में जूता ही नहीं मिलेगा। 1100 रुपये में तो केवल जूता ही नहीं मिल पायेगा। माननीय संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री जी की टोपी ही कम से कम 1100 रुपये की होगी, यह गमछा ही कम से कम 700-800 रुपये का होगा और आप 1100 रुपये का ढिंढोरा पीट रहे हैं। हिम्मत हो तो उस 1100 रुपये में दो जोड़ी ड्रेस, जूता-मोजा, टाई-बेल्ट खरीदकर बच्चों तक भेज दीजिये, क्यों नहीं भेज रहे हैं, आप बतायें कि क्यों नहीं भेज रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पब्लिक स्कूल के पैरेलल में प्राइमरी स्कूल को ले आने के लिए कक्षा-01 से अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया और मैंने प्रत्येक जिले में देहात के क्षेत्रों के कम से कम दो या तीन स्कूलों में और शहर के क्षेत्रों में भी दो या तीन स्कूलों में कक्षा-01 से 08 तक की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में शुरू करवाई (मा0 सदस्य श्री विक्रम सिंह द्वारा यह कहे जाने पर कि वे आपकी तारीफ कर रहे थे) जब हम और वे एक ही मठ के हैं तो वे हमारी और हम उनकी तारीफ करेंगे। आपका क्या है और आप भी तो हमारे मित्र हैं। आप भी तो मठ से हैं, आप भी तो हमारे मठ वाले ही मित्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हर चीज पर ये लोग कुछ न कुछ छिपाते हैं, चाहे वह अपराध का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, ये लोग हर चीज को छिपाने का काम करते हैं। और विपक्ष पर हमला पाँच वर्ष राज किये यह स्वयं और आज भी हमला हम लोगों पर कर रहे हैं। राज आप कर रहे हैं और आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं। कानून-व्यवस्था आप चौपट किये हैं, पढ़ाई-लिखाई आप चौपट किये हैं और विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, यह तो ऐसा ही है जैसे-

''चाँद पर काली घटा छाती तो होगी,
सितारों पर मुस्कुराहट आती तो होगी,
तुम लाख छिपाओ दुनिया से मगर
अकेले में तुम्हें अपनी शक्ल पर हँसी आती तो होगी।''

जब अकेले सोते होंगे तो सोचते होंगे कि बाप-रे-बाप हम जनता से क्या कहकर आये थे और क्या करने लगे ? आप लोगों को रात को नींद नहीं आती होगी। श्रीमन् 45 वर्ष के अंदर इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही है। इन्होंने कहा था कि सरकार के आते ही 90 दिन के

अंदर जितनी रिक्तियाँ होंगी, हम उन सबको भर देंगे। एक वर्ष का समय नहीं बीता और इन्होंने दर्जनों विभागों को बंद कर दिया जिसमें हजारों लोग काम करने वाले बाहर निकल गये। कुछ लोगों को जबरिया गर्दन पकड़कर रिटायर कर दिया गया। नौकरी देने के बजाय इन्होंने नौकरी को छीना है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में बाहर काम करके अपना परिवार चलाने वाले 2 करोड़ लोगों की नौकरी इन्होंने छीनी है। 5 वर्षों में 70 लाख को नौकरी देने की बात इन्होंने कही थी, कहाँ मिली नौकरी ? केवल झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ बोलने का काम किया गया है। कौशल विकास योजना के अन्तर्गत मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हमने विश्वकर्मा सम्मान दिया। मा0 अध्यक्ष जी, जब मा0 मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्य मंत्री बने थे और इसी सदन में उन्होंने घोषणा की थी और नाई, लोहार, बढ़ई, धोबी, कुम्हार के लिए पट्टे किये थे। कुम्हार के लिए मिट्टी खनन का पट्टा, धोबी के लिए कपड़ा धोने के लिए पट्टा, नाई के लिए उसके पूरे सामान की किट, लोहार के लिए उसकी पूरी किट, बढ़ई के लिए उसकी एक पूरी किट की व्यवस्था की गयी थी। अगर किसी टाउन एरिया, नगर पालिका, नगर महापालिका में सरकारी दुकानें बनी हैं तो इन सभी जातियों के लिए एक-एक दुकान की चाभी की व्यवस्था की थी और आप विश्वकर्मा पुरस्कार दे रहे हैं। मान्यवर, निषाद समुदाय के लिए मछली का पट्टा, घाट का पटटा, बालू खनन का पट्टा किसने दिया मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने और यह सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। यह तो इस हवा में हैं कि हम बहुमत में हैं, सोये ही रह गये हैं। अभी भी बोल रहे हैं कि बहुमत में हैं और जब चुनाव होगा तो खैर आप तो कभी हारते ही नहीं हो। लेकिन अकेले रह जायेंगे यह भी हम बता दें क्योंकि ऐसी दशा आप लोगों ने मा0 विधायकों की कर दी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कर दी है कि वोट तो वह भाजपा को ही देगा लेकिन जाकर रोकर अपना वोट देकर चला जायेगा, उसका वोट गिनती में आयेगा ही नहीं। अब 5 वर्ष की अखिलेश यादव की सरकार के काम की और 5 वर्ष के आपकी सरकार के काम की तुलना जब उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। आपके लोग भाड़े पर ढोकर लाये जा रहे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव प्रचार में जा रहे हैं तो उनका दर्शन करने के लिए जनता उमड़ रही है।

(कुछ सदस्यों के टोका-टाकी करने पर व्यवधान)

अरे जाइये अखिलेश जी, यू0पी0 सम्भालिये क्योंकि बर्बाद भाजपा ने कर दिया। चाचा और भतीजा का मिलन हो गया, जो हम चाहते थे वह हो गया। जो आप चाहते थे फूट डालना, वह फूट नहीं हुआ। आपकी मन्थरा की बात चली नहीं। आपने कहा था कि हर घर के एक सदस्य को कौशल विकास का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जायेगा, प्रदेश के सभी युवाओं को मुफ्त लैपटाप दिया जायेगा, कहाँ दिया ? क्या चुनाव बीत जायेगा तब देंगे ?

(व्यवधान जारी)

किसको दिया ? आप लोग रोइये, इनके कारनामे से आप लोग रोइये। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश यादव की सरकार अकेली सरकार है जिसने अपने घोषणा-पत्र में जो वायदे जनता से किये थे, उन्हें साढ़े तीन साल में पूरा कर दिया था और इनका संकल्प-पत्र वैसे ही है, उसको पढ़ा ही नहीं क्योंकि हमारा तो बहुमत है, हमको क्या पढ़ना। हम तो जनता को ठगना जानते हैं लेकिन अब यह जनता इनको ठगेगी। जनता ने इनकी नब्ज को पकड़ लिया है। युवाओं के बीच आपने जो लॉलीपाप दिया था वह केवल लॉलीपाप बनकर रह गया है। 16 परीक्षाओं के पेपर लीक आउट हुए। अखिलेश यादव जी की सरकार में कोई पेपर लीक क्यों नहीं हुआ ? इसलिए यह पेपर लीक हुए क्योंकि इनको युवाओं को नौकरी नहीं देनी थी, संतोष के लिए पेपर लिया। हमने जो नियुक्तियाँ कीं, वह मेरिट पर कीं। अध्यक्ष जी, अब एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए बी0ए0 करिये, बी0एड0 करिये, बी0टी0सी0 करिये, टी0ई0टी0 करिये और उसके बाद फिर स्पेशल परीक्षा दीजिये फिर उसमें पेपर आउट करा दीजिये परन्तु नौकरी लगी नहीं। युवाओं के साथ जितना खिलवाड़ हुआ, जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, वह कभी नहीं हुआ। जब वह नौकरी मांगने आये तो लाठी से पीटकर पैर तोड़ दिया गया और क्रिमिनल धाराओं में जेल भेज दिया गया। कल बहुत बड़ा काम बता रहे थे, दानी बने हुए थे, आशा बहुएँ, आँगनबाड़ी शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रोजगार सेवक को हम सम्मानजनक अवसर दे रहे हैं। क्या आप यही समान अवसर दे रहे हैं। आशा बहुएँ इसी लखनऊ में आयीं कि जो हमको मानदेय मिल रहा है उससे हमारा परिवार नहीं चल पा रहा है, तो उन पर लाठियाँ बरसाई गईं और क्रिमिनल धाराओं में जेल भेजा गया, भागी फिर लौटी नहीं। आँगनबाड़ी कार्यकत्री आयी कि अरे साहब, मानदेय से हम अपने बच्चों की फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं, साड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं फिर! हमारी सरकार है और तुम हमसे मांगने आ गयी हो, मार लाठी, मार लाठी, क्रिमिनल धाराओ में केस, वह भागीं तो आँगनबाड़ी लौटी ही नहीं, रोजगार सेवक ने सरकार से कहा कि मुख्य मंत्री जी, हमारा मानदेय बढ़ाया, हमारा परिवार नहीं चल रहा है, तो मार लाठी, मार लाठी और क्रिमिनल धाराओं में केस। भाग गये और आज तक लौटे नहीं। शिक्षा मित्र, होमगार्ड जो आया मांगने परन्तु उसको मिला कुछ नहीं, सिर्फ लाठी और क्रिमिनल केस।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

सपा सरकार में जब आप शिक्षा मंत्री थे, तब साढ़े तीन हजार रुपये मानदेय था।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हमने लाठी तो नहीं मारी, हमने केस तो नहीं किया, हमने जेल तो नहीं भेजा, हमने उनसे कहा कि अगर हमारी सरकार सक्षम होगी तो हम मानदेय देंगे, अगर नहीं सक्षम होगी तो आप हमें क्षमा करो। राजा के सामने मागने वाले आदमी को लाठी नहीं दी जाती है, राजा के सामने मांगने वाले लोगों को जेल नहीं भेजा जाता है। राजा के

सामने आने वाले लोगों को क्रिमिनल धाराओं में चालान नहीं किया जाता है। यह क्रूर राजा की निशानी है, तानाशाही राजा की निशानी है, सहृदय राजा की निशानी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी विद्वान हैं, कई किताबें आपने लिखी हैं। दुनिया में तीन वाद चलते हैं-पूँजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद। इनका कौन-सा वाद है ?

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा राष्ट्रवाद का उद्घोष किया गया।)

राष्ट्रवाद क्या है ? माननीय अध्यक्ष जी, यह कोई वाद नहीं है। हम जानते हैं कि जनसंघ के जमाने से आप पूँजीपतियों के पिछलग्गू हैं। पूँजीपतियों के हितों की रक्षा करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, देश के 3-4 पूँजीपतियों की पूँजी आसमान छू रही है और गरीब आदमी भोजन के लिए तरस रहा है। आपको उनको मुफ्त अनाज देना चाहिए। हम अनाज दे रहे थे। क्यों, गरीब आदमी केवल पेट पालने के लिए जी रहा है ? क्या उसके बच्चों को बढ़िया शिक्षा नहीं चाहिए, उसके बच्चे को कलेक्टर नहीं होना चाहिए, उसके बच्चे को डी0एम0 नहीं होना चाहिए ? मास्टर नहीं होना चाहिए ? डॉक्टर-इंजीनियर नहीं होना चाहिए ? आप कुछ दें या न दें गरीब के लड़के को फ्री शिक्षा अवश्य दें। जब माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी तब हमने फ्री दवाई दी, इण्टरमीडिएट तक फ्री पढ़ाई दी, डिग्री तक बच्चों को फ्री पढ़ाई दी, शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए हमने बेटियों को कन्या विद्या धन के रूप में रुपये 30,000 दिया। इन्होंने क्या दिया ? सुमंगला योजना। कितना दिया सुमंगला योजना में ? सामूहिक शादी की बात कर रहे थे। हर जाति, धर्म की गरीब बेटियों की शादी के लिए पहले से प्राविधान है। भइया, आपकी डबल इंजन की सरकार है, न। हम लोग भी कई हजार घर जाकर देते थे। आप उनको दें या न दें, हम गरीब के घर खुद जाते थे कि अब शादी कर लो। हमने श्रमिक मजदूरों को पूरे प्रदेश में साइकिल देने का काम किया। अखिलेश यादव ने रिक्शा चलाने वालों को फ्री में ई-रिक्शा दिया, दवाई फ्री दी, शादी का इंतजाम फ्री कर दिया, पढ़ाई फ्री कर दिया, किसानों की सिंचाई फ्री कर दिया।

किसान दुर्घटना बीमा योजना लागू की, किसन फसल बीमा योजना लागू की, आप लोगों ने क्या किया ? माननीय अध्यक्ष जी, छात्रों को लैपटाप और टैबलेट देने की जो घोषणा की गयी है, अभी तक उसका टेण्डर ही फाइनल नहीं हुआ है और उधर से आवाज आ रही है, कि दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। अब टाइम भी नहीं है, अब हम जायेंगे तब तक आचार संहिता लागू हो जायेगी। जितना हम और आप पढ़े-लिखे हैं, क्या वह लड़के भी उतना ही पढ़े-लिखे हैं, उनको आप क्यों मूर्ख बना रहे हैं ? क्यों आप अपने को चालाक समझते हैं, और छात्रों को मूर्ख समझ रहे हैं ? वह छात्र आपसे और हमसे अधिक पढ़े-लिखे हैं, वह आपसे मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। इस बार वह आपको मूर्ख बनाकर घर भेज देंगे। केवल लालच देकर वोट लेना, केवल लालच देकर वोट लेना, लेकिन अब यह लालच नहीं चलेगा। 2014 में लालच, 2017 में लालच 2019 में लालच और 2022 में खदेड़ देंगे। बंगाल में 'खेला होबे'

हुहा, यहां खदेड़ा होबे होगा, क्योंकि आश्वासन सुनते-सुनते कान पक गये हैं। जब हम लोग 1974 में आन्दोलन कर रहे थे तो यह नारा चलता था कि ''यू0पी0 भी बिहार बनेगा और बलिया ही शुरूआत करेगा''। वही नारा है-बंगाल अब यू0पी0 बनेगा। कितना ही यू0पी0-बिहार कर लीजिये, लोग समझ रहे हैं कि आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कल हम लोग माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण चुपचाप सुनते रहे। इतना कड़वा बोले, तो भी हम लोग सुनते रहे। अब आप लोगों को जाना है, सुनिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपकी यह बात ठीक है कि लोग टोंके नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा और दूसरी बात यह है कि इसमें जो मूल विषय है, उसको छोड़ करके कहीं और ही चले गये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, जिस सहजता से हम लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री जी को सुना, उसी सहजता से इन्हें भी सुनना चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी किस-किस विषय पर बोले ? भाजपा सरकार साढ़े चार साल में 7.71 लाख नौकरी देने का बखान करती है, जिसमें से 3.21 लाख भर्तियाँ संविदा व आउटसोर्सिंग की बताई जाती हैं। संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर बेरोजगारों का शोषण किया जाता है। आरक्षण खत्म हो गया है। आउटसोर्सिंग से जो नौकरी मिल रही है, उसमें भी उनको नौकरी लेने में घूस देनी पड़ रही है। जिन कम्पनियों को 12 हजार देना है, लेकिन वह देती हैं 07 हजार, 5 हजार स्वयं गटक लेती हैं। अध्यक्ष जी, गरीबी का आलम यह है कि आदमी 200, 300 रुपये में नौकरी करने के लिए तैयार है और इस स्थिति को लायी है, भारतीय जनता पार्टी। केवल एजेंसियों को लाभान्वित करने का काम हो रहा है। जैसे किसानों की फसल बीमा योजना, मा0 अध्यक्ष जी, आप सत्तापक्ष के लोगों की कमेटी बना दीजिये और माननीय अध्यक्ष जी फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला बल्कि बीमा एजेंसियों को मिला है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में फसल बीमा योजना के समय अतिवृष्टि, ओला वृष्टि और बाढ़ से जो फसलें नष्ट हो गई थीं उनके लिए कैम्प लगाकर किसानों को मुआवजा दिया गया था। विधान भवन सचिवालय में कम्प्यूटर आपरेटर, वायर मैन, पम्प आपरेटर, ए0सी0 आपरेटर, साउण्ड आपरेटर, लिफ्ट मैन, फायर आपरेटर, हेल्पर आदि पदों पर 8 से 10 वर्षों से सेवारत कर्मचारियों को मात्र 7400 रुपये मिल रहे हैं। इसी तरह अन्य तमाम विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को वार्षिक वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है तो रोजगार कहाँ से देंगे। बढ़ती बेरोजगारी के कारण युवाओं के सामने परिवार के भरण-पोषण की समस्या है। मैं युवाओं का आवाह्न करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि-

'सोच तो बदलो, सितारे बदल जायेंगे,
नजर तो बदलो, नजारे बदल जायेंगे,
कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं,
दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जायेंगे।
तू जिन्दा है तो जिन्दगी की जीत में यकीन कर,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लो जमीन पर।'

भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं के कारण बेरोजगार, किसान, नौजवान, छात्र और छात्राओं में आत्महत्या की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। किसानों की फसल के नुकसान होने से, हमारी बेटियां अपमानित होने से और नौजवान को रोजगार न मिलने के कारण वह आत्महत्या के लिए मजबूर हुए हैं। आज तक जितनी आत्महत्यायें इस सरकार में हुई हैं उससे पहले वह कभी नहीं हुई हैं। वर्ष 2016 में 131008 आत्महत्यायें हुई हैं, वर्ष 2017 में 129887, वर्ष 2018 में 134516, वर्ष 2019 में 139123 और वर्ष 2020 में 153052 आत्महत्यायें हुई हैं। यह आत्महत्याओं का आंकड़ा है। यह आत्महत्यायें कर्ज के बोझ के कारण, नौकरी न मिलने के कारण, अपमानित होने के कारण, भोजन न मिलने के कारण हुई हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। भारत में कुल आत्महत्याओं में से 3.1 प्रतिशत आत्महत्यायें केवल उत्तर प्रदेश में हुई हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020 मे 4804 आत्महत्यायें हुई हैं। गाजियाबाद में 121, कानपुर में 573, लखनऊ में 383, नेशनल हाइ-वे पर 137, स्टेट हाइ-वे पर 5324 एवं एक्सप्रेस-वे पर 7111 केवल मौत-मौत। कोरोना में मौत, एक्सीडेंट में मौत, आत्महत्या करके मौत। आपको जलालत तो आती नहीं। जिस शादी की आप प्रशंसा कर रहे थे, शादी संबंधी मामलों में वर्ष 2020 में 631 आत्महत्यायें हुईं, जिनमें से 391 महिलाएं थीं। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे नम्बर पर उत्तर प्रदेश आता है। महिलाओं का आप सम्मान करते हैं।

आप कहते हैं कि किसान हमारे एजेण्डे में है। किसान तो आपके एजेण्डे में था ही नहीं। आपके एजेण्डे में पूँजीपति था, है और रहेगा भी। आपने किसान के लिए क्या किया ? जिस कर्ज माफी की आपने बात की, हम तो गाँव-गाँव में कई जगह गये कि किस किसान का कर्ज माफ हुआ, तो कोई हाथ ही नहीं उठाया। किसी का हुआ भी, तो 200 रुपये, 150 रुपये, 3 रुपये व 2.5 रुपये।

मान्यवर, मा0 अखिलेश यादव जी ने कॉपरेटिव भूमि विकास बैंक से लोन लेने वाले किसानों को 50 हजार रुपया कर्ज माफ किया। मा0 अखिलेश यादव जी ने किसान के एक्सीडेंट होने पर मौत हो जाने पर, सांप काटने पर मौत हो जाने पर, ओला गिरने पर मौत हो जाने पर, नदी में डूबकर मर जाने पर एवं परिवार के अनाथ होने पर उस परिवार को रुपये

5 लाख देने की व्यवस्था की। इसको आपने बंद कर दिया और आप कहते हैं कि हम किसान के हमदर्द हैं।

धान एवं गेहूँ के संबंध में कल मा0 लाल जी वर्मा भी बोलना चाहते थे। मा0 मुख्य मंत्री जी ने कल कहा कि हमने इतना धान खरीद लिया। कहाँ से खरीद लिया, हेलीकाप्टर से खरीद लिया क्या ? धान 800, 900, 1000 व 1100 रुपये क्विंटल बिक रहा है। किसान खेत और खलिहान में 24 घंटे में से 12 घंटे काम करता है। जाड़ा हो, गर्मी हो व बरसात हो, उसमें वह मेहनत कर रहा है, पैसा/पूँजी लगा रहा है और उत्पादन ये बढ़ा रहे हैं। कहते हमने इतना उत्पादन बढ़ा दिया। कभी खेत में गये हो क्या ? हल जोते हो, ट्रैक्टर चलाये हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 चौधरी साहब, आप कम्पटीशन करा दीजिये। हम आज भी आपसे अच्छा लेहडू चला देंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, खाद के लिए लाइन लग रही है, लाठी चल रही है। अकेले ललितपुर में खाद के लिए तीन किसान मर गये। आपकी सरकार में बीज महंगा, बिजली का रेट महंगा, डीजल महंगा और किसान के उत्पादन का मूल्य कुछ नहीं। कागज में सब तरह की आमदनी है। कभी अपने गाँव के किसान से जाकर पूछिये। आपने बिजली चार गुना महंगा कर दिया है, रोडवेज का किराया, रेल का किराया बढ़ा दिया है। आपने किसान के लिए क्या किया ?

मा0 मुख्य मंत्री जी कल समाजवाद पर बोल रहे थे। अब समाजवाद पर भी आप बोलेंगे। इंकलाब, न्याय और दया जब सच के पथ के आगे होता है। मंत्री जी जब न्याय सच के पथ का आदी होता है। जब केवल जनहित जीतता है तब समाजवादी होता है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देश के समाजवादी दुनियाँ के समाजवादी हैं जिस समाजवाद की परिकल्पना की है जिसकी लड़ाई लड़ी है। पूरी दुनिया में अगर उसको रास्ते पर उतारा है वह मा0 मुलायम सिंह व मा0 अखिलेश यादव जी हैं। रोजगार हो या बेरोजगारी भत्ता हो किसने दिया अखिलेश यादव जी ने दिया। महिलाओं को सम्मान किसने दिया, पिछड़ा पावे सौ में साठ समाजवादियों का नारा था। पिछड़े को इन्होंने कमर के बल बैठा दिया। करप्शन खत्म कर दिया और ये समाजवाद की बात करेंगे। सैनिकों को, साइकिल रिक्शे वालों को, ई-रिक्शा आपने किसी को दिया है आपने बस लिया है। अब सब बांट रहे हैं। मुख्य मंत्री जी बात कर रहे थे गांवों के विकास व स्मार्ट सिटी की। किसी गाँव का विकास हुआ है तो बताइए और कहाँ स्मार्ट सिटी बनी, गाँव पहले जैसे गाँव हैं और शहर पहले से भी बुरा है। मंत्री जी गाँव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। आप पूँजीपतियों की पूँजी बढ़ाइये क्योंकि उन्हीं के पैसे से आपको चुनाव लड़ना है। अब विधायक लोग अपने गाँव में जाकर पहुँचा है और रोकर गये हैं। अब चुनाव आया है तो सबको याद आया है इनको

बुलाओ उनको बुलाओ, लेखपाल को बुलाओ। मान्यवर, लोकतंत्र के इतिहास में यह पहली बार देखा गया है कि एक कलेक्टर पी0डब्लू0डी0 के जिला अध्यक्ष को पत्र लिखता है कि मा0 नेताजी के निजी कार्यों में जितनी बस व साधन लगे हैं उसका पेमेंट आप अपनी जेब से करेंगे। एक कलेक्टर सिंचाई विभाग के हेड को लिखता है कि बड़े नेता के निजी कार्यों के लिए जितना विशेष साधन लगा है उसका पेमेंट तुम अपनी जेब से करोगे। आज तक हुआ है क्या ऐसा। ओ हो तब हमें लगता है कि बजट का पैसा अनुपूरक का पैसा पाँच वर्ष में खर्च क्यूं नहीं हुआ। इसीलिए नहीं कि सारे विभाग का पैसा दाब करके रखा हुआ है। सब चुनाव में इस्तेमाल होगा। ये जनता की दुश्मन सरकार है।

बार-बार कहते हैं कि हमारी सरकार में दंगा नहीं हुआ, हमारी सरकार में दंगा नहीं हुआ। अब आप ही का राज्य है तो फिर दंगा कैसे होगा, आप कल सरकार से हट जायेंगे तो दंगा करने लगेंगे। दंगा कराने के माहिर तो आप ही हैं। मुख्य मंत्री जी पर भी दंगा भड़काने का आरोप था, कई मंत्री हैं जिन पर दंगा भड़काने का आरोप है। इधर (विपक्ष) के एक आदमी की जाँच करवा लीजिये जिस पर दंगा भड़काने का आरोप हो। (सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आयी कि दंगा भड़काने वाले जेल में हैं।) जेल तो आप जाने नहीं दिये नहीं तो जेल में तो मुखिया ही होते। (मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था)।

एक वीडियो मेरे पास भी है, हमारा वीडियो तो आपने देखा नहीं। आप वही देखते हैं जो आपके लायक हो, हम वह दिखाते हैं जो जनता के लायक हो। जनता आपको समझ चुकी है। जो वीडियो आप दिखला रहे थे, उसमें सी0ओ0 क्या कह रहा था कि तुमको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, तुम्हारे जैसे एम0एल0ए0 देखे हैं, तुमको बर्बाद कर देंगे। तो हमारे एम0एल0ए0 ने कहा कि लो भैया आज ही हमको मार लो, यही तो वीडियो है। विधायक ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यह कहा कि मुझे आज ही मार लो। जब यह विधायक की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, विधायक, विधायक है चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। (श्री लाल जी वर्मा ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि किसानों पर जीप चढ़ाने वाला वीडियो यह आपको नहीं दिखायेंगे)। अभी तक आरोपी मंत्री बर्खास्त क्यों नहीं हुआ ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह पहली बार हुआ है कि किसी केन्द्रीय मंत्री का बेटा आज जेल में है। यह न्यायप्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण है। हिन्दुस्तान में आपको दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में हो। यह इसी सरकार में सम्भव था। यह न्यायप्रियता का जीता-जागता सबूत है।

(श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' व कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्यों के अपने आसन पर खड़े होकर बोलते रहने पर व्यवधान/शोर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह पहली दफा हुआ है कि जीप चढ़ाकर मार दिया जाये। यह इतिहास में कभी नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए, शांत रहिये। बैठे-बैठे टिप्पणी करने से समय बर्बाद होता है। माननीय राम गोविन्द जी अगर आपको कहीं टिप्पणी कहीं सुनाई दे तो उसकी उपेक्षा कर दीजियेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, भाजपा को समाजवादियों की लाल टोपी, लाल सिग्नल नजर आता है, विपक्षियों से खतरा नजर आने लगा है। अब देश की जनता उन्हें रौंदकर आगे नहीं जाने देगी वह भाजपा के मुखौटे को पूरी तरह से समझ चुकी है।

वह लोग जिनके कभी वायदे सच नहीं निकले,
वह आज वायदे निभाने की बात करते हैं।
धंसे थे कल दलदल में, वहीं अब तक,
और आसमां पर जाने की बात करते हैं।।

आप कह रहे हैं कि फिर आयेंगे, फिर आयेंगे तो लोग लाठी ले करके दौड़ा लेंगे, आपको आने देंगे ? आप फिर कैसे आयेंगे ?

माननीय अध्यक्ष जी, इस अनुपूरक बजट से जनता को कोई लाभ नहीं है। गरीब, किसान, दलित, मध्यम वर्ग, युवा वर्ग, शिक्षित बेरोजगार, नवयुवक तथा प्रबुद्ध वर्ग को निराश और हताश करने वाला बजट है।

मिला था बहार-ए-चमन आपको,
मगर आपने क्या से क्या कर दिया,
गुलजारे चमन को आपने पतझड़ बना दिया।।

माननीय अध्यक्ष जी, पूरा प्रदेश सूना हो गया, हर तरफ त्राहिमाम-त्राहिमाम, त्राहिमाम-त्राहिमाम, गला छुड़ाओ, गला छुड़ाओ हो रहा है। अब बाकी क्या है कि समाजवाद को गाली दो, गुण्डा कहो, अपराधी कहो, आतंकवादी कहो। यह संसदीय भाषा नहीं है, इस भाषा का वही प्रयोग कर सकता है, जिसके अन्दर वह सारी चीजें हों। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा लोक सभा के बाद दूसरी विधान सभा है। एक से एक लोग आकर उस आसन पर बैठे हैं और इस आसन पर भी बैठे हैं, लेकिन जिनको संसदीय शब्द मालूम न हों, जिनको संसदीय की परिभाषा मालूम न हो, जिनको संसद और विधान सभा में बोलने का ढंग न हो, जिनको जनता की इच्छाओं को पूरी करने का ढंग न हो, ऐसे आदमी विपक्ष पर उंगली उठाकर गुण्डा,

आतंकवादी कहेंगे, यह कोई शब्द है इसीलिए अब जनता ने मान लिया है कि राजनीति से इन लोगों का कोई लेना-देना नहीं है। यह जनता के द्रोही हैं, प्रदेश के द्रोही हैं, देश के द्रोही हैं। सारा देश बिकता जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, पूँजीपतियों की पूँजी बढ़ती जा रही है। लोग असहाय होकर कराह रहे हैं। ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार कभी देखने को नहीं मिली, इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूँ और आपने जो हमको समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने बनियों के खिलाफ गलत बोला है। बनिया जाति से है, उनका व्यवसाय है। पहले जो इन्होंने कहा है कि बनिया, बनिया, बनिया तो भामाशाह होना चाहिए, बनिये भाई को जानना चाहिए। इन्होंने गलत बोला है, बनियों के खिलाफ बोला है, आप व्यापारी के खिलाफ बोल सकते हैं। बनिया जाति के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। हम इसका विरोध करते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बनिया नहीं, पूँजीपति कहा था।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये आपकी बात आ गयी है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

आपने बनिया शब्द गलत बोला है। आप व्यावसायी के खिलाफ बोलिये, लेकिन बनिया जाति के खिलाफ गलत बोला है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है। आप बैठ जाइये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, इसको कार्यवाही से निकलवा दीजिये।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूंजीपतियों के लिए कहा था और पूंजीपति किसी भी जाति का हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी है, आप बैठ जाइये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह शब्द नहीं कहा है और अगर कार्यवाही में हो तो उसको निकलवा दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह अपने आप में घोर आपत्तिजनक है, इसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाये। जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, यह अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूंजीपति कहा है। आप कार्रवाई दिखवा लीजिये। पूंजीपति कोई जाति नहीं होती है। मैं कभी अपशब्द नहीं बोलता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपका विषय आ गया है। अब आप बैठ जाइये।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

सेन्ट्रल कैफेटेरिया में सभी सदस्यों के लिए अध्यक्ष जी की तरफ से मध्यान्ह भोजन की सूचना

श्री अध्यक्ष-

आज इस सत्र का भी अंतिम दिन है और संभवतः हमारी विधान सभा की बैठक का भी तो मेरी ओर से अध्यक्ष की तरफ से सेन्ट्रल कैफेटेरिया में आप सबके लिए 01:00 बजे से भोजन की व्यवस्था है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आज आप फ्री कर दीजिये जो जितना बोल पाये, बोल ले।

श्री अध्यक्ष-

आप का तो फिर नम्बर ही नहीं आयेगा।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप हमें नम्बर दे देंगे तो हमारा नम्बर आ जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें समय निर्धारित कर दें। मैंने उस दिन भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि जो माननीय नेता विरोधी दल हैं उनके लिए तो असीमित समय है लेकिन बाकी लोगों के लिए समय निर्धारित कर दें।

कोरोना काल में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के रोके गये नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता एवं अन्य भत्तों की बहाली की माँग

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात छूट गयी थी। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पूर्व से मिल रहे नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता और अन्य भत्ता जिन्हें कोरोना काल में रोक दिया गया था। इन समस्त भत्तों को कर्मचारियों के हित में पुनः बहाल किये जाने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ। कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उनके जीवन निर्वाह का एकमात्र सहारा होता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाये और सभी कर्मचारियों को पेंशन प्रदान की जाये। उत्तर प्रदेश के हजारों ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी भर्ती का विज्ञापन, परीक्षा संचालन और परिणाम की प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 के पूर्व पूर्ण हो चुकी थी। विभागीय प्रशासनिक किन्हीं कारणों से नियुक्ति 1 जनवरी 2010 के बाद मिल सकी। चूंकि इस विलम्ब का कारण कर्मचारी नहीं है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे सभी कर्मचारियों, शिक्षकों को 1 जनवरी 2004 के बाद पूर्व की भांति पेंशन सुविधा प्रदान की जाये।

अध्यक्ष ने दलीय नेताओं के भाषण हेतु 10 मिनट का समय निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद और सभी माननीय अन्य नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि वह अपनी बात दस मिनट में समाप्त कर दें।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने सरकार द्वारा रखे गये अनुपूरक बजट पर मुझे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया। चूंकि आपके द्वारा समय की बाध्यता भी दी गयी है। इसलिए मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राम गोविन्द चौधरी जी द्वारा अनुपूरक पर विस्तार से जो बातें रखी गयी हैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी बहुत संक्षेप में दो-चार बातों पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ क्योंकि कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस वाक्य से शुरू किया उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी का जो सेन्टेंस था कि हमने संविधान दिवस जिस दिन था, उस दिन हमने बहत्तर घंटा सदन चलाया लेकिन विपक्ष का उसमें कोई सदस्य मौजूद नहीं था। दिखाने में और करने में बड़ा फर्क है। मैं इसी बगल की चेयर से जिन्होंने संविधान लिखा है उनका इस मण्डप में तैलीय चित्र लगाने के लिए पाँच सालों से लगातार मामला उठाता रहा और हमेशा आप की पीठ निर्देश भी दिया जाता रहा है कि यह बात बहुत सही है कि जिन्होंने हमें विश्व का सबसे बड़ा और अच्छा संविधान दिया है उनका तैलीय चित्र गाँधी जी के सामने वाले खाने में होना चाहिए लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि कहीं न कहीं यह सरकार की

उदासीनता है कि इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया अथवा सरकार को उसमें कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है और जिनके संविधान पर आज इस सदन में हम चर्चा करते हैं उनके साथ भेदभाव करना बिलकुल भी उचित नहीं है।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने इस अनुपूरक बजट भाषण में कल बहुत सारी बातों का उल्लेख किया। जो विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, सबमें बढ़ोत्तरी की बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि 500 से 1000 कर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, यह बात हम लोग बहुत पहले से उठाते रहे हैं, लेकिन चूंकि अब मैक्सिमम केवल 15 से 20 दिन रह गये हैं और आप कह भी रहे हैं कि यह हमारा अन्तिम सत्र भी है और वास्तव में अन्तिम है भी और हम लोग आज सदन के अन्तिम दिन में भी हैं तो मुझे लगता है कि यह सरकार अगर पाँच साल से थी और यह काम हम अगर और पहले करते तथा सरकार आते-आते जिस तरह से और चीजों की घोषणा की गयी तो अगर यही घोषणा पहले कर दी जाती तो काफी लाभ होता। मा0 अध्यक्ष जी, उसमें कुछ चीजें ऐसी छूट गयीं जैसे हमारे शिक्षा मित्र, उन्होंने जरूर इस बात को कहा कि हम शिक्षा मित्रों का भी ख्याल रख रहे हैं। शिक्षा मित्रों से आज जो काम लिया जाता है, प्राथमिक पाठशालाओं में जो हमारे अध्यापक हैं, उनकी बराबरी का उनसे काम लिया जाता है। सबसे अधिक आप देखें कि जहाँ भी जरूरत होती है, गांव में वोटर लिस्ट बनानी हो तो, बी0एल0ओ0 बनाना हो तो, हर जगह शिक्षा मित्र का उपयोग किया जाता है और उनको हम मानदेय कितना देते हैं, मात्र दस हजार रुपये। यह अभी हाउस में नहीं आया, बढ़ गया होगा तो आपके पास आया होगा, लेकिन अभी हाउस की प्रापर्टी नहीं बनी है। वह अभी मात्र दस हजार रुपया है। आज की तिथि में जब मैं बोल रहा हूँ, आप घड़ी की सुई देख लीजिये, 12 बजकर 40 मिनट तक अभी उनका मानदेय दस हजार रुपया ही है। अभी वह हाउस की प्रापर्टी नहीं बनी है, लेकिन कितनी खुशी से बता रहे हैं और कितनी उमंग से बता रहे हैं कि दो हजार बढ़ गया यानी शिक्षा मित्र का मानदेय दस हजार से बारह हजार करके कितनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं।

(सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के बीच में टोकाटोकी करने पर)

अरे पहले आप सुन लीजिये, बीच में बोलना जरूरी नहीं है। जब आप अपनी वोटर लिस्ट को सुधरवाने के लिए गांव में जायेंगे तो शिक्षा मित्र आपसे पूछेंगे कि दिन भर मजदूरी करने वाला व्यक्ति जितनी मजदूरी पाता है उससे भी कम हमें मानदेय दिया जा रहा है। और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जब हम उनसे अध्यापक के बराबर काम ले रहे हैं, हमारे अध्यापक जो काम कर रहे हैं वही काम हमारे शिक्षा मित्र भी कर रहे हैं तो फिर हम उनके साथ यह भेदभाव क्यों कर रहे हैं ? मुझे तो लगा था कि आपको चुनाव में जाना है तो सरकार का यह खजाना शिक्षा मित्रों के भी काम आ जाता, लेकिन आप केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं।

अगर आप केवल दो हजार बढ़ाने को कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह उनको अपमानित करने के सिवाय कुछ नहीं है।

मा0 अध्यक्ष जी, इसी तरह से जो शिक्षा प्रेरक हैं उनका 30 से 40 माह का लगभग 665 करोड़ 441 लाख रुपये मानदेय आज तक बकाया है। अब आप बताईये कि हम अनुपूरक लेकर आ रहे हैं। हमें अनुपूरक ऐसी चीजों को लेकर आना चाहिए जिसकी आवश्यकता हो। हमें उस विभाग का अनुपूरक नहीं लाना चाहिए जिस विभाग का बजट अभी खर्च ही नहीं कर पाये हों। जिस विभाग का बजट अभी हम लोगों ने बजट सत्र में पास किया है उसका हम 25 प्रतिशत तक खर्च नहीं कर पा रहे हैं उस विभाग को भी हम बजट दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे यह शिक्षा प्रेरक अपने बकाये को लेकर परेशान हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, इसी तरह से कल हमने सुना कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने कई चीनी मिलों की घोषणा की है कि हम कई और चीनी मिलों को अपग्रेड करने जा रहे हैं, चलाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह से भेदभाव हो रहा है कि हमारे बलिया जिले से भी सरकार में दो-दो मिनिस्टर हैं यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और बलिया जनपद में उद्योग के नाम पर मात्र एक चीनी मिल है और वह भी सरकारी चीनी मिल है, लेकिन उस चीनी मिल का दुर्भाग्य है कि वह चीनी मिल रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में पड़ती है जहाँ से बहुजन समाज पार्टी का विधायक आता है। हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी गन्ने की पैदावार होती थी और पूरे जिले के लोग अपने गन्ने की पैदावार करके उस चीनी मिल को गन्ना बेचते थे, लेकिन लगभग 6-7 वर्षों से वह चीनी मिल आज तक बन्द है। हर बार जब भी सत्र आहूत होता है तो मैं इस बात को बेबाक तरीके से कहता हूँ कि भेदभाव न किया जाये। चीनी मिल किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है।

मा0 अध्यक्ष जी, उसमें गन्ना आयेगा, उसके बाद खाते में पैसा आयेगा वह विधायक के खेत का नहीं आयेगा। हमारे गाजीपुर का एक बड़ा हिस्सा देवरिया का एक बड़ा हिस्सा इस जनपद के अधिक क्षेत्रफल का गन्ना मिल में जायेगा, लेकिन उसको चलाने की बात नहीं की गयी। जब सरकार ने कहा था कि हमारे पास जमीन की कमी है तो मैंने कहा कि आप अपनी कैबिनेट से संशोधन कर दीजिये। जमीन के अभाव में 100 एकड़ के पास कटाई मिल की जमीन खाली पड़ी है, आप उसको कराईये, सरकारी जमीन है। मैंने एक विधायक के नाते कहा कि मेरी सिटी में 30 बीघा जमीन है मैंने कहा कि उस जमीन को आप हमसे फ्री में ले लीजिये उस जमीन को बेच करके वहाँ पर मेडिकल कालेज बनाइये। मा0 अध्यक्ष जी हम लोग गांव में रहते हैं, वहां पर जाते हैं, जिले में मेडिकल की कोई समस्या आती है तो उन्हें बनारस या गोरखपुर जाना पड़ता है, बनारस या गोरखपुर पहुंचने में लोगों को लगभग 5 घंटे का समय लग जाता है। यदि कोई ट्रामा का केस होता है तो उसे डेढ़ से दो घंटे के अन्दर अस्पताल पहुँच कर इलाज मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता है। किसी को हार्ट अटैक पड़ता है

यदि उसे जल्दी इलाज मिल जाये तो उसे बचाया जा सकता है लेकिन हमारे यहाँ लोग बनारस या गोरखपुर के लिए मरीज लेकर निकलते हैं और रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है लेकिन इसको कहीं भी इस अनुपूरक बजट में नहीं लाया गया है। अनुपूरक का मतलब यही होता है कि मुख्य बजट में जो चीजें छूट जायें, जो चीजें भूल जायें उनको हम अनुपूरक में ले आयें। कृपया करके आप उत्तर प्रदेश की जनता की जो आवश्यकतायें हैं, उन्हें पूरा करें। मा0 अध्यक्ष जी कल हमने पुरानी पेंशन पर अपनी बात उठायी थी, हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हम तो कर्मचारियों को लाभ दे रहे हैं। बाहर निकलने पर राज्य कर्मचारी कहते हैं कि यदि आप हमें लाभ दे रहे हैं तो हमारे संवर्ग के जो 2004 से बाद के जो कर्मचारी नियुक्त हैं, उनको लाभ नहीं दे पा रहे हैं, उनका यह भी कहना है कि यदि आप हमें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दे रहे हैं तो क्यों न माननीय सांसद, माननीय विधायक एवं मा0 एम0एल0सी0 जो वर्ष 2004 के बाद हुए हैं उनको भी नई पेंशन व्यवस्था से जोड़ा जाये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यदि आपको लगता है कि नई पेंशन व्यवस्था बेहतर है और यदि राज्य कर्मचारियों को संतुष्ट करना है तो आपको इस विधान सभा से बिल पास कराकर सभी जगह भेजना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में आने वाले मा0 सांसद, मा0 विधायक एवं मा0 एम0एल0सी0 इन सबको भी नई पेंशन में शामिल किया जाये, ताकि हम भी बाहर जवाब दे सकें। लेकिन हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हम तो कहेंगे ही कि हम तो विधान सभा में बात उठा रहे हैं लेकिन सरकार कान में रुई डाले बैठी है तो हम क्या कर सकते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, इसी तरह से अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा, नियुक्ति की बात आई सब लोग अपने-अपने गुणगान गा रहे हैं, आपका भी कहना है कि हमारा 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, जनता देख रही है और मुझे याद है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में बहन सुश्री मायावती जी द्वारा उस समय की गई नियुक्तियों को रोका गया था। उस समय की गई भर्तियों पर न तो मा0 उच्च न्यायालय ने न ही मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं कोई टिप्पणी नहीं की, न कोई उंगली उठायी। सारी नियुक्तियां वैध पायी गयीं, कहीं कोई नहीं कह सकता, विपक्ष तो उस समय भी था लेकिन विपक्ष एक भी नियुक्ति पर उंगली उठाने को तैयार नहीं था। आज उसका अनुसरण तो हो रहा है लेकिन कहीं न कहीं उसमें भेदभाव हो रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से लॉ एण्ड आर्डर की बात करूँगा। लॉ एण्ड आर्डर किसी से छिपा नहीं है। मा0 नेता प्रतिपक्ष हमारे गार्जियन भी हैं और हम दोनों लोग बलिया से आते भी हैं। मा0 अध्यक्ष जी लॉ एण्ड आर्डर के लिए मुझे लगता है कि आपका भी राजनीति में बहुत लम्बा कार्यकाल रहा है इस नाते यदि आपसे व्यक्तिगत कोई पूछे तो उत्तर प्रदेश का हर एक आदमी यही कहेगा कि लॉ एण्ड आर्डर के मामले में बहन सुश्री मायावती से बढ़िया कोई मुख्य मंत्री नहीं रहा है, यह हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के हैं। आज भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी

के किसी भी व्यक्ति से पूछा जाय तो इस बात को लोग स्वीकार करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी इसी तरह की दो-तीन और समस्याएं हैं।

श्री अध्यक्ष-

क्या वर्मा जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे ?

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, वर्मा जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे क्योंकि वह भी बहुजन समाज पार्टी के अंग थे। मा0 अध्यक्ष जी, कल धान क्रय की बात कर रहे थे।

अध्यक्ष जी, मैं अपने जिले की बताना चाहूँगा क्योंकि इस तरह की हर जगह समस्या है। हमारे यहां क्रय केन्द्र खुले। परसों हमारे यहां मिलर एसोसिएशन से लोग आये थे। वहाँ पर उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने जिस तरह से गुमराह कर दिया है कि वे सारे मिलर यहाँ लखनऊ में घूम रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, धान किसानों की बात है मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा मैंने कल खाद्य आयुक्त से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों ने हमसे अनुमति मांगी है। इसकी जरूरत नहीं थी यह उनको वहीं से दे देना चाहिए था। मैंने मिलर के सामने बात की थी। मैंने कहा कि अगर आपके पास भेज ही दी है तो कहने लगे कि हमने आयुक्त से अनुमति मांगी है तो मैंने कहा कि आप कम से कम फोन करके डांट दीजिये। जिस बात की जिम्मेदारी तुम्हारी है जो पावर तुम्हारे पास है वह मेरे पास क्यों भेज रहे हो। मुझे लगता है कि इस तरह की समस्या लगभग हर जिले में होती है। हमारे जिले में केन्द्र खुले हैं लेकिन मिलर वहाँ नहीं जा रहा है। हमारे सरकार के फैसले के खिलाफ कुछ ड्यूज लगाये गये थे, कुछ मिलर उसमें हाई कोर्ट चले गये थे जिसमें बलिया जनपद का केवल एक मिलर गया था बाकी सारे मिलरों ने अपना पैसा भी जमा कर दिया था। नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिये लेकिन अभी उनको उस दायरे में नहीं लाया जा रहा है। मुझे लगता है अध्यक्ष जी अगर इसमें आपकी व्यवस्था मिल जायेगी तो बहुत बड़ा कल्याण हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक और सुझाव दूंगा जो मेडिकल कालेज हम नहीं खोल पा रहे हैं अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो हाई-वे के एक्सीडेन्टों का हवाला दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे हाई-वे बन रहे हैं उसमें पड़ने वाली जितनी सी0एच0सी0 हैं सबमें सरकार को एक मुहिम चलाकर अगर छूट गया है, तो वह ले आना चाहिए कि सभी में ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराई जाये। अध्यक्ष जी, आपने अनुमति दी है, महँगाई पर भी एक मिनट बोल लें। महँगाई किसी से छिपी नहीं है। संक्षेप में हम बोलेंगे जो सरकार कर सकती है, जो इनके अधिकार क्षेत्र का है, उतना ही है। सरकार इसमें सिफारिश भेज सकती है। जब हम जी0एस0टी0 लाये तो जी0एस0टी0 का विरोध हुआ तो सरकार की तरफ से आया कि बहुत ही परिपक्व दर पर जी0एस0टी0 को लाया गया है। 200 बार जी0एस0टी0 काउन्सिल की बैठक हो चुकी है। उसमें 200 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। अगर इतना परिपक्व होकर जी0एस0टी0 आयी थी तो

उसमें संशोधन की क्या आवश्यकता पड़ी और अगर हम जी0एस0टी0 लाये तो जो जनता के हित से सीधा जुड़ा हुआ है। डीजल और पेट्रोल अब इसको जी0एस0टी0 पर क्यों नहीं ला रहे हैं। अध्यक्ष जी, डीजल और पेट्रोल पर हम कह देते हैं कि आयात करते हैं। जी0एस0टी0 हम यहाँ लेते हैं आप वैट ले रहे हैं जी0एस0टी0 लगायें। हमारा लगभग 50 प्रतिशत कम हो जायेगा। सरकार के पास कमाने के लिए रेवेन्यू के लिए राजस्व के बहुत सारे स्रोत हैं। यह स्रोत जिससे सीधे किसानों को, आम आदमी को लाभ होता है उसको अगर जी0एस0टी0 पर जोड़ते हैं मुझे लगता है कि सरकार को चुनाव में जाकर मन से ताली बजवाने में भी मजा आयेगा। अध्यक्ष जी, आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा की बातों का समर्थन करते हुए आपके समक्ष इस सरकार द्वारा विधान सभा के चूंकि यह आखिरी सत्र है प्रस्तुत अनुपूरक बजट झूठ, जुमले, कोरे वायदे जहां से 2017 में शुरू हुए थे आज वहीं पर समाप्त हो रहे हैं, केवल और केवल कागज पर बजट बनता गया और खत्म होता गया और अन्त में यह अनुपूरक बजट भी इसकी जीती-जागती मिसाल है। माननीय वित्त मंत्री जी ने 8479 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधान सभा में पेश किया। इसमें विशेष किसान बुजुर्ग और पेंशन सहित प्रदेश के कई हिस्सों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने जैसे मदों में वित्तीय आवंटन किये गये। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अनुपूरक बजट इसलिए लाया जाता है पिछले किसी अभाव में अगर विकास के कार्य रुक गये हों लेकिन जो डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार 50 प्रतिशत से भी ज्यादा विभाग अभी पैसा खर्च नहीं कर पाये हैं तो अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता क्या थी। जब पिछला बजट ही खर्च नहीं किया गया है और अनुपूरक फिर से ले आये हैं और दूसरी बात यह है कि अब चुनाव में कुछ ही अल्प समय बचा है क्या सरकार ने कोई योजना तैयार की है। जब पिछला बजट बाकी है और इस अनुपूरक बजट लाने की क्या आवश्यकता थी। सबसे बड़ी घोषणा कल की गयी थी इस बजट में जो वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 4 हजार करोड़ असंगठित सेक्टर में दिया जायेगा। आज याद आ रही है इनको असंगठित सेक्टर की दो साल से लगातार जब कोरोना की मार से पूरे उत्तर प्रदेश के मजदूर, गरीब, असंगठित रेहड़ी वाले छोटे दुकानदार परेशान थे। जब कोरोना ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उनके घरों में खाना खाने के लिए पर्याप्त धन नहीं थां। भुखमरी की कगार पर थे। तब कांग्रेस पार्टी इस मांग को उठा रही थी कि सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए और उनको दोबारा उसे खड़ा होने के लिए सरकार को धन देना चाहिए। बेरोजगारी चरम पर होने के बाद सरकार ने उनके बारे में नहीं सोचा। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। आज चुनाव करीब है इसलिए उनकी याद आयी है और किस तरह का आपने उनको अनुदान दिया बस 500 रुपये प्रतिमाह कम से कम यह तो सोच लेते कि महंगाई कितनी

चरम पर है। गैस सिलेण्डर के दाम 900 पार पहुंच गये हैं और डीजल, पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच गया है। अब चुनाव आ गया है तो कुछ दाम कम कर दिये गये हैं पर याद कीजिये दो साल में इस गरीब आदमी पर कितना बोझ पड़ा है। आज अरहर की दाल हो, तेल हो, सब्जी हो, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार ने बस पाँच सौ रुपये प्रतिमाह इनको देने का वादा किया है। मैं मानती हूँ कि गरीब की गरीबी के साथ इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता है। मानदेय बढ़ाया आशा का आंगनबाड़ी यह बहुत अच्छी बात है पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ तब कहां थी सरकार की संवेदनशीलता जब इन्हीं आंगनबाड़ी बहुओं पर, शिक्षा मित्रों पर, अनुदेशकों पर, पी0आर0डी0 के जवानों पर जब सरकार लाठियां बरसा रही थी जब यह अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे तब कहां थी सरकार की संवेदना। अब चुनाव आ गया है तो इनको छोटी सी राशि देने का प्रयास किया है सरकार ने और इनको बहकाने का काम किया है सरकार ने और यह गरीबों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। यह सरकार किसान की बहुत हितैषी बनती है लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को छला है तो इस सरकार ने किसानों को छला है। बिजली का जो बिल है कोरोना काल में बढ़ता चला गया और कर्ज माफी का सबसे बड़ा धोखा अगर किसी सरकार ने करा है तो वह भारतीय जनता पार्टी ने करा है। कर्ज माफ किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया था 72 हजार करोड़ का एकमुश्त सभी किसानों का कर्ज माफ किया था।

माननीय अध्यक्ष जी, 70 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात सरकार ने की थी। कल इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी का खुद का बयान आया है कि पिछले साढ़े चार साल में केवल चार लाख रोजगार सरकार दे पाई है। जब बेरोजगार नौजवानों ने रोजगार पाने की लड़ाई सड़कों पर लड़ी तब उसको बदले में क्या मिला। उसको बदले में मिला पेपर लीक, उसको बदले में मिला घोटाला, भ्रष्टाचार, पुलिस की लाठियां और मुकदमे। अरे कम से कम उन बेरोजगार नौजवानों को सरकार बेरोजगारी भत्ता तो दे देती। कल यहाँ पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत जोर-शोर से कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना लाये हैं, हम महिलाओं के इलाज के लिए पाँच लाख रुपये की बहुत बड़ी योजना लाये हैं, अच्छी बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से सवाल पूछना चाहती हूँ कि कहाँ थी यह सरकार जब हाथरस की बेटी और उन्नाव की बेटी के साथ जुल्म हो रहा था। उस समय सरकार क्यों चुप थी और वह किसको बचाने की कोशिश कर रही थी। बेटियों को केवल संवेदना नहीं चाहिए। बेटियों को उनका अधिकार चाहिए और अधिकार अगर कोई देगा तो वह कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी बेटियों को 40 परसेंट टिकट देकर उनको अधिकार देगी। हमने महिलाओं के 40 परसेंट प्रतिनिधित्व की बात की है। अगर भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के अंदर इच्छाशक्ति है तो 40 परसेंट न सही, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम उसका आधा, 20 परसेंट तो टिकट देने की बात करे।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों ने कहा कि हम 33 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं।)

मान्यवर, 33 परसेंट आरक्षण केवल पंचायत में है, जबकि मैं यहां पर विधान सभा की बात कर रही हूँ। मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि अब कांग्रेस पार्टी के राज में बेटी पढ़ेगी भी, बेटी लड़ेगी भी, बेटी जीतेगी भी और बेटी कानून भी बनायेगी। मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है और सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वह मध्यम वर्ग ही प्रभावित हुआ है। कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में शायद ही इस सदन का कोई ऐसा सदस्य होगा जिसने कोरोना के संक्रमण से अपने परिवार के किसी सदस्य को न खोया हो। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की सड़कों में, राजधानी में लोगों को आक्सीजन और इलाज के अभाव में सड़कों पर दम तोड़ते देखा है, फिर भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। आपने नमामि गंगे योजना की बात की है, गंगा माँ ने जिनको बुलाया था आपने उनकी बात की है, पर शर्म नहीं आई जब कोरोना काल में मां गंगा के आंचल में लाशें तैरती दिखाई दे रही थीं। माँ गंगा का सीना चीरकर लाशों को दफनाया गया, तब सरकार को शर्म नहीं आई। कोरोना काल में कितनी अधिक अव्यवस्था थी यह पूरे देश और दुनिया ने देखा है। आज महंगाई चरम पर है। माननीय अध्यक्ष जी, यह आंकड़े अभी-अभी मेरे पास आये हैं और यह मेरे अपने आंकड़े नहीं हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की लाइब्रेरी से मिले यह आंकड़े हैं जिसके अनुसार पिछले दो वर्षों में बेरोजगारी 7.2 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत बढ़ी है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया अब आप समाप्त करिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर विषय है। सरकार को बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए था। हमने लगातार इस सदन में इसकी मांग रखी है। प्रदेश में संविदाकर्मी और तदर्थ शिक्षकों की संख्या लाखों में है, लेकिन उनके बारे में भी सरकार ने इस बजट में कोई प्राविधान नहीं रखा है। मैं मानती हूँ कि चाहे कोरोना काल का समय रहा हो या रोज की स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बिना संविदाकर्मी के संचालित नहीं हो सकती है। शिक्षा की व्यवस्था बिना तदर्थ शिक्षक के पूरी नहीं की जा सकती है। उनके बारे में सरकार को इसमें जरूर कुछ रखना चाहिए था। मा0 अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि उनको भी जाना है। मैं विधायकों के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। मैंने तो सोचा था कि मा0 मुख्य मंत्री जी अंतिम समय है, महंगाई सभी के लिए है, विधायकों के लिए भी है। अंतिम वर्ष है क्षेत्र के लिए कुछ लेकर जायेंगे। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं हम इनसे अनुरोध करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री जी से बात कर लीजिये। अपने भाषण में विधायकों को भी कुछ ऐसा उपहार दे दीजिये कि क्षेत्र में जाकर हम सब लोग दोबारा जीतकर वापस आयें और मा0 मुख्य मंत्री जी ने विधायक निधि, सड़क और दो-दो सौ हैण्डपम्प देने का वायदा भी किया था। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि राम राज्य की बात कही गयी। किस राम राज्य की

बात कर रहे हैं जिसमें बेटियों को जिन्दा जलाया जाता है वह राम राज्य चाहिए। वह राम राज्य चाहिए जब माँ गंगा में लाशें तैरती हों। बेरोजगारों को लाठियां मिलती हों, वह राम राज्य चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई जाती हों और आज भी एस0आई0टी0 की रिपोर्ट आने के बाद भी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह शर्मनाक है। सबसे बड़ा धोखा किसानों के साथ, उन शहीद किसानों के परिवारों के साथ सरकार ने किया है, जो लखीमपुर की घटना है उस पर सरकार की तरफ से कोई न कोई आश्वासन आना चाहिए और जो विधायकों की माँग है उस पर मा0 अध्यक्ष जी आपकी पीठ से कोई निर्देश चला जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 खन्ना जी, आपका पूरा विवरण नोट कर रहे हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, जो पूर्व विधायक हैं उनकी भी पेंशन को बढ़ाने की बात आपके समक्ष हुई थी और मुझे लगता है कि इस पर सबकी सहमति भी थी तो उस पर चर्चा कर लीजिए। आपने मुझे अनुपूरक बजट पर बोलने का मौका दिया और मेरा सुझाव भी है कि बाकी सदस्यों को भी अगर थोड़ा-थोड़ा बोलने का मौका मिल जाये तो यह बहुत अच्छा रहेगा। सभी मा0 सदस्य जो यहाँ बैठे हैं आपके माध्यम से मैं सबको बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती लीना तिवारी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी पार्टी अपना दल (एस) की तरफ से इस अन्तरिम अनुपूरक बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। हमारा यह बजट लगभग 08 हजार 500 करोड़ रुपये का है। हमारा यह अभूतपूर्व बजट सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः पर आधारित है। आदरणीय अध्यक्ष जी, खासतौर से उत्तर प्रदेश का यह विधान मण्डल पहला विधान मण्डल था जिसने यू0एन0 के द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर एक लम्बी और समृद्ध चर्चा को आगे बढ़ाया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती के कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। संविधान दिवस का यह कार्यक्रम पहली बार मनाने का कार्यक्रम हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है उस उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के साथ जुड़ने का अवसर रहा हो या फिर इस दौरान उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को लेकर जो भी कदम उठाये गये हैं उन सबको लेकर रहा हो।

मान्यवर, यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण और रोचक रहा है। इन पौने पांच वर्षों में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास किया है। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत फ्री में विद्युत कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है, गरीबों के घरों में रसोई

गैस व के चूल्हे जल सके, इसमें भी उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। प्रदेश के अंदर सूक्ष्म, लघु, मध्यम-उद्यम में उद्योग प्रोत्साहित करने में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है और यही नहीं, प्रदेश के अंदर उन तमाम किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। देश के अंदर उन सभी योजनाओं में लगभग 50 से अधिक ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले 35वें के क्रम को तोड़कर 15वें स्थान से कभी-भी नीचे आता ही नहीं था, आज वही उत्तर प्रदेश देश की उन सभी योजनाओं में नम्बर एक की लड़ाई लेकर चल रहा है। नम्बर एक पर अपनी बढ़त बनाये हुए है। चाहे वह कोरोना टेस्टिंग देने में नम्बर एक पर है, वैक्सीन देने में नम्बर एक पर है और अन्य योजनाओं को सफलतापूर्वक हर एक गरीब तक पहुँचाने में भी नम्बर एक पर है। मैं एक महिला होने के नाते अगर महिलाओं के विषय पर हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद न दूँ तो यह मेरी गुस्ताखी होगी। कल हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने महिलाओं के लिए घोषणा की कि जो गरीबी रेखा के नीचे महिलाएं हैं उनके इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के पाँच लाख से अतिरिक्त जो उपचार के लिए पाँच लाख की व्यवस्था दी है मैं उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश की सारी बहनों की तरफ से आदरणीय मुख्य मंत्री जी एवं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देती हूं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में दिन-रात परिश्रम किया है। चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाकर हमारी केन्द्र और प्रदेश की सरकार ने यह दिखा दिया है कि हम कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं और यह साबित कर दिया है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं बल्कि राजनीति में धर्म का समावेश करते हैं। हम सब जनप्रतिनिधियों के लिए गौरव का विषय यह है कि हम सब भी इसके साक्षी हैं और काशी विश्व के प्रमुख दर्शनीय धार्मिक पर्यटक स्थलों में एक है और अब तो मथुरा की बारी है और आगे देखिये होता है, क्या। हमारी सरकार ने भूमाफियाओं एवं खनन माफियाओं को उनकी सही जगह पर पहुँचाने का काम किया है। इसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश एवं एक-एक जन माननीय मुख्य मंत्री जी एवं उनकी सरकार का आभार व्यक्त करता है। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कल जितनी भी घोषणाएं कीं और उन्होंने यह साबित कर दिया कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति भी सुखी, सम्पन्न एवं समृद्ध रहेगा। मैं अपनी पार्टी अपना दल की तरफ से बजट का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अनुपूरक बजट पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल हमारी पार्टी की मीटिंग थी इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को सदन में नहीं सुन पाया लेकिन मैंने शाम को माननीय मुख्य मंत्री जी का पूरा भाषण सुना और हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, पाँच साल से वादे पर वादे। कल मुझे बड़ी उम्मीद थी कि माननीय मुख्य मंत्री जब बोलेंगे तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो दो साल ग्यारह महीने से रद्दी की टोकरी में है, उसको लागू करने की घोषणा करेंगे, लेकिन उस पर घोषणा तो बाद की बात रही, उस पर चर्चा भी नहीं आ पाई और संसदीय

कार्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था। आपने भी इशारा किया था कि भाई इसको आप करिये लेकिन कल इस बात पर चर्चा नहीं हो पाई। यह अति पिछड़ों के साथ अति दलितों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूँगा कि आपने भी कहा था कि हम इसकी जाँच करा रहे हैं, पाँच साल बीतने जा रहे हैं, अब कितने दिन में जाँच करायेंगे। आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि अभी आचार संहिता लगने में भी हमको अंदाज है कि एक महीना है। पहले भी हो सकता है क्योंकि सरकार के इशारे पर होना है।

श्री अध्यक्ष-

यह सरकार के इशारे पर नहीं होता है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष, नेता बसपा और नेता कांग्रेस की कुछ बातों से अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ और उनके विचारों में अपने विचारों को जोड़ता हूँ। अपना दल के विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ, बहुत साफ बात है (अपना दल के मा0 सदस्य के बैठे-बैठे टोकने पर) आप मथुरा की बात करोगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम नौकरी की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम आपके विचार से कैसे सहमत हो सकते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, कम से कम इतना ज्ञान तो रखना चाहिए कि कोई बोले तो सदन की मर्यादा रखिये, खाली इतना ही कहूँगा। मा0 अध्यक्ष जी, सरकार जो अनुपूरक बजट लेकर आई है, मैं भी सड़क पर घूम रहा हूँ, बड़ी समस्या यहाँ सदन में जितने साथी हैं, सबकी है, पूरे प्रदेश की है। सड़क पर अन्ना पशु से दुर्घटनाएं हो रही हैं, अनुपूरक बजट में उससे निजात दिलाने के लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। अनुपूरक बजट में सरकार ने किसानों के गेहूँ, मटर, आलू के लिए कोशिश किया लेकिन वह असफल रही, आज बड़े पैमाने पर किसानों को क्षति हो रही है, उसको कैसे रोका जाये इसके लिए अनुपूरक बजट में कोई प्रावधान नहीं है। अभी जो गरीब, कमजोर वर्ग के बच्चे विद्यालय में जाकर पढ़ते थे, सरकार की तरफ से कोरोना काल में एक व्यवस्था दी गयी कि बच्चे घर में रहकर पढ़ेंगे लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि रिचार्ज इतना बढ़ता जा रहा है कि गरीब के बच्चे अपने घर पर स्मार्टफोन रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं, वह नहीं पढ़ पाएंगे। इसके लिए भी कोशिश करियेगा कि जो दाम बराबर बढ़ता जा रहा है उसको नियंत्रित किया जा सके। मान्यवर, बड़ी चर्चा राशन वितरण की हो रही है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि गरीबों की धोती खोलकर गरीबों के सिर पर बांधा जा रहा है। चार सौ रुपये का गैस सिलेण्डर नौ सौ रुपये तक पहुँचा दिया, पचास रुपये का सरसों का तेल दो सौ रुपया के पार हो गया, दोनों को अगर जोड़ दिया जाये लगभग साढ़े छह-सात सौ रुपया होता है और राशन कितने रुपये का सरकार दे रही है। बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, गरीबों के साथ कि हम राशन दे रहे हैं,

आज के पूरे अनुपूरक बजट और पिछले भी बजट मे देखा कि शिक्षा के सवाल पर पिछड़ों को ज्यादा से ज्यादा कैसे शिक्षित किया जाये, 52 प्रतिशत आबादी पिछड़ों की है लेकिन बजट शून्य के बराबर है। पिछला बजट भी मैंने देखा और आज का जो अनुपूरक बजट आया हुआ है, छात्रवृत्ति के सवाल पर भी जब-जब पिछड़े समाज की बात आ रही है तो सरकार के पास बजट नहीं है। इसका क्या कारण है ? पिछड़ों का वोट तो सबको चाहिए लेकिन पढ़ने वाले छात्रों को जब छात्रवृत्ति देने की बात आती है तो बजट नहीं रहता है और सरकार कानून-व्यवस्था का बड़ा ढिंढोरा पीटती है। मान्यवर, थानों पर जाति पूछकर गाली दी जा रही है, जाति पूछ करके मारा जा रहा है और जाति पूछकर एफ0आई0आर0 हो रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कानून-व्यवस्था ठीक हो, लेकिन दलित, कमजोर, पिछड़े, वंचित, इनके साथ अन्याय हो रहा है। जो हमने धरातल पर पाया, उस बात को हम आपके सामने रख रहे हैं और मैं फिर अनुपूरक बजट पर इस बात को कहना चाहूँगा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 14 तारीख को प्रधानों को बुलवाया था। मेरे चाचा भी प्रधान हैं, इस नाते मुझे सच्चाई मालूम है। माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम पंचायत अधिकारी 10 परसेंट कमीशन प्रधान से लेते हैं, बाबू 08 परसेंट लेते हैं, जे0ई0 07 परसेंट लेते हैं, संविदा का बाबू 02 परसेंट लेता है और अगर गाँव में काम न करिये तो 40 परसेंट कमीशन दीजिये और 60 परसेंट ले लीजिये, यही सरकार काम करवा रही है।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, जो सच्चाई है, उसको बता रहा हूँ। आप चिल्लाइये नहीं, आप कितना लेते हो ? पहला विधायक ओम प्रकाश राजभर है, जिसने हैण्डरेड परसेंट पैसा विकास में लगाया है। मैंने किसी विद्यालय या संस्था को पैसा नहीं दिया है, रिकार्ड उठाकर देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

यह आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, आप अपनी बात कहिये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हमारा मकसद सिर्फ यही है और मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूँगा कि महोदय जब आप बोलियेगा, अपने किये हुए वायदे पर जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर आपने कहा है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा है, उस पर जरूर प्रकाश डालियेगा। इसी बात को कहते हुए मान्यवर, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री लाल जी वर्मा-

अध्यक्ष जी, कुछ और माननीय सदस्यों को अवसर दे दें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आज तो अन्तिम दिन है, कुछ और माननीय सदस्य अपनी बात रख लें।

श्री अध्यक्ष-

समय कम है, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस अनुपूरक बजट के ऊपर हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। मान्यवर, पहले तो यह सवाल उठाया गया कि जो व्यवस्था है, आर्टिकल 205 में, जिस पर नेता बसपा ने भी कहा और उस बात के लिए खासतौर से इस पर नई मांगें नहीं लायी जा सकतीं। लेकिन मान्यवर, इसमें व्यवस्था यह है कि नई मांगें इसमें ला सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है। जो कान्टीनुअस स्कीम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए भी और नई मांगों को भी हम इसमें समावेश कर सकते हैं। इसमें मान्यवर, कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है। अगर आप कहें तो मैं इसको पढ़ दूँ कि अगर किसी नयी सेवा का अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पड़ती है तो उसे किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है कि हम कोई नई मांग नहीं ला सकते हैं। दूसरी बात मान्यवर, यह जो हमारा मूल बजट था, वह 5 लाख 50 हजार 270.78 करोड़ रुपये का था। पहला अनुपूरक हम 7301.52 करोड़ रुपये का लाये थे और दूसरा यह अनुपूरक हम 8479.53 करोड़ रुपये का लाये हैं और इसमें जो 7819.53 करोड़ रुपये की मांगें हमारी हैं। (इसी मध्य अपराह्न 01:23 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री नितिन अग्रवाल पीठासीन हुए।) 6 हजार 6 सौ 60 करोड़ रुपये की केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं जो केन्द्र सरकार से मिलने की आशा में हैं। मा0 राम गोविन्द चौधरी जी ने इस बात पर ज्यादा फोकस किया कि हमारा जो क्राइम रिकार्ड है, वह बहुत बड़ा अपराध हो गया है उत्तर प्रदेश में और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बोला। हम तो समझते थे कि यह ड्रामा एक घंटे में खत्म हो जायेगा, लेकिन कोई भी ड्रामा डेढ़ घंटे चलने पर कोई जम्हाई लेता है तो कोई अंगड़ाई लेता है और कई लोगों के तो झपकी भी आ गई और उसके बाद झेलना ही है तो झेल रहे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

महोदय, अंतिम समय में आप तो अपना कल्याण कर लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसा है एक वह चले गये जो टाईम बाउण्ड अपीलें किया करते थे, लेकिन टाईम बाउण्ड अपीलें स्वीकार नहीं होती थीं। मान्यवर, तीन आंकड़े हम आपके सामने रखना चाहते

हैं। आपने कहा कि अपराध के आंकड़े बढ़े हैं क्राइम रिकार्ड का आंकड़ा पता नहीं यह कहाँ से ले आये हैं। भारतीय दण्ड संहिता के वर्ष 2020 तक का उसमें रिकार्ड है और उत्तर प्रदेश का स्थान आई0पी0सी0 के मुकदमों में 2016 में इण्डिया का क्राइम रेट था 233.6 और उत्तर प्रदेश का था 128.7 यह 26वां स्थान था और वर्ष 2017 में 237.7 और हमारा उत्तर प्रदेश का स्थान था 139.3 यह 25वां स्थान था और वर्ष 2018 में 236.7 था इण्डिया का रेट और 153.5 था हमारा उत्तर प्रदेश का रेट 24वां स्थान था और वर्ष 2019 में 241.4 था और उत्तर प्रदेश का 153.3 था 26वां स्थान था और वर्ष 2020 में 155.1 है आई0पी0सी0 में और 24वां स्थान है क्राइम का। महिला उत्पीड़न का रिकार्ड वर्ष 2016 तक का रिकार्ड मेरे पास है और वर्ष 2016 में बलात्कार की इतनी घटनाएं थीं 3196 और इसी पीरियड में 01-01-2021 से लेकर 30-11-2021 तक 2190 हैं। इसमें 31 परसेंट की गिरावट आई है। यह रिकार्ड अभी आपको भेजे देते हैं। 2254 थी आपके समय में 1977 महिलाओं की बात की आपने। अपहरण के मामले आपके पीरियड में वर्ष 2016 की बात कर रहे 10703 थे और आज 8739 हैं जो आपको भेज देंगे और जो आपने एस0सी0, एस0टी0 की बात कही। यह तुलनात्मक अपराध है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

भूत रात को सताएगा आपको, झूठ मत बोलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ऐसा है हमारे ऊपर भूतों-ऊतों का कोई असर नहीं है, आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। मान्यवर, जो अभी तक हमने कार्रवाई की है कि महत्वपूर्ण अपराध जैसे डकैती, लूट, हत्या, बलवा, इनके जमाने में वर्ष 2016 में 240 थे, इस बार केवल 271 हैं। लूट, इनके जमाने में वर्ष 2016 में 3797 थीं, अब 1387 है। हत्या, इनके जमाने में 4330 थीं और अब 2997 हैं। बलवा, आपके जमाने में 7153 थे, अब 4240 है। फिरौती के लिए अपहरण, आपके जमाने में 52 थे, इस जमाने में 41 हैं। यह आंकड़े हम आपको भेज देंगे और माननीय अधिष्ठाता जी को भेज देंगे। अब जो कार्रवाई हुई, आप उसको सुन लें। मान्यवर, जो कार्रवाई की गई, उसमें आप एस0सी0-एस0टी0 के आंकड़े भी देख लें। एस0सी0-एस0टी0 के आंकड़े वर्ष 2019, 2020 और 2021 में लगातार कम हुए हैं। ये दिनांक 01-01-2021 से लेकर 30-11-2021 तक के पीरियड के हैं, यानी इसी 11 महीने के बताये गये हैं। मान्यवर, एस0सी0-एस0टी0 की हत्या में कमी आयी है, ये आंकड़े वर्ष 2019 में थे 183, 2020 में थे 190 और 2021 में 174 हैं। इसी तरह से आगजनी में वर्ष 2019 में 21 थे, 2020 में 18 थे और 2021 में 7 हैं। बलात्कार में 477 थे और उसके बाद 477 हैं, इसमें बराबर हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। गम्भीर चोटों में आंकड़ा 276 था, अब 290 है, इसमें थोड़ी सी वृद्धि है। मान्यवर, इस प्रकार जो हमने हर तरह के अपराध के खिलाफ

कार्रवाई की तो वह हमारे सामने है। मान्यवर, चिन्हित माफियाओं की कुल संख्या 3405 है जिसमें माफियाओं के खिलाफ पंजीकृत अभियोगों की संख्या 20157 है और जिनमें कार्रवाई हुई, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो ऐसे 2334 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें से 05 जो दुर्दान्त माफिया थे, उन लोगों की सम्पत्ति भी जब्त की गई। 25 माफिया व उसके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों के विरुद्ध कार्रवाई का अनुश्रवण कानून व्यवस्था के निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई करके लगभग 727 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति अभी इस बार जब्त की गई और 245 अभियोग पंजीकृत करके 284 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 77 के विरुद्ध गुण्डा एक्ट, 227 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, 60 के विरुद्ध एन0एस0ए0 की कार्रवाई की गई है और 256 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किये गये हैं। मान्यवर, यह सरकार जो पीड़ित पक्ष है, उसके साथ खड़ी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप जो आंकड़े पढ़ रहे हैं, वे दूसरे हैं। लेकिन क्राइम की सही रिपोर्ट एन0सी0आर0बी0 से आती है। एन0सी0आर0बी0 में सारे क्राइम रिपोर्ट होते हैं और आप आई0पी0सी0 और सी0आर0पी0सी0 की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जो लोकल होती है। मैंने जो आंकड़े पढ़े, वे आंकड़े एन0सी0आर0बी0 के हैं जो केन्द्र से आते हैं, जो केन्द्र के आंकड़े हैं। आप वे आंकड़े पढ़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिये हैं। जो आंकड़े आपकी गवर्नमेण्ट ने जारी किये हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आज किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा मापदण्ड लोक दृष्टि है। तो आज पब्लिक परसेप्शन क्या है ? पब्लिक परसेप्शन यह है कि जब इनकी सरकार थी तो लोग यह कहते थे कि खन्ना जी ये स्थिति है। (मा0 सदस्य अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा बीच में टोकाटोकी करने पर) आप बीच में मत बोलिए। मान्यवर, उस समय पब्लिक परसेप्शन यह था और लोग यह कहते थे कि अगर उस समय किसी को अपनी इण्डस्ट्री बेरिंग लगाकर गुजरात में कहीं ले जाना हो तो लोग अपनी इण्डस्ट्री बेरिंग लगाकर गुजरात में ले जाने को तैयार थे और आज जब तीन लाख करोड़ रुपये के इनवेस्टमेन्ट उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और उसमें से 60 हजार करोड़ रुपये के इनवेस्टमेन्ट के ऊपर उत्पादन शुरू हो चुका है। हमेशा इनवेस्टर वहाँ जाता है जहां उसे सुरक्षित माहौल मिलता है, जहां पर उसको यह लगता है कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसको परेशान नहीं किया जायेगा और लोक दृष्टि से बड़ा मानदण्ड कोई नहीं होता है। मान्यवर, जो हमने अनुपूरक बजट पेश किया है अब हम उस पर आते हैं। श्रीमान बिजली किसकी जरूरत है, सबसे ज्यादा बिजली जरूरत है सामान्य व्यक्ति की एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इण्डस्ट्री के क्षेत्र में और सब जगहों पर भी है। यदि बिजली की मद में 1350 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं तो उसमें हम क्या गलत कर रहे हैं। दूसरी चीज एक नई मांग है और हमने 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के लिए हमने 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था

की है। हमने केवल बिजली के ऊपर 3382.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। आप इन पेपर्स को देख लीजिये। मान्यवर, मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष सचिवालय प्रशासन के अन्तर्गत आता है। यदि 4 वर्ष का आंकड़ा पढ़कर हम आपको सुनायें तो सबसे ज्यादा गरीबों के इलाज में मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष के द्वारा मदद की गयी है। (मेजों की थपथपाहट)। वर्ष 2017-18 में 193 करोड़ रुपया, वर्ष 2018-19 में 257 करोड़ रुपया और वर्ष 2019-20 में 280 करोड़ रुपया, वर्ष 2020-21 में 276 करोड़ रुपया और वर्ष 2021-22 में अभी तक 262 करोड़ रुपया इसमें दिया गया है, इसमें मान्यवर, 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था और की गयी है। इस विवेकाधीन कोष से मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा विभिन्न घटनाओं में जो लोग हताहत होते हैं। या परेशान होते हैं, उनका मेडिकल कालेज में या जहाँ पर भी इलाज कराने की जरूरत होती है, उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाती है, उसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। जहां तक वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग जन पेंशन की बात है वर्तमान में लगभग 11 लाख दिव्यांग लोग हैं उनके लिए 167 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है तथा 670 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमारी वृद्ध महिलाओं के लिए की गई है। उनको अभी तक जो पेंशन हम लोग 500 रुपये देते थे उसको बढ़ाकर 1000 रुपये पेंशन की धनराशि कर दी गई और जो मार्च माह तक पेंशन दी जाती थी, उसे हम जनवरी में ही देने जा रहे हैं ताकि उन लोगों को आगे कोई कष्ट या परेशानी न हो। यह पेंशन हमने दुगुनी की है। इन्होंने तो सिर्फ बातें की थीं। पहले 300 से बढ़ाकर 500 रुपये की थी और अब 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त 3 मदें भारत सरकार की हैं। इसमें एक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य ज्योति हेतु अंश पूंजी 300 करोड़ रुपया दी गई, सौभाग्य योजना हेतु अंश पूंजी 185 करोड़ रुपया तथा सौभाग्य योजना हेतु दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अंश पूंजी के रूप में 175 करोड़ रुपया इस तरह से यह 660 करोड़ रुपया हमें भारत सरकार से मिलना है। यह आंकड़े हम आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो असंगठित क्षेत्र है आप गरीबों की बड़ी बात कर रहे थे। यदि गरीबों के लिए यदि किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है। (मेजों की थपथपाहट)। चाहे शहरी गरीब हो या चाहे ग्रामीण गरीब हो एक मामूली किसान 2 बीघा, 4 बीघा या 6 बीघा की जोत वाला होता था वह किसी महाजन से कर्ज लेकर अपनी खेतों की जुताई, बुआई, खाद और पानी का इंतजाम करता था उसके जीवन भर के लिए हमने यह व्यवस्था कर दी कि वह कभी भी किसी महाजन के आगे छोटा किसान हाथ नहीं फैलाएगा। क्योंकि वह जो कुछ पैदा करता था, उससे सारा का सारा ब्याज वह महाजन को दे देता था परन्तु आज 6 हजार रुपये उसके एकाउण्ट में बिना किसी बिचौलिये के जाता है। उसके लिए यह सबसे बड़ी राहत है। आज तक किसी ने जो सोचा नहीं था। यह गरीबों की बात करते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

संसदीय कार्यमंत्री जी, हम किसान की पत्नियों को 6 हजार रुपये दे ही रहे थे, आप किसान को दे रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप डेढ़ घण्टा बोले हैं, 1 घण्टा 30 मिनट लगभग 90 मिनट बोले हैं, तो क्या थके नहीं हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपको शाहजहाँपुर जाना है कि नहीं जाना है, हम तो बोलेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जाएंगे, जरा पोल खोलकर जायेंगे। मान्यवर, असंगठित क्षेत्र के लोग, जो रेहड़ी-पटरी वाले हैं, उनको 10 हजार रुपये की सहायता लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को हमने दी है और जो लोग टाइमली उसको जमा कर देंगे उनको 20 हजार रुपये की सहायता और सरकार ने उनको ब्याज में भी छूट दी है। जो 20 हजार रुपये जमा कर देंगे, उनको 50 हजार रुपये की सहायता यह सरकार दे रही है। कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थीं। यह वर्ग जो प्रभावित हुआ था, उसके प्रति सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और उसी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हमने 4 हजार करोड़ रुपये असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए रखा है ताकि किसी प्रकार की यदि अनटूवर्ड इन्सीडेण्ट आती है तो उसके लिए हम इनको आर्थिक रूप से मदद करें। मान्यवर, 188 करोड़ रुपये का खाद्यान्न हर महीने हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बांट रहे हैं। अन्त्योदय कार्ड वालों को 35 किलो अनाज और उसके साथ चीनी, 1 लीटर खाद्यान्न तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो दाल दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो पात्र गृहस्थी वाले कार्ड हैं, उनको भी निःशुल्क दे रहे हैं ताकि उन लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति न आये। जहाँ तक हमारी सरकार का और हमारी पार्टी का मूल मन्तव्य है समाज में अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना। यह सारी की सारी योजनाएं उसी के निमित्त चल रही हैं। इसके साथ ही दो योजनाएं जिनमें एक है, शहीद सर्किट के लिए हालांकि हमने उसमें टोकेन की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि नौजवान व्यक्ति को अगर उसका सर्वांगीण विकास अपेक्षित है तो उसको खेल के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा। हमने इसी के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इन लोगों को इससे बहुत तकलीफ हो रही है। एक तरफ 1 हजार करोड़ रुपये की सहायता मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष के माध्यम से और हर तरह से इस बात की कोशिश की है कि जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, वह पूरी हों और समाज के कमजोर और गरीब लोगों को इस अनुपूरक बजट से सहायता मिले। यही इस अनुपूरक बजट को लाने का उद्देश्य है। दूसरा विषय है कि इन्होंने बहुत कहा कि लाशें बिछ गयी। जाने क्या-क्या अलंकारिक शब्दावली जोड़ कर पूरे एक-डेढ़ घंटे तक कहा। यदि यहाँ पर कहीं पब्लिक गैलरी कोई होती तो लोग हँस-हँस कर लोट जाते और एक-आध बन्दा तो बेहोश भी हो जाता लेकिन पब्लिक गैलरी तो है नहीं, इसलिए हम आपको दिखा दें।

(श्री अजय कुमार लल्लू के अपने स्थान से अपनी बात कहने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अरे! बैठिये लल्लू जी, आप संघर्ष वाले आदमी हो, आप देखो। अभी धार देखो। दिल्ली में उत्तर प्रदेश से ज्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है और आदमी बहुत ज्यादा जागरूक भी है लेकिन दिल्ली में 25,100 लोगों की मृत्यु हई। दिल्ली की आबादी हमसे कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ और हमारी आबादी 24 करोड़, तब भी दिल्ली में 25,100 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में हमसे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन वहां 38,279 लोगों की मौत हुई। केरल में हमसे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन वहाँ 43,946 लोगों की मौत हुई, और स्टेट कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश से एक चौथाई। महाराष्ट्र में 1,41,317 लोगों की मौत हुई, स्टेट कितना बड़ा है, हमसे छोटा स्टेट है, उत्तर प्रदेश से लगभग आधा, 60 प्रतिशत होगा, मेडिकल फैसिलिटी हमसे ज्यादा है और तमिलनाडु में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है, बहुत सिन्सियर लोग वहाँ हैं तब भी वहाँ 36,656 लोगों की मौत हुई और उत्तर प्रदेश में कितनी डेथ हुई 22,915 लोगों की।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

झूठ, छः लाख से अधिक मौते हुई हैं।

(सदन में शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष-

आप लोग बैठिये। मा0 मंत्री जी को जवाब देने दीजिये। आप लोग शांत हो जाईये। बैठ जाईये। यह ठीक नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक बड़े नेता ने इसे भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन कहकर लोगों को गुमराह कर दिया। 30 प्रतिशत से ज्यादा लोग गाँव में आज भी अशिक्षित हैं। उनके अन्दर यह भावना फैल गयी कि पता नहीं इस वैक्सीन से क्या होगा ? कुछ लोगों ने प्रचार किया कि इससे इम्पोटेन्सी बढ़ेगी। कुछ लोगों ने तरह-तरह से प्रचार किया। मान्यवर, अगर गुमराह न किया जाता तो उत्तर प्रदेश में इतनी मौतें नहीं होती। उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन को डब्लू0एच0ओ0 से लेकर नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय तक ने सराहा। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार ने 15 मार्च, 2012 को शपथ ली और 28 मार्च को एक सर्कुलर निकाला गया कि उत्तर प्रदेश के जनपदों में जहाँ-जहाँ आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और उन आतंकवादी घटनाओं में जो लोग फंसे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट मंगवाई गई ताकि सरकार उन मुकदमों को वापस करवा ले। यह मान्यवर, लिखा-पढ़ी में है। वह पत्र यहीं चीफ सेक्रेटरी कार्यालय में है। आतंकवादियों के खिलाफ जब मुकदमे वापस करने की कार्रवाई हुई तो वर्ष 2013 में उसके ऊपर कोर्ट ने इस बात की टिप्पणी की कि आज इनके खिलाफ मुकदमे वापस ले लो और कल जाकर इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कर देना। मान्यर, यह टिप्पणी इसी माननीय हाईकोर्ट की है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपने तो खुद अपने मुकदमे वापस लिये 302, 307, 379

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपने जो कोर्ट की टिप्पणी की बात कही, यह उसका जवाब है। हमने किसी आतंकवादी का मुकदमा वापस नहीं लिया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले ही इस सदन में इस बात की मांग की थी कि पक्ष और विपक्ष के जितने माननीय सदस्य हैं, इन पर कितने क्राइम के आंकड़े हैं, उन्हें सार्वजनिक कर दिया जाये। यह क्यों नहीं कराते हैं ? आप अब भी करा दीजिये। जितने माननीय सदस्य इस सदन में हैं, इन पर कितने अपराधिक मुकदमे हैं, उन्हें सार्वजनिक करा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी को जवाब देने दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप उस समय हमारे साथ थे। (हँसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय उपाध्यक्ष जी, पेपर लीक करने की बात बहुत आई। पेपर जब लीक हुआ तो हम किसके साथ खड़े थे ? हम खड़े थे, जो पीड़ित पक्ष था, जो हताहत था, जो किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ। हम उसके साथ खड़े हुए और 33 लोगों को गिरफ्तार किया और आज वह सभी लोग जेल में हैं और उस समय एक संस्था जिसका नाम हम यहाँ नहीं लेना चाहते, लेकिन उसके खिलाफ जिस प्रकार से टिप्पणी की गई, नौकरी देने वाली संस्था, बाकायदा अधिकार प्राप्त संस्था, संवैधानिक संस्था, उसके खिलाफ जिस प्रकार से हाईकोर्ट में टिप्पणी की गई, मान्यवर हम लाकर दिखा देंगे और पूरा प्रदेश उस घटना से शर्मसार हुआ था, पूरे नौजवान शर्मसार हुए थे और जहाँ तक नौकरी की बात करते हैं। जिस समय हमारी सरकार आई थी, उस समय बेरोजगारी का रेट 17 परसेन्ट था, आज नेशनल रिकार्ड है कि 4.1 परसेन्ट है। मान्यवर, बेरोजगारी घटी है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जवाब तो जरूर सुनना पड़ेगा। हमने जो नौकरियां दीं, लोक सेवा आयोग के द्वारा 34,292, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा 18,567, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा 2214, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 30,644, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन विद्युत सेवा आयोग के द्वारा 6,557, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के

द्वारा 1,43,606, बेसिक शिक्षा में 1,23,015, कुल 3,58,895 और इसके अतिरिक्त संविदा पर 56,491, आउटसोर्सिंग पर 2,75,497, कुल 6,90,883 और इसके अलावा मान्यवर, हमने जो मेले लाकर लोगों को नौकरी दी, उसका आंकड़ा भी हम आपके सामने अभी रख देंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वह पिछली सरकारों का है।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप सुनेंगे क्यों नहीं, ? हमने जो मेले लगाकर लोगों को नौकरी दी, उसके भी आंकड़े हम आपके सामने रख देंगे। हमने 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च 2018 तक जो 633 मेले आयोजित किये, उसमें 63,152 लोगों का चयन किया। 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक 685 मेले प्रदेश में आयोजित किये, जिसमें 1,03,202 लोगों को वहीं से जॉब मिला, इस बात को आप याद रखिये। 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक 733 मेले आयोजित किये, जिसमें 1,43,304 लोगों को सेवा मिली। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक 869 मेले आयोजित किये, उसमें 1,47,499 लोगों को सेवा मिली और माननीय उपाध्यक्ष जी, एक अप्रैल 2021 से 14 दिसम्बर 2021 तक 570 मेले आयोजित किये जिसमें 73520 लोगों को नौकरी मिली। कुल मिलाकर 530677 लोगों को इस प्रकार से नौकरी मिली। यह नौजवानों एवं बेरोजगारों के प्रति जो हमदर्दी जता रहे थे वह केवल जुबानी है, बातें बहुत काम कुछ नहीं। शिक्षा मित्रों को केवल जुबानी हमदर्दी दिखा रहे हैं। अभी हमने 40 हजार रोजगार श्रमिकों को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया है। यह लोग शिक्षा मित्रों को ऐसे छोड़ कर चले गये थे। हमने सारे शिक्षा मित्रों को नौकरी दी है। माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमने 47 हजार शिक्षा मित्रों को नौकरी दी थी लेकिन इन्होंने कोर्ट से हरवा दिया है। हमारी सरकार ने 17 लाख नौजवानों को नौकरी दी थी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारी नीति थी हमने उनको भारांक दिया जो लोग शिक्षा मित्र थे, पहले प्रथम चयन में जब अध्यापक का चयन होना था तब दिनांक 25-07-2017 को 7 हजार शिक्षा मित्रों को चयनित करवाया। दूसरा 68900 के लिए जो द्वितीय चयन की परीक्षा हुई उसमें 8018 शिक्षा मित्र चयनित हुए। फिर उनको हमने भारांक दिया है। जो लोग शिक्षा मित्र हैं उनको इस आधार के ऊपर अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार टिप्पणी कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को बराबर से नहीं माना जिसके बारे में अभी इन्होंने टिप्पणी की है, इसलिए हमने उनके प्रति हमदर्दी दिखाई है और आज हम फिर

उनका मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। जहाँ तक माननीय नेता बसपा ने कहा कि अम्बेडकर जी की बात रख लें। अम्बेडकर जी के लिए किसी का नाम लेकर वोट लेना एक बात है और किसी को वास्तव में हृदय से स्वीकार करके उनका अनुकरण करना, उनकी नीति का अनुकरण करना, उनकी बातों का अनुकरण करना, उनके बयान का अनुकरण करना, उनको वोट करना, मैं हमेशा अम्बेडकर जी के बयान का अनुकरण करता हूँ। अम्बेडकर जी ने 25 नवम्बर 1949 को उन्होंने संविधान सभा में कहा था दो बातें मैं याद कर रहा हूँ। एक-उन्होंने यह कहा था कि मुझे इस बात का भय है कि हम किन-किन परिस्थितियों में गुलाम हुए। किस वजह से गुलाम हुए, वह परिस्थितियाँ आज भी विद्यमान हैं। उन्होंने कहा था कि हम क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद में बंटे हुए हैं। इसलिए मुझे यह भय है कि हमारे आने वाली पीढ़ी उसे बरकरार रख पायेगी।

दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ में संविधान लागू करना है, वह उसकी इच्छा और नीति पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार से उसको लागू करे। हम इसको एक बार नहीं, कम से कम एक हजार बार कोट किया होगा। मान्यवर, आप यह समझ लीजिये कि पंचतीर्थ हमने बनाया। अम्बेडकर जी जहाँ पैदा हुए, जहाँ शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जहाँ निर्वाण हुआ, वह पंचतीर्थ हमने बनाया है। हमने उनको पूज्य बनाया। वर्ष 1990-91 में हमारे समर्थन की सरकार थी, तब उनको भारत रत्न हमने दिया था। ये बात कोई छिपी नहीं है, ये रिकार्डेड है। हम हृदय से उनकी काबिलियित का, उनकी विद्वता का और जिस परिस्थिति से वह निकलकर आये, हम मन से, हृदय से उनका आज भी आदर-अभिनन्दन करते हैं। आज भी मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, जो वर्ग कहा जाता है, जिनका सबसे ज्यादा समर्थन है। मेरा पुराना रिकार्डेड निकलवाकर देख लेना, इंटरनेट पर उपलब्ध है। उनको गुलाम करने वाले लोग उन्हीं के वर्ग के हैं कोई और नहीं हैं। अगर हम उनके साथ दुर्व्यवहार करते, उनको नजरअंदाज करते, तो ऐसा वर्ग हमें कभी वोट नहीं देता। चाहे हम दो वोट से जीते हों, लेकिन उनका स्नेह हमें हमेशा मिला है। इसलिए हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी के मा0 नरेन्द्र मोदी जी से लेकर नीचे तक के सभी लोग उनका हृदय से सम्मान करते हैं। तीसरी बात मान्यवर, अभी हमारे कांग्रेस की नेता ने महंगाई की बात की है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। हमने हर परिस्थिति से मुकाबला किया और हिन्दुस्तान की समस्याओं के बारे में कभी टाला नहीं, उन समस्याओं का मुकाबला करके उसका निराकरण कराया, जो देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी। आजादी से लेकर आज तक पिछले 70 साल से जो समस्याएं हमारी खोपड़ी पर खड़ी थीं, जिसकी वजह से विकास रुका था, कश्मीर मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया था, वह हमने करके दिखाया, टाला नहीं, उसका परमानेन्ट समाधान किया और करके दिखाया, आप किस आधार पर कह सकते हो।

मान्यवर, डीजल के ऊपर उत्तर प्रदेश में टैक्स रुपये 12.33 है।

श्री मो0 फईम इरफान-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, सरसों के तेल कितने में है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पहले ये तो सुन लो जो ट्रांसपोर्ट, इण्डस्ट्रीज और खेती इन तीनों चीजों को प्रभावित करता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार रुपये 12.33 एक लीटर डीजल पर टैक्स लेती है और मान्यवर राजस्थान की सरकार रुपये 20.10 एक लीटर डीजल पर टैक्स लेती है। मान्यवर, ये फीगर दिनांक 13-12-2021 की है (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने शेम-शेम के नारे लगाये)। ये कह रही हैं कि हाय डीजल, हाय पेट्रोल।

श्री मो0 फईम इरफान-

हाय सरसों का तेल, हाय मिट्टी का तेल।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, राजस्थान में एक लीटर पेट्रोल पर टैक्स रुपये 29.44 है। यह फीगर दिनांक 13-12-2021 की है। हम उत्तर प्रदेश में एक लीटर पेट्रोल पर टैक्स रुपये 14.87 लेते हैं। यह फीगर भी दिनांक 13-12-2021 की है।

(श्री अजय कुमार लल्लू के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

आप लोग सुनना सीखो। मान्यवर, छत्तीसगढ़ में सरकार इनकी है। हम अपने यहाँ एक लीटर डीजल पर रुपये 12.33 टैक्स लेते हैं और छत्तीसगढ़ में ये एक लीटर डीजल पर रुपये 18.81 टैक्स ले रहे हैं (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने शेम-शेम के नारे लगाये)। हमारे यहाँ एक लीटर डीजल का रेट रुपये 86.80 है और इनके यहाँ 92.32 है।

मान्यवर, जिसके लिये ये हाथ उठा-उठाकर समर्थन करते हैं। ये कलकत्ता में समर्थन करने गये थे। इन्होंने वहाँ खूब वाहवाही लूटी। कलकत्ता में पेट्रोल के ऊपर हमने 14 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर टैक्स लगाया और इन्होंने लगाया 23 रुपये 33 पैसे और दाम हमारा है 95 रुपये प्रति लीटर में और इनका 104 रुपये 65 पैसे है। ये दिनांक 13 दिसम्बर की स्थिति है। दूसरी बात ये कि हमने डीजल पर 12 रुपये 33 पैसे टैक्स लिया और इन्होंने वेस्ट बंगाल में 14 रुपये 83 पैसे टैक्स लगाया। जिनको यह हाथ उठाके बधाई दे आये वहां पर है 89 रुपये 78 पैसे है और यह सब आंकड़े इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध हैं। मा0 राजभर जी पिछड़ा वर्ग समाज के मामले में हमारे बहुत ही अच्छे आदमी हैं और यह अपनी बिरादरी का भला भी करना चाहते हैं। लेकिन हम भी चाहते थे कि इनकी बिरादरी का भला हो। हम उसके पहले समर्थक हैं। बिरादरी के भी समर्थक हैं और इनके भी।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

यहाँ बिरादरी की बात न की जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

मा0 राजभर जी आप बैठ जाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

देखिये, आपने कई जगह दोहराया है कि पाँच साल से रिपोर्ट पड़ी है और रिपोर्ट भी 18 के आखिरी में आई और उसका परीक्षण करने के लिए एक समिति बनाई गयी। जब उससे असंतुष्ट हुए तब फिर से एक समिति बनी दिनांक 14-02-2020 को, आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव राज्य कर विभाग उनकी अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनी। जब पॉलिसी कोई बदलती है तो बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है और सामाजिक न्याय समिति में हम मन से, कर्म से जो भी समाज में पिछड़ा है चाहे आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, हमारा संविधान भी इनको प्राथमिकता देता है। हम उनके प्रति पूरी हमदर्दी व पूरी संवेदना रखते हैं। लेकिन मान्यवर, ये निर्णय ऐसे नहीं हैं जो कि एक पक्ष से लिये जायें। ये सारे पहलू देखकर ही और सारे पहलुओं पर विचार करके ही निर्णय लिया जा रहा है। हम चाहते थे कि ये रहें मंत्रि-मण्डल में पर ये छोड़कर चले गये। अब हम क्या करें, इसके लिए हमने इन्हें कई बार मनाने की भी कोशिश की लेकिन ये नहीं माने।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, मंत्री जी हमारे देश के मा0 प्रधानमंत्री जी ने गरीब सवर्ण को 10 प्रतिशत आरक्षण 72 घंटे में दे दिया। हम उसके विरोधी नहीं हैं। हम समर्थक हैं लेकिन पिछड़े और पिछड़ों के सवाल पर आप कितना आयोग बनायेंगे और कितनी जांच करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

मा0 राजभर जी, आप तो अपनी बात कह चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं यह समझता हूँ कि विपक्ष के द्वारा मा0 राम गोविन्द जी, मा0 उमा शंकर जी, मा0 मोना जी, मा0 लीना तिवारी जी, मा0 ओम प्रकाश राजभर जी ने जितनी बातें उठाई थीं, हमने यह कोशिश की है कि हम उन्हीं बातों के ऊपर अपने आप को सीमाबद्ध रखें। हम सामाजिक न्याय के पूरी तरीके से पक्षधर हैं, हमने संविधान की शपथ ली है और उसका गहनता से परीक्षण करने के बाद हम जरूर निर्णय करेंगे। यह उसका जवाब है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है, यह पिछड़ों की हितैषी नहीं है, इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री अजय कुमार लल्लू, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करो, लागू करो के नारे लगाते हुए अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय योगी जी की सरकार में हर स्तर पर कानून का शासन है, हर स्तर पर विकास का पहिया बहुत तेजी के साथ घूम रहा है। पूरे प्रदेश के जनमानस में एक धारणा बनी है कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत से आने वाली है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, जितने लोग विपक्ष में बैठे हैं ये सब लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इनके सपने कभी साकार नहीं होंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आयेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस अनुपूरक बजट का पूरी तरीके से समर्थन करते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि इसको पारित कराया जाये। साथ ही साथ जो हमने चार महीने के लिए लेखानुदान के माध्यम से अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है उसको भी पारित कराया जाये। यह सही है अप्रैल, 2020 से लेकर हम कोरोना से प्रभावित रहे, इसलिए हमारी बहुत सी आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुईं। अतः जो अपेक्षित खर्चा था वह अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन यह कहना सही नहीं है, कम से कम दो दर्जन मदें ऐसी हैं, जहां पर अपेक्षा से ज्यादा हमारा खर्च हुआ है इसलिए यह कहना कि खर्चा नहीं हुआ, ठीक नहीं है। अभी इस सरकार के जनवरी, फरवरी और मार्च तीन महीने हैं और जो कांटीन्यूअस स्कीम्स हैं उस सब में पैसा खर्च हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आचार संहिता में भी 15-20 दिन हैं, इसलिए आप बिलकुल बेफिक्र रहिये, कहीं पर मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने पूरी तरीके से फायनेंशियल डिसिप्लिन को मेनटेन करने के लिए कदम उठाये हैं। कई कदम ऐसे उठाये हैं जिसमें हमने फिजूलखर्ची को रोका है। मिसाल के तौर पर हमने 68 सब-ट्रेजरी बंद कीं। जहाँ पर अनुपयोगी समझा, उस खर्चे को रोका। अभी नई गाड़ी खरीदी जानी थीं, उस पर भी हमने काफी कुछ रिस्ट्रिक्शन्स लगाये हैं ताकि हम उसके ऊपर खर्चा कम कर सकें। ऐसे बहुत से खर्चे हैं जिसको मितव्ययिता के आधार पर कम करने की कोशिश की है और उसमें काफी सफलता भी मिली है। हमें आप सबका, पूरे सदन का सहयोग चाहिए। इसलिए आप लोग चार महीने के जो सरकार के जरूरी कामकाज के लिए व्यवस्था की है वेतन और कमिटेड एक्सपेंडीचर की, वह चाहे राज्य वित्त आयोग का पैसा है, वह दे दिया जाता है, उसके अतिरिक्त जो कमिटेड एक्सपेंडीचर है, जो हमारा ऋण है और उस ऋण के ऊपर जो ब्याज की किस्त है उसके देने की व्यवस्था इन 4 महीने के लेखानुदान के रूप में लाये हैं। इस सबको पास कराया जाये। आज सत्र का अंतिम दिन है हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी के लिए हैं कि यह सदन जैसा है, वैसा ही जीतकर आये (मेजों की थपथपाहट) आपके लिए भी शुभकामनायें कि अगर आप इसी तरीके से आयेंगे तो इस सदन में बैठकर चर्चा करेंगे। मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय वित्त मंत्री जी का उत्तर भाषण था वह सत्य से परे था। आपने जो क्राइम की रिपोर्ट पढ़ी है और आपने आई0पी0सी0 और सी0आर0पी0सी0 की धाराओं में जो दर्ज है उसको बताया है। मैंने जो रिपोर्ट दिया था वह नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। आपके आंकड़े गलत हैं और मेरे आंकड़े सही हैं। अगर मेरे आंकड़े गलत हैं तो केन्द्र सरकार गलत है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने जो भी आंकड़ा दिया वह सब गलत है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भी यह कागज भेज देता हूं, आप ही निर्णय कर दीजिये, जाँच करा दीजिये। सत्य बोलकर लोगों को भरमाना भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में घुस गया है। बेरोजगारी पर भी इन्होंने अत्याचार कर दिया, महंगाई पर भी इन्होंने अत्याचार कर दिया। पूरा प्रदेश महंगाई से चिल्ला रहा है और यह कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। राजस्थान की बात कर रहे हैं। क्या राजस्थान के लोग आपको वोट देंगे ? वोट आपको उत्तर प्रदेश के लोग देंगे। क्या कलकत्ता के लोग आपको वोट देंगे ? तमिलनाडु के लोग आपको वोट देंगे ? मद्रास के लोग आपको वोट देंगे ? वोट आपको उत्तर प्रदेश के लोग देंगे और उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यह लोग कह रहे हैं कि कोरोना में सबसे कम मौतें हुई हैं। पूरा देश जानता है कि कोरोना में उत्तर प्रदेश श्मशान बन गया था। केन्द्र सरकार के मंत्री ने कल बयान दिया है और उसके पहले भी लोकसभा में बयान आया था कि आक्सीजन के अभाव से कोई मृत्यु नहीं हुई है। यह लोग इतना झूठ बोलते हैं पता नहीं हमारे कितने मा0 सदस्य आक्सीजन के लिए लिखते-लिखते थक गये, उनके समर्थक मर गये लेकिन आक्सीजन नहीं मिला। मेरे चार कार्यकर्ता मर गये, पर आक्सीजन नहीं मिला। डॉक्टर रोने लगे और डॉक्टरों से यह कहा गया आप यह कहना कि आक्सीजन की कमी से यह मृत्यु नहीं हुई है। डॉक्टर रो रहे थे, उन पर दबाव दिया गया था कि अगर तुमने कहा कि आक्सीजन की कमी है तो तुम्हारी नौकरी ले ली जायेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हम इनकी बात का एक जवाब दे दें। एक तरफ शोर है, बगावत है, माल है, मुल्क है, सियासत है और एक तरफ हौसले हैं, मेहनत है, नीति है, नियम है और हुकूमत है। आपकी बात का जवाब केवल यह है कि क्या हौसला है, मेहनत है और समर्पण है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

समर्पण नहीं रोना है, इसलिए तो भाड़े पर आदमी जुटा रहे हैं। डी0एम0 को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि तुम पैसा दो। अब आपकी विदाई की बेला है। हम लोग वहां आ रहे हैं। पूरा प्रदेश कह रहा है कि अखिलेश आ रहे हैं और योगी जी जा रहे हैं।

(मा0 सदस्य श्री उमाशंकर सिंह द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

(इसी मध्य अपरान्ह 02 बजकर 14 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

अब हम मद संख्या-22 लेते हैं।

अनुदान संख्या-09, 22, 58, 76, 78 लगायत 80, 86 तथा 92

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-09, 22, 58, 76, 78 लगायत 80, 86 तथा 92 के अन्तर्गत कुल रुपये 8479,53,00,000 (रुपये आठ हजार चार सौ उन्यासी करोड़ तिरपन लाख) की द्वितीय अनुपूरक मांग की धनराशि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-09, 22, 58, 76, 78 लगायत 80, 86 तथा 92 के अन्तर्गत कुल रुपये 8479,53,00,000 (रुपये आठ हजार चार सौ उन्यासी करोड़ तिरपन लाख) की द्वितीय अनुपूरक मांग की धनराशि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग

1-अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 3382,50,00,000 रुपये (तीन हजार तीन सौ बयासी करोड़ पचास लाख रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग

2-अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये (दस करोड़) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग

3-अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग

4-अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 4000,00,00,000 रुपये (चार हजार करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग

5-अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 100,00,00,000 रुपये (एक सौ करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग

6-अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 167,00,00,000 रुपये (एक सौ सड़सठ करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग

7-अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 670,00,00,000 रुपये (छह सौ सत्तर करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग

8-अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत 150,00,00,000 रुपये (एक सौ पचास करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग

9-अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-09, 22, 58, 76, 78 लगायत 80, 86 तथा 92 के अन्तर्गत कुल रुपये 8479,53,00,000 (रुपये आठ हजार चार सौ उन्यासी करोड़ तिरपन लाख) की द्वितीय अनुपूरक मांग की धनराशि 2021-2022 के लिए स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक), विधेयक, 2021

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जो आपने प्रश्न उपस्थित किया है उसका जवाब आने दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो विनियोग विधेयक माननीय मंत्री जी ला रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मूल बजट का ही पैसा खर्च नहीं हो पाया और अनुपूरक जो इसके पहले लिये गये थे वह भी खर्च नहीं हो पाया। आखिर में इस अनुपूरक बजट के पैसे का क्या होगा, इसका आश्वासन दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आप पहले ही कह चुके हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह हम लोगों को डर है कि जैसे डी0एम0 पेमेन्ट करवा रहा है यह सारा जो पैसा हर विभागों में बचा हुआ है, यह कहीं चुनाव में तो खर्च नहीं होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इनके पास सिवाय प्रोपेगण्डा के और कोई विषय नहीं है। यह अपराध की दुनिया से ओत-प्रोत हैं। इनको यह चाहिए कि कम से कम सही दिशा में सोचने की क्षमता रखें।

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक), विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021

31 मार्च, 2022 ई. को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2021 कहा जायेगा । — **संक्षिप्त नाम**

2- ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रूपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 585910,42,77,000 रूपये (रुपये पाँच लाख पचासी हजार नौ सौ दस करोड़ बयालीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) होता है, अधिक न हो । — **उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2021-2022 के लिए 585910,42,77,000 रूपये का निकाला जाना**

3- इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये गये हैं । — **विनियोग**

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	33596.75	--	33596.75
		पूंजी :	161.39	--	161.39
02	आवास विभाग	राजस्व :	49442.31	9.66	49451.97
		पूंजी :	285612.00	115.36	285727.36
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	85562.84	6.00	85568.84
		पूंजी :	2787.61	--	2787.61
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	5594.55	--	5594.55
		पूंजी :	405.00	--	405.00
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	10812.51	--	10812.51
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	34384.32	--	34384.32
		पूंजी :	0.01	--	0.01
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	325450.97	--	325450.97
		पूंजी :	1199614.32	--	1199614.32
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्व :	20579.26	--	20579.26
		पूंजी :	592.95	--	592.95
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	2079613.93	363794.42	2443408.35
		पूंजी :	884383.74	439552.62	1323936.36
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	119525.78	227.40	119753.18
		पूंजी :	1794.90	--	1794.90
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	577890.59	20.05	577910.64
		पूंजी :	53614.48	--	53614.48
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	74086.12	--	74086.12

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	347558.17	17.50	347575.67
		पूंजी :	1389570.00	--	1389570.00
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	1286006.25	--	1286006.25
		पूंजी :	40595.08	--	40595.08
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	186601.52	13.79	186615.31
		पूंजी :	19481.23	--	19481.23
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	12312.37	--	12312.37
		पूंजी :	8000.00	--	8000.00
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	36093.71	9.50	36103.21
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	77059.23	1538.12	78597.35
		पूंजी :	7500.00	3325.18	10825.18
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1106.03	--	1106.03
		पूंजी :	4000.00	--	4000.00
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	12807.35	10081.82	22889.17
		पूंजी :	--	231.44	231.44
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	49990.74	6.00	49996.74
		पूंजी :	1760205.49	0.50	1760205.99
22	खेल विभाग	राजस्व :	15545.23	--	15545.23
		पूंजी :	9930.46	--	9930.46
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	26886.08	2.00	26888.08
		पूंजी :	2300.00	--	2300.00
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	8824.87	--	8824.87
		पूंजी :	63937.00	--	63937.00

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	87067.85	10.00	87077.85
		पूंजी :	33373.13	--	33373.13
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	2723413.38	105.00	2723518.38
		पूंजी :	296874.10	--	296874.10
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	2315.41	--	2315.41
		पूंजी :	0.03	--	0.03
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	36854.84	--	36854.84
		पूंजी :	50.00	--	50.00
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	--	2334.36	2334.36
30	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	700.60	--	700.60
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	430494.33	--	430494.33
		पूंजी :	440578.40	--	440578.40
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	807676.23	20.00	807696.23
		पूंजी :	235549.57	--	235549.57
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	123525.28	--	123525.28
		पूंजी :	13059.31	--	13059.31
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	54665.98	--	54665.98
		पूंजी :	2105.01	--	2105.01
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	779390.44	35.00	779425.44
		पूंजी :	94696.71	--	94696.71
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	95664.38	2.00	95666.38
		पूंजी :	19064.86	--	19064.86
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	1966621.47	--	1966621.47

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
		पूंजी :	40077.00	--	40077.00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	10119.02	--	10119.02
		पूंजी :	220600.00	--	220600.00
39	भाषा विभाग	राजस्व :	4744.59	--	4744.59
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	28723.14	--	28723.14
		पूंजी :	389851.50	--	389851.50
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	49594.48	--	49594.48
		पूंजी :	1250.01	--	1250.01
42	न्याय विभाग	राजस्व :	295479.92	68152.85	363632.77
		पूंजी :	227666.03	650.00	228316.03
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	33983.80	0.01	33983.81
		पूंजी :	7052.99	--	7052.99
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	12188.10	--	12188.10
		पूंजी :	95403.43	--	95403.43
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	1430.62	--	1430.62
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	2307.28	--	2307.28
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	51557.86	--	51557.86
		पूंजी :	19690.19	--	19690.19
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	239348.49	1.80	239350.29
		पूंजी :	61440.49	--	61440.49
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	952564.25	--	952564.25
		पूंजी :	25566.33	--	25566.33
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	122206.75	17.00	122223.75

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
		पूंजी :	13554.00	--	13554.00
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	359186.27	--	359186.27
		पूंजी :	4000.00	--	4000.00
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	464484.45	22.50	464506.95
		पूंजी :	7777.18	7.88	7785.06
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	168.40	--	168.40
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	287177.83	4.00	287181.83
		पूंजी :	54.48	--	54.48
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	12345.00	719.00	13064.00
		पूंजी :	9194.85	80.00	9274.85
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	पूंजी :	35000.00	--	35000.00
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	14100.00	--	14100.00
		पूंजी :	246243.00	--	246243.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	604385.70	15010.29	619395.99
		पूंजी :	1527882.00	9500.00	1537382.00
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	35307.72	--	35307.72
		पूंजी :	10678.11	--	10678.11
60	वन विभाग	राजस्व :	93688.66	13.70	93702.36
		पूंजी :	56885.74	--	56885.74
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1780923.43	4159914.02	5940837.45
		पूंजी :	75509.00	3443852.76	3519361.76
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	6319452.06	111.31	6319563.37
		पूंजी :	9600.00	--	9600.00

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	29265.83	--	29265.83
		पूंजी :	325.00	--	325.00
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	34143.12	--	34143.12
		पूंजी :	1493.00	--	1493.00
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	1255.78	21255.45	22511.23
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	7318.45	100.55	7419.00
		पूंजी :	839.75	--	839.75
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	22503.19	180.20	22683.39
		पूंजी :	1848.63	25.00	1873.63
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	95610.87	--	95610.87
		पूंजी :	18146.00	--	18146.00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	52207.34	--	52207.34
		पूंजी :	2000.00	--	2000.00
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	5748087.12	--	5748087.12
		पूंजी :	38684.11	--	38684.11
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	1337804.89	--	1337804.89
		पूंजी :	48732.01	--	48732.01
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	331661.71	--	331661.71
		पूंजी :	36194.53	--	36194.53
74	गृह विभाग (होमगार्डस)	राजस्व :	230908.56	--	230908.56
		पूंजी :	1681.61	--	1681.61
75	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	22101.70	--	22101.70
		पूंजी :	1459.23	--	1459.23

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	49720.31	--	49720.31
		पूंजी :	27071.00	--	27071.00
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	12957.88	--	12957.88
		पूंजी :	190.41	--	190.41
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	124109.72	--	124109.72
		पूंजी :	891.00	--	891.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	256762.20	--	256762.20
		पूंजी :	15986.83	--	15986.83
80	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	553280.77	--	553280.77
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	99759.99	--	99759.99
		पूंजी :	33814.11	--	33814.11
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	8518.74	870.43	9389.17
		पूंजी :	55.01	30.10	85.11
83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	1737871.44	--	1737871.44
		पूंजी :	1298419.94	--	1298419.94
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	2955.67	--	2955.67
		पूंजी :	40171.00	--	40171.00
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	779.14	--	779.14
86	सूचना विभाग	राजस्व :	55543.47	--	55543.47
		पूंजी :	2101.00	--	2101.00
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	7146.93	--	7146.93
		पूंजी :	580.00	--	580.00

अनुसूची

(समाप्त):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			(लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
89	राज्य कर विभाग	राजस्व :	112274.61	6545.50	118820.11
		पूंजी :	3050.00	--	3050.00
91	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	राजस्व :	41946.63	0.02	41946.65
		पूंजी :	110.00	--	110.00
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	9401.38	0.05	9401.43
		पूंजी :	8530.04	--	8530.04
93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	राजस्व :	62595.72	--	62595.72
		पूंजी :	1205655.00	--	1205655.00
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	540556.00	--	540556.00
		पूंजी :	815974.51	500.00	816474.51
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	532915.15	50.00	532965.15
	योग :	राजस्व :	36483153.80	4651201.30	41134355.10
		पूंजी :	13558816.83	3897870.84	17456687.67
	महायोग :		50041970.63	8549072.14	58591042.77

खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के माह अप्रैल-जुलाई तक के लिए लेखानुदान

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 के माह अप्रैल, मई, जून व जुलाई, 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण, जो 16 दिसम्बर, 2021 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-6 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो एक लाख अड़सठ हजार नौ सौ तीन करोड़ तेईस लाख निन्यान्बे हजार रुपये (रुपये 168903,23,99,000) की धनराशि स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 के माह अप्रैल, मई, जून व जुलाई, 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण, जो 16 दिसम्बर, 2021 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-6 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो एक लाख अड़सठ हजार नौ सौ तीन करोड़ तेईस लाख निन्यान्बे हजार रुपये (रुपये 168903,23,99,000) की धनराशि स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो मद संख्या-22 थी, इस पर मदवार प्रस्ताव रखा जाना चाहिए था और न तो कन्सोलीडेटेड प्रस्ताव रखा गया कि कितने का है और न ही अलग-अलग रखा गया। अगर कन्सोलीडेटेड प्रस्ताव एक साथ में रख दिये गये होते तब भी ठीक था। उसमें कन्सोलीडेटेड नहीं रखा गया है।

श्री अध्यक्ष-

वह प्रस्ताव रखा गया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वैसे मैंने पढ़ दिया था। मैंने 9, 22, 58, 76, 78, 79, 80, 86, 92 करके एक-एक मद पढ़ी थी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसको पढ़ चुके हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें एक थोड़ी सी भूल हो गयी है। जो आज का अनुपूरक एजेण्डा है उसमें मद सं0-1(क) और 1(ख) सदन के पटल पर रखी जानी है। वैसे मद सं0-1(क) ली जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सत्रहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र, 2021 (दिनांक 18-10-2021) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मद संख्या-28, मा0 वित्त मंत्री जी।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 2021 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 2021 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021

01 अप्रैल, 2022 ई. को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2021 कहलायेगा । — संक्षिप्त नाम

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 01 अप्रैल, 2022 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के संबंध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 195797,54,98,000 रूपये (एक लाख पँचानवे हजार सात सौ सत्तानवे करोड़ चौवन लाख अट्ठानवे हजार रूपये मात्र) होता है, अधिक न हो । — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2022-2023 के लिए 195797,54,98,000 रूपये का दिया जाना

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया गया है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं । — विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
001	आबकारी विभाग	राजस्व :	11883.84	--	11883.84
		पूंजी :	50.00	--	50.00
002	आवास विभाग	राजस्व :	16943.59	--	16943.59
		पूंजी :	71204.00	--	71204.00
003	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	28999.94	2.00	29001.94
		पूंजी :	929.20	--	929.20
004	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	1970.55	--	1970.55
		पूंजी :	135.00	--	135.00
005	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	3754.89	--	3754.89
		पूंजी :	--	--	--
006	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	11358.00	--	11358.00
		पूंजी :	--	--	--
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	112148.33	--	112148.33
		पूंजी :	155697.13	--	155697.13
008	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्व :	7267.49	--	7267.49
		पूंजी :	188.32	--	188.32
009	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	710695.10	108968.39	819663.49
		पूंजी :	163857.51	146717.57	310575.08
010	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	36763.54	79.92	36843.46
		पूंजी :	593.23	--	593.23
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	228724.52	6.68	228731.20
		पूंजी :	17483.15	--	17483.15
012	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	20371.15	--	20371.15

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
		पूंजी :	--	--	--
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	114138.75	2.50	114141.25
		पूंजी :	446054.33	--	446054.33
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	438714.87	--	438714.87
		पूंजी :	13130.83	--	13130.83
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	73967.43	4.60	73972.03
		पूंजी :	6201.01	--	6201.01
016	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	4019.14	--	4019.14
		पूंजी :	1100.00	--	1100.00
017	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	12222.01	3.17	12225.18
		पूंजी :	--	--	--
018	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	22833.08	459.87	23292.95
		पूंजी :	2185.33	831.76	3017.09
019	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	428.68	--	428.68
		पूंजी :	647.67	--	647.67
020	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	4307.31	3422.37	7729.68
		पूंजी :	--	27.31	27.31
021	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	18669.34	2.00	18671.34
		पूंजी :	1331252.23	0.17	1331252.40
022	खेल विभाग	राजस्व :	5248.35	--	5248.35
		पूंजी :	3112.61	--	3112.61
023	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	9383.74	0.67	9384.41
		पूंजी :	766.67	--	766.67
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	3056.43	--	3056.43
		पूंजी :	20000.00	--	20000.00

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
025	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	30379.46	3.33	30382.79
		पूंजी :	10791.04	--	10791.04
026	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	1009738.48	35.00	1009773.48
		पूंजी :	90467.63	--	90467.63
027	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	821.59	--	821.59
		पूंजी .	--	--	--
028	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	12480.65	--	12480.65
		पूंजी :	16.67	--	16.67
*029	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	--	948.94	948.94
		पूंजी :	--	--	--
030	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	245.69	--	245.69
		पूंजी :	--	--	--
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	158372.56	--	158372.56
		पूंजी :	131978.11	--	131978.11
032	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	340326.50	6.67	340333.17
		पूंजी :	69891.01	--	69891.01
033	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	43397.05	--	43397.05
		पूंजी :	4353.10	--	4353.10
034	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	18986.52	--	18986.52
		पूंजी :	701.67	--	701.67
035	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	260745.99	7.00	260752.99
		पूंजी :	31423.57	--	31423.57
036	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	33209.17	0.67	33209.84
		पूंजी :	5654.64	--	5654.64

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
037	नगर विकास विभाग	राजस्व :	648013.80	--	648013.80
		पूंजी :	6333.07	--	6333.07
038	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	3455.66	--	3455.66
		पूंजी :	45750.00	--	45750.00
039	भाषा विभाग	राजस्व :	1454.09	--	1454.09
		पूंजी :	--	--	--
040	नियोजन विभाग	राजस्व :	9810.52	--	9810.52
		पूंजी :	25962.50	--	25962.50
041	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	16629.20	--	16629.20
		पूंजी :	182.88	--	182.88
042	न्याय विभाग	राजस्व :	101627.27	27744.20	129371.47
		पूंजी :	76055.34	216.67	76272.01
043	परिवहन विभाग	राजस्व :	11577.14	--	11577.14
		पूंजी :	1573.55	--	1573.55
044	पर्यटन विभाग	राजस्व :	4161.54	--	4161.54
		पूंजी :	28319.74	--	28319.74
045	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	464.97	--	464.97
		पूंजी :	--	--	--
046	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	793.72	--	793.72
		पूंजी :	--	--	--
047	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	18286.85	--	18286.85
		पूंजी :	5893.73	--	5893.73
048	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	82487.11	0.60	82487.71
		पूंजी :	20480.03	--	20480.03
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	322608.96	--	322608.96

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
		पूंजी :	4923.34	--	4923.34
050	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	43572.25	5.67	43577.92
		पूंजी :	4078.39	--	4078.39
051	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	113065.12	--	113065.12
		पूंजी :	1333.33	--	1333.33
052	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	147127.85	7.50	147135.35
		पूंजी :	257.26	2.63	259.89
053	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	56.13	--	56.13
		पूंजी :	--	--	--
054	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	103291.11	1.33	103292.44
		पूंजी :	18.16	--	18.16
055	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	4115.00	239.67	4354.67
		पूंजी :	2074.42	--	2074.42
056	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	--	--	--
		पूंजी :	10000.00	--	10000.00
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	2666.67	--	2666.67
		पूंजी :	58444.00	--	58444.00
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	194673.44	836.64	195510.08
		पूंजी :	378962.33	1000.00	379962.33
059	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	11749.11	--	11749.11
		पूंजी :	3325.97	--	3325.97
060	वन विभाग	राजस्व :	32810.27	4.57	32814.84
		पूंजी :	19056.10	--	19056.10
061	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	643639.99	1452017.01	2095657.00
		पूंजी :	5166.67	937891.08	943057.75

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
062	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	2107396.69	25.44	2107422.13
		पूंजी :	3200.00	--	3200.00
063	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	10563.88	--	10563.88
		पूंजी :	127.00	--	127.00
065	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	12002.76	--	12002.76
		पूंजी :	236.65	--	236.65
066	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	1530.59	7308.84	8839.43
		पूंजी :	--	--	--
067	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	2308.36	34.45	2342.81
		पूंजी :	143.20	--	143.20
068	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	7379.34	60.07	7439.41
		पूंजी :	455.00	8.33	463.33
069	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	27878.63	--	27878.63
		पूंजी :	6048.67	--	6048.67
070	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	17431.10	--	17431.10
		पूंजी :	666.67	--	666.67
071	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	2235762.71	--	2235762.71
		पूंजी :	9730.09	--	9730.09
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	481771.49	--	481771.49
		पूंजी :	16244.00	--	16244.00
073	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	119966.43	--	119966.43
		पूंजी :	10730.61	--	10730.61
074	गृह विभाग (होमगार्डस)	राजस्व :	55814.24	--	55814.24
		पूंजी :	135.44	--	135.44
075	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	राजस्व :	7763.32	--	7763.32

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
	परिषद्)				
		पूंजी :	486.41	--	486.41
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	16671.34	--	16671.34
		पूंजी :	9008.33	--	9008.33
077	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	4578.08	--	4578.08
		पूंजी :	7.15	--	7.15
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	43290.04	--	43290.04
		पूंजी :	297.00	--	297.00
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	85135.17	--	85135.17
		पूंजी :	2582.46	--	2582.46
080	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	185874.79	--	185874.79
		पूंजी :	--	--	--
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	30772.76	--	30772.76
		पूंजी :	12127.12	--	12127.12
082	सतर्कता विभाग	राजस्व :	3044.70	308.83	3353.53
		पूंजी :	28.37	--	28.37
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	574661.34	--	574661.34
		पूंजी :	280790.94	--	280790.94
084	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	939.98	--	939.98
		पूंजी :	19613.91	--	19613.91
085	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	273.09	--	273.09
		पूंजी :	--	--	--
086	सूचना विभाग	राजस्व :	18659.56	--	18659.56

अनुसूची

(समाप्त):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
		पूंजी :	533.67	--	533.67
087	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	2172.65	--	2172.65
		पूंजी :	193.33	--	193.33
089	राज्य कर विभाग	राजस्व :	38880.55	3.50	38884.05
		पूंजी :	1016.67	--	1016.67
091	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	राजस्व :	14452.22	0.01	14452.23
		पूंजी :	36.67	--	36.67
092	संस्कृति विभाग	राजस्व :	3220.55	0.02	3220.57
		पूंजी :	2659.66	--	2659.66
093	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	राजस्व :	19938.38	--	19938.38
		पूंजी :	266970.26	--	266970.26
094	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	175856.10	--	175856.10
		पूंजी :	147908.38	166.67	148075.05
095	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	189587.52	16.67	189604.19
		पूंजी :	--	--	--
	योग :	राजस्व :	12820289.8	1602568.80	14422858.66
		पूंजी :	4070034.13	1086862.19	5156896.32
	महायोग :		16890323.99	2689430.99	19579754.98

खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 2021 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 2021 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17-12-2021 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 60 सूचनायें प्राप्त हुईं। हमने सभी सूचनाओं को स्वीकार कर लिया है।

प्रथम सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के खरीफ क्राप से प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री विनय शाक्य की जनपद हरदोई के उप जिलाधिकारी कार्यालय से पत्रावली गायब किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अनिल कुमार मौर्य की जनपद कानपुर नगर पुलिस बादशाहीनाका की सांठगांठ से संचालित चट्टों के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की कानपुर विकास प्राधिकरण में मीडिया के स्वतंत्रता के अधिकार हनन के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में मुख्य अभियंता एवं मुख्य रासायनिक की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना श्री संग्राम यादव की जनपद बांदा ग्राम रीगा, महुआ में प्रस्तावित श्मशान घाट की बाउण्ड्रीवाल कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना इं0 बृजेश कठेरिया की यूपीडा के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे पर अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के ग्राम निगोहा में हनुमान मंदिर के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री ठा0 दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ विधान सभा क्षेत्र के बरौली में अन्त्येष्टि स्थल का विकास कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की आयुष्मान योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्ड धारकों एवं गृहस्थी कार्ड धारक की आयु सीमा बढ़ाये जाने

के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री अबरार अहमद की जनपद सुल्तानपुर विधान सभा क्षेत्र इसौली में मेसर्स सुपर कांस्ट्रक्शन सौहगोली की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के महमूदाबाद रा0 इण्टर कालेज में स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री अनिल दोहरे की लोक निर्माण अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री हरिशंकर माहौर की सूचना अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में किये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री धर्मेन्द्र सिंह शाक्य की जनपद आजमगढ़ ठेकेदार फिरती द्वारा किये गये विकास कार्यों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की जनपद लखनऊ के अवध चौराहे पर अण्डर पास बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम चक बरैंचा में सेतु पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल नगर पंचायत के सभासद की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्रीमती ऊषा सिरोही की जनपद बुलन्दशहर के भू-माफियाओं द्वारा किये गये अवैध कब्जे की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली की तहसील आंवला को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में रोडवेज बस अड्डा का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया में कताई मिल की जमीन पर मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री इरफान सोलंकी की जनपद कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र तिरवा में विद्यालय के निकट श्मशान घाट को चिन्हित कर बाउण्ड्रीवाल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री पूरण प्रकाश की जनपद मथुरा में क्षेत्रीय प्रबन्धक परिवहन निगम के भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र निम की जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में हिंडन नदी पर सेतु पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री राज कुमार अग्रवाल की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में शौचालयों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के बेहट रोड शाकुम्भरी कालोनी में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में बाबा घुइसरन नाथ का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर में माँ शाकुम्भरी देवी पीठ को पर्यटन स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र गिठौर में श्मशान घाट की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर केन्द्र सेवरई को सीएचसी का दर्जा देने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विकास खण्ड कीरतपुर में दरगाह मोहल्ला किला का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं

सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद महाराजगंज के नगरपालिका वार्ड नं0-19 की झील का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के सहायक अभियन्ता प0वि0वि0नि0लि0 के द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री मूल चन्द्र निरंजन की पुलिस भर्ती में सामान्य श्रेणी के निर्बल आय वर्ग को आयु सीमा में छूट प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री राम प्रताप सिंह की जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर पानी की समस्या को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की जनपद उन्नाव की बाँगरमऊ तहसील की न्याय पंचायत राजेपुर को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्रीमती पिंकी सिंह यादव की जनपद लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के वीआईपी गेस्ट हाउस के कर्मचारियों द्वारा की जा रही लापरवाही की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में कतिपय सड़कों के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतालीसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड ठेकमा में कतिपय सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जिला अम्बेडकरनगर, ब्लाक अकबरपुर में क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना श्री असलम चौधारी की जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड खतौल के गन्धारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका का स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की राजस्व विभाग (भूलेख अधिष्ठान) में कार्यरत चैनमैनों की पदोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री अनिल पराशर की जनपद अलीगढ़ के अलीगढ़ नगर निगम सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्री बृज भूषण राजपूत की जनपद महोबा विकास खण्ड चरखारी में स्पोर्ट्स कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की जनपद महाराजगंज की नगरपालिका नौतनवां भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे किये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री मो0 फईम इरफान की जनपद मुरादाबाद के बिलारी ब्लाक में बन्द पड़ी गौशाला को शीघ्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा माननीया के साथ किये गये दुव्यर्वहार पर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री बम्बालाल दिवाकर की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की जनपद कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के नगर निगम जानकीपुरम, फैजुल्लागंज, त्रिवेणीनगर आदि क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री दिनेश चौधरी

की जनपद जौनपुर के तहसील सदर के ब्लाक सिकारारा में नाला कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री देवमणि द्विवेदी की राज्य अभियोजन सेवा संवर्ग के एपीओ से पीओ पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्या की जनपद लखनऊ के ब्लाक सरोजनीनगर में सरकारी ट्यूबवेल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे-59 पर ग्राम कोलकी के पास टोल प्लाजा पर स्कूली वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवी सूचना श्री लकी यादव की स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्थानान्तरण की नीति की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री असलम राईनी की जनपद श्रावस्ती में निर्भय कांस्ट्रक्शन के कार्यों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की प्राथमिक विद्यालय मॉडलपुर, जेवर, गौतमबुद्ध नगर को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा साठवीं सूचना श्री आनन्द शुक्ला की जनपद चित्रकूट के मानिकपुर, विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत यमुना के निरन्तर तेज बहाव से हो रहे कटान को रोकने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम लोग सम्भवतः ...

(इस मध्य कुछ सदस्यों द्वारा नियम-56 पर सुने जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 तो सरकारी कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। मैं संभवतः शब्द फिर लगा रहा हूँ कि संभवतः यह हमारे सभी के कार्यकाल का अन्तिम सत्र है। हम लोग एक परिवार की तरह यहाँ काम करते रहे हैं और कभी-कभी गरम कभी-कभी नरम ऐसी भावभूमि के साथ संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते रहे हैं। हम यहाँ पर इस आदरणीय सदन में कभी नरम, कभी गरम होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव तो ले आयें।

श्री अध्यक्ष-

मैं वही कहने जा रहा हूँ। यहाँ से आज हम लोग विदा होने वाले हैं तो इस पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव रख दें।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाये।

सत्रहवीं विधान सभा के अन्तिम सत्र के समापन के पूर्व दलीय नेताओं द्वारा आभार

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, दो-तीन बातें पाँच मिनट में कह देते हैं, मन में कहने को तो बहुत कुछ था। मान्यवर, जब हम मिलते हैं तो खुशी के क्षण होते हैं लेकिन जब बिछड़ते हैं तो बहुत दुख होता है। मान्यवर, ये विदाई का वक्त काफी तकलीफ देह है और मन पर बोझ भी है। बेहतर तरीके से हम लोग पौने पाँच साल बैठे, एक-दूसरे की हर प्रकार की खट्टी-मीठी बातों को शेयर किया और आज हम लोग अन्तिम क्षणों में विदा हो रहे हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनायें हैं। मान्यवर, मैं दो बातें जरूर कहूँगा। डेमोक्रेसी में कुछ चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली हैं। एक तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, वंशवाद और अब तो एक वाद नया चल गया है दुश्मनीवाद। डेमोक्रेसी सभी व्यवस्थाओं में सबसे अच्छी व्यवस्था मानी गयी है। हमारे बहुत बड़े फिलॉस्फर होरेस ने, लोके ने, रूसो ने, अपनी-अपनी फिलॉस्फी में बहुत कुछ कहा कि कौन सी व्यवस्था सबसे बेहतर हो सकती है, अब्राहम लिंकन ने इसके लिए सबसे अच्छी परिभाषा दी थी कि 'डेमोक्रेसी ऑफ दी पीपल, फॉर दी पीपल एण्ड बाय द पीपल'। हमारे सामने उदाहरण बहुत बड़े-बड़े हैं। महात्मा गाँधी जी को हम इसी प्रकार से जानते हैं, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभायी और अगर जीवन भर उन्होंने अहिंसा का व्रत लिया तो इसको उन्होंने निभाया भी है।

चौरी-चौरा काण्ड में जब अहिंसा की बात आती है तो महात्मा गाँधी जी ने उसको वापस लेने की बात कही थी, आंदोलन आगे नहीं चलाया था। नेल्सन मण्डेला इसी आजादी के लिए और इसी अहिंसा के लिए कितने सालों तक जेल में रहे। गाँधी जी ने कहा था 'यू कैन शेक द वर्ल्ड इन ए जेन्टल वे' दुनिया को हिला सकते हो तो केवल अहिंसा के माध्यम से, केवल विचारों के माध्यम से लेकिन लोकतंत्र पर हमारे यहाँ, अगर सही मायने में विकास की बात हो केवल यही विचार हो तो निश्चित रूप से, अगर हमारे मनोमस्तिष्क में यह बात पहुँच जाये तो सभी राजनैतिक पार्टियां इसी आधार पर टिकट भी देंगी और इसी आधार पर देश के विचार को आगे बढ़ाया भी जायेगा। यह बहुत जरूरी है और जनतंत्र इतना जबरदस्त हावी हो गया है कि देखकर बहुत खराब लगता है। यह किसी पक्ष एवं विपक्ष की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। यह पूरे समाज में डेमोक्रेसी के ऊपर जो व्याप्त है, हर क्षेत्र में चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, ये चीजें उसके ऊपर हावी होती हैं। हर हालात में सभी लोगों को यह मंथन करना चाहिए, यह चिंतन करना चाहिए कि इसको हम किस प्रकार से मिनिमाइज करें और इसको मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि हम अपने आप में, किसी न किसी रूप में डेवलपमेंट की बात करें।

दुश्मनी कितनी ही लम्बी हो, आखिर में बातचीत से ही समस्याएं साल्व होती हैं। दुश्मनी एक दिन की, दो दिन की, लम्बे समय तक दुश्मनी चलती नहीं है। तुम भी थक जाओगे और हम भी थक जायेंगे। दुश्मनी का सफर बहुत स्थायी नहीं होता, इसलिए हमको हर स्तर पर यह विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि यह सदन 24 करोड़ लोगों को मन-मस्तिष्क से प्रभावित करने वाला सदन है। सभी लोग यह महसूस करते हैं, समाज में ऊपर बैठे हुए लोग जो आचरण करते हैं, बाकी समाज उनको देखकर ही अपना आचरण निर्धारित करता है, अपनी कार्यविधि, कार्य पद्धति अपनी कार्य शैली निर्धारित करता है। हम लोग बहुत कुछ प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इन्टेलिजेन्शिया क्लास में इन्टेलैक्चुअल क्लास से यह उम्मीद की जाती है कि वे कम से कम जातिवाद को, कुरीतियों को बढ़ावा न दें क्योंकि यह देखा गया है कि सब लोग उससे ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हो गये हैं और जब तक हम विकास को धुरी नहीं बनायेंगे, केवल अपने क्षेत्र, अपने जिले, अपने प्रान्त को ही अपने देश को आधार मानकर आगे नहीं चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस कुरीति का निदान सम्भव नहीं है।

मोदी जी इस देश के लिए वरदान हैं। 1555 में एक नोस्ट्रा डायनस नामक फ्रांसीसी लेखक हुआ जिसने लिखा था कि 21वीं सदी में समुद्र से लगे हुए प्रान्त का एक व्यक्ति ऐसा होगा जो हिन्दुस्तान की परिस्थिति को बदलेगा। मान्यवर, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेन्ट है। 2014 में जो स्थिति पैदा हुई। हमारे हिन्दुस्तान का 1000 साल बाद प्राइड लौटाया, आत्मसम्मान लौटाया, स्वाभिमान लौटाया। हर हालत में पहले हम हिन्दुस्तानी हैं। पहले हम भारतीय हैं, मन से हैं। बहुत बड़ा योगदान इस बात का है कि हिन्दुस्तान के सामने बुनियादी समस्याएं थीं सन् 1952 से लेकर 1962 तक जिनका निराकरण होना चाहिए था। वह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।

कल माननीय योगी जी कह रहे थे कि ऐसा शासक जिसका अपना कोई एजेण्डा न हो, जो सुबह से शाम तक हिमालय से लौटने के बाद 2 साल हिमालय में तपस्या करने के बाद उन्होंने सम्पूर्ण जीवन भारत माता को समर्पित करने का जो व्रत लिया वह सुबह से शाम तक टाइम की पंचुएलिटी के साथ किया और सम्पूर्ण समर्थन इसी बात का है। कोई भी योजना देखिये। किसी जाति, मजहब के नाम पर विकास कभी नहीं बांटा। चाहे जितनी भी योजना केन्द्र सरकार ने चलाई। इसके आधार पर बांटा नहीं और मैं समझता हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको इतना सशक्त और शक्तिशाली नेतृत्व मिला और हमारे योगी जी भी उसी परम्परा का निर्वाह कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के आम आदमी के हालात बदले जायें। उत्तर प्रदेश की पर-कैपिटा इनकम बढ़े। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित हों। इनका भी अपना कोई एजेण्डा न हो।

मैं जानता हूँ कि जो मन-मस्तिष्क से जो आदमी पूरी तरीके से इस बात को सोचता है जिसका दृष्टिकोण विकास का है। हम समझते हैं आदमी के अन्दर दो गुण होते हैं। एक बुराई का और एक अच्छाई का। अगर हम अच्छाई के गुण को केन्द्रित करके अपना आधार मानकर

आगे की कार्यवाही करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। सही काम करने में समस्याएं हैं लेकिन कम समस्याएं पैदा होंगी। सही निर्णय लेने में समस्याएं कम हैं। गलत निर्णय लेने में समस्याएं ज्यादा हैं। यह हर एक पर लागू होता है। ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता। हम तो अपने विचार आपसे शेयर कर रहे हैं। कोई सुना नहीं रहे। केवल समस्याएं शेयर करना चाहते हैं। तीसरी और अन्तिम बात मैं चाहता था कि विधायकों का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने। 2000 में जब प्लानिंग रजिस्टर था, तब से मैं इस बात की कोशिश कर रहा था। किसी तरीके से एक इंस्टीट्यूट बने। उस वक्त नहीं हो पाया लेकिन इस बार जब मैं मंत्री बना तो मैंने गाजियाबाद में एक 60 बीघा जमीन अतिक्रमण से खाली कराई और वहाँ पर पालिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई। वह ऐसे ही उसमें फंस गया। अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हो पायी है। हालांकि हमने व्यवस्था कर दी थी नगर विकास से क्योंकि राजनैतिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति चुनकर आये, चाहे वह ग्राम प्रधान हो या बीडीसी का मेम्बर हो, सबको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए क्योंकि जब सुधार की बात आये तो इस सदन से हर व्यक्ति ऐसा निकलना चाहिए कि बाहर हम लोगों को बता सकें कि हमने सोसाइटी को क्या दिया। इसलिए चाहे किसी भी विकास की धारा हो और हो सकता है कि हमारी उनसे राजनैतिक कोई मित्रता ना हो, लेकिन अगर विकास के मामले में इस प्रकार से कोई सदन को आगे बढ़ाता है तो हम उसको लगातार सपोर्ट करते आये हैं और करते रहेंगे। यह कोई आज नई बात नहीं है।

मुझे इस विधान सभा में 32वां वर्ष है। लगातार सन् 1989 में पहली बार आया था और 32 वर्ष तक मैं लगातार इस विधान सभा में आपके बीच में हूँ। लेकिन हम एक-दूसरे के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। राजनैतिक मतभेद अपनी जगह पर हैं लेकिन धीरे-धीरे समाज जिस ओर बढ़ रहा है, वह बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम तो हमेशा यही सोचते रहे कि उनका जो काम है, वह एवं सियासत का नहीं अपना पैगाम मोहम्बत है जहाँ तक पहुँचना और उसी पर हमेशा इसी पर डटे रहे कि कुछ भी हो, हमको अपने इसी रास्ते पर चलना है। हमारे विधान सभा क्षेत्र के 43 प्रतिशत मुस्लिम हैं जहाँ मैं रहता हूँ। चाहे वह मुझे वोट न दें लेकिन गाली नहीं देते हैं। वह इस बात को भी मानते हैं क्योंकि हमारी सोच यह है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सभी को आगे लेकर चले हैं। इसी पर चलते आये हैं। तभी हमको आज तक सफलता मिली है। हम विधान सभा के बाहर अपनी पार्टी के प्रति वफादार हो सकते हैं लेकिन अन्दर हम एक-दूसरे के साथी हैं। एक-दूसरे के प्रति हमदर्दी है। एक-दूसरे के प्रति हमारा प्रेम-भाव बराबर बना रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़े हैं।

मैंने आज अपने मन की बात कही है। हम अपनी बात आपको शेयर कर रहे, इसलिए मेरी सबके प्रति शुभकामनाएं हैं। हमारी जनकल्याण के प्रति सदा ऐसी भावना रहती है और जिस प्रकार से हम लोगों का कल्याण ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, यही विचार हमेशा पनपता रहता है। एक शायरी के साथ अपनी बात को खत्म करूँगा।

नक्शा उठाकर कोई मेरा शहर ढूंढ़िये, इस शहर में तो सबसे मुलाकात होती है। चलते-चलते एक बात और कह दूँ। चिरागों को आँखों में महफूज रखना बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।

नेता विराधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो क्षण है यह बहुत सुखद तो नहीं है, लेकिन हमारे संविधान की बाध्यता है कि हमको पांच वर्ष के बाद पुनः चुनाव लड़कर और जीतकर इस सदन में आना होता है। अरसे से हम लोग साथ बैठ रहे हैं और एक-दूसरे से मिल रहे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज भी अपनी आदत नहीं छोड़ी और लम्बा भाषण कर दिया। यह विदाई समारोह था इसलिए एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल होने पर बात हुई होती, लेकिन फिर होने लगी वोट की बात। यह तो फिर से वही बात हो गई कि 'आये थे हरि-भजन को, ओटन लगे कपास'।

माननीय अध्यक्ष जी, आपको भी सदन चलाने में बहुत सी कठिनाइयाँ महसूस हुई होंगी और कभी-कभी हम लोगों की बात से भी आपको कष्ट पहुँचा होगा, लेकिन हम लोगों का जो काम है और जिसके लिए जनता ने हमको चुना है वह काम सदन में हमको कहना जरूरी है। भले ही इससे आपको थोड़ा कष्ट पहुँचे, माननीय मुख्य मंत्री जी को कष्ट पहुँचे, माननीय मंत्रीगणों को कष्ट पहुँचे, या किसी माननीय सदस्य को कष्ट पहुँचे। हम किसी को कष्ट पहुँचाने की भावना से अपनी बात नहीं कहते हैं, बल्कि अपने हृदय के उद्गार से कह देते हैं। आपने लगभग पाँच वर्ष तक सदन का बहुत अच्छे तरीके से संचालन किया है और अद्भुत किया है। अगर हम लोगों के आचरण से आपके मन में कोई कष्ट हुआ हो तो कृपया आप उसको भूल जाईयेगा। हम लोग हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि आपका सम्मान सदैव सर्वोपरि रहे। इस सदन की जो परम्पराएं हैं, लोकतंत्र की जो परम्पराएं हैं और हमारे संविधान में जो व्यवस्था है, उसके अनुसार आपकी गरिमा को बनाये रखना, हम सभी लोगों का कर्तव्य है। अगर उसमें हम लोगों से कोई कमी हो गई हो तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय सदन में हैं ही नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी का लोकतंत्र में विश्वास है अथवा नहीं है, इससे यह सोचनीय हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमेशा परम्परा रही है कि नेता सदन अगर सदन में बोल रहे हैं तो नेता विरोधी दल को उनका भाषण सुनना परम्परागत संसदीय तरीके से और संवैधानिक दृष्टि से आवश्यक है।

इसी प्रकार जब नेता विरोधी दल भी सदन में बोलें तो माननीय नेता सदन को चाहे कोई भी जरूरी काम हो, उनको इस सदन में उपस्थित रहना चाहिए। कभी कोई ऐसा अवसर नहीं आया कि जब नेता सदन यहाँ पर बोल रहे हों और मैं यहाँ उपस्थित न रहा हूँ, लेकिन अधिकांश समय जब मैं बोला हूँ तब नेता सदन यहाँ से नदारद रहे हैं। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी लोकतंत्र की मजबूती पर बोल रहे थे और संसदीय परम्पराओं का गुणगान कर

रहे थे, फिर भी आज कहीं भी माननीय मुख्य मंत्री जी हों, अगर उनको कभी मेरी बात से अथवा मेरे दल के सदस्यों की किसी बात से या फिर पूरे विपक्ष की किसी बात से कष्ट पहुँचा हो तो वह भी भूल जायें। यह हम लोग उनसे निवेदन करते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे मित्र भी हैं और हम लोग बहुत समय से इस सदन में आ रहे हैं। मैं इनसे पहले से सदन में आ रहा हूँ। इनसे कई बार हमारी नोकझोंक भी हो जाती है और अगर आपके मन में भी इस तरह की कोई बात हो तो मैं महसूस करता हूँ और पूरे विपक्ष की तरफ से आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी उसको भूल जाइये।

जितने भी मा0 मंत्रीगण हैं, उनको भी अगर विपक्ष की किसी बात से कष्ट पहुँचा हो या दुख लगा हो तो वह भी आज के बाद इस बात को भूल जायें और मा0 सत्ता पक्ष या विपक्ष के किसी भी सदस्य को अगर हम विपक्ष के लोगों की किसी बात से उनकी आत्मा को आहत पहुँची हो तो वह भी आज के बाद उस बात को भूल जायेंगे। सभी लोग मिल-जुलकर अच्छी परम्पराएं रखें। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नये सदस्यों ने भी इस सदन में अच्छे विचार रखे और आपने भी सबको मौका दिया। हमारी जो मा0 महिला विधायक हैं उन्होने भी सदन में अपने अच्छे विचार रखे। हमारे विपक्ष के लोगों ने अपने विचार रखे। पूरे मा0 सदस्यों ने अपनी बात को रखा लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा कि इसमें संसदीय परम्पराओं का इस सदन में बहुत हनन हुआ है। इसका मुझे दुख है। क्योंकि हम लोग शुद्ध राजनीति से ही राजनीति में आये हैं छात्र जीवन में छात्र संघ के महामंत्री का चुनाव जीता, अध्यक्ष का चुनाव जीता, देश और दुनिया के महान समाजवादी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रांति के आंदोलन में भाग लेकर, 21 महीना जेल काटकर और जिन राजनीति की भावनाओं को लेकर हम लोग राजनीति में आये थे, जो संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे, मा0 अध्यक्ष जी, उस राजनीति की आज दुर्दशा हो गयी है। वह राजनीति नहीं है।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों के द्वारा टोका टाकी करने पर)

यह वही लोग हैं जिनको आना नहीं है। क्या अवसर है, क्या बात हो रही है, कल से हमको, आपको यहाँ बैठना नहीं है तो भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। एक लड़की जब अपने मायके से ससुराल जाती है तो पूरा परिवार रोता है, आप हँस रहे हैं। हम लोग पाँच वर्ष से यहाँ बैठकर काम कर रहे हैं। एक-दूसरे से बिछुड़ने जा रहे हैं। तो भी टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। फिर कौन चुनकर आयेगा, कौन नहीं आयेगा, यह कौन जानता है। यह तो जनता के ऊपर है। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि नये मा0 सदस्यों ने भी अपने अच्छे विचार रखे लेकिन जैसे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि राजनीति का जो हनन हो रहा है, लोकतंत्र पर जो कुठाराघात हो रहा है, संविधान की मर्यादाएं जो खत्म हो रही हैं, संवैधानिक संस्थाएं जो खत्म हो रही हैं, उन सबकी गरिमा को वापस लाना हम सब लोगों का कर्तव्य है। सदन में रहें तब और सदन के बाहर रहें तब। पुनः मैं आपके प्रमुख

सचिव का, इनके पूरे सचिवालय कर्मियों का, सुरक्षा कर्मियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने जब भी विधान सभा चली, पूरी तन्मयता से हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। श्रीमन्, कभी भी विपक्ष ने आपके मान-सम्मान पर आँच नहीं आने दिया और कभी आपके स्टाफ के मेज पर चढ़ने का काम नहीं किया। जबकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ मेज पर चढ़कर हल्ला करते थे। हम लोगों ने लोकतंत्र की लाज को रखा है। भले कि आप लोग विपक्ष को कमजोर कहें। हम अपनी बात रखते हैं, सदन भी कम बाधित हुआ है। उसका कारण आप हैं। इसमें सबका सहयोग रहा है। मैं पुनः मा0 अध्यक्ष जी, आपको, आपकी कार्यशैली को, हम लोगों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान, प्रमुख सचिव का, मुख्य मंत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री जी का, सभी मा0 मंत्रीगण का, सभी मा0 सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन लोगों ने इस सदन को सुचारु रूप से चलाने में, लोकतंत्र की मर्यादा को रखने में अपनी अहम भूमिका निभायी है, पुनः मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और फिर इस बात से मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यह कहता हूँ कि आज भाषण का दिन नहीं था।

मान्यवर, लेकिन आप लोग हमेशा अवसर का लाभ उठाते हैं। हम अब आज यहाँ से उठ रहे हैं। सदन में धक्का-मुक्की हुआ करती है। आप तो इस सदन में कब से हैं, इस सदन में कौन-कौन सी घटना नहीं घटी है, लेकिन यह आपका सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है और माननीय अध्यक्ष जी का भी सौभाग्य है कि हम तीनों के कारण यहाँ पर कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई, जिससे लोकतंत्र की लाज को झटका लगे। इसलिए बहुत भारी मन से सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ और यह आशा करता हूँ कि सदन से बाहर भी सभी लोग जो भी यहाँ पर थोड़ी-बहुत कटुता पैदा हुई हो उसको भुलाकर राजनीति, संसदीय लोकतंत्र, संसदीय परम्पराओं, संविधान एवं संसदीय संस्थाओं को मजबूत रखने में अहम योगदान देंगे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है और यही मेरा अनुरोध है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज हम बोलते समय थोड़ा-सा भावुक हो गये थे, लेकिन मन में जाने की जल्दी थी। आपने यह बात ठीक कही है। आपने माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में जो बात कही है, वह शहर में नहीं हैं। वह माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में बनारस गये हैं। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़ रहे हैं, वहाँ पर मेयर की कांफ्रेंस थी। उनका प्रोग्राम पहले से तय था। अगर वह शहर में होते तो सदन में जरूर होते। मुझे आपको कम्युनिकेट कर देना चाहिए था। एक बात क्षमा के साथ जरूर कहना चाहता हूँ कि इस विधान सभा के संचालन में आपने जिस प्रकार से संरक्षणकत्व भाव से सबका संरक्षण किया। हम आपको विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं और बधाई एवं धन्यवाद देते हैं कि आपने एक प्रकार से प्रतिपक्ष के रूप में पूरे सदन को न केवल संचालित किया बल्कि सबका मार्गदर्शन भी किया और जब विद्वान आदमी इतनी महत्वपूर्ण सीट पर हो तो उसकी विद्वता अपने आपमें

महकती है और वह विद्वता सबको संचालित होती है, कहीं-न-कहीं लोग इस बात के लिए प्रेरित भी होते हैं। आपकी शब्दावली, आपका व्यवहार और आपके संचालन का तरीका, आपने हर समय जो इस सदन को दिया है उसके लिए आपकी प्रशंसा में शब्द छोटे पड़ते हैं। माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता बसपा श्री लाल जी वर्मा, माननीय उमाशंकर जी, माननीय लल्लू जी, माननीय मोना जी, माननीय लीला तिवारी जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और यहाँ पर जितने भी माननीय सदस्य हैं। मैं सभी से इस बात का आग्रह करता हूँ कि कभी-भी मेरे व्यवहार से कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और प्रमुख सचिव ने विधान सभा को बहुत अच्छे तरीके से संचालित करने में सहयोग किया। एक अनुभवी व्यक्ति एवं एक विधि के जानकार व्यक्ति जब ऐसी सीट पर बैठता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी अपनी बात का वजन भी होता है और उसका प्रभाव पूरे सदन के संचालन पर पड़ता है और सभी कर्मचारियों और मार्शल सहित सभी सुरक्षाकर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। पक्ष-विपक्ष के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत सहयोग किया जिससे हम लोग सदन के संचालन में अग्रणी भूमिका निभा पाए। एक बार फिर से अपने सभी विपक्ष के नेताओं, विपक्ष के सदस्यों को भी विश्वास दिलाते हैं कि आपको हमारे व्यवहार से कष्ट नहीं होगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि अब हम बिल्कुल विदाई वाले समय पर खड़े हैं और आप सभी लोगों का बहुत बड़ा अनुभव है, आप जैसे विद्वान माननीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और यहाँ बैठे-बैठे भी हम लोग महसूस करते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी पर सदन को चलाने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ हम विपक्ष के साथियों पर आपकी कभी-कभी आंखें जाती थीं तो कभी आप दूसरी तरफ मा0 संसदीय कार्य मंत्री और सत्तापक्ष के लोगों पर भी नजर रखते थे। हम समझ सकते हैं और पिछले कार्यकालों में बहुत बार ऐसा हुआ कि संसदीय कार्य मंत्री और विधान सभा अध्यक्ष जी में कई तरह की बातें हो गयीं, हम उसे दोहराना नहीं चाहते हैं लेकिन हम इसे महसूस करते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। हम सब विपक्ष के लोग हैं इसलिए हमारा भी उद्देश्य होता है कि सदन में अपनी बात रखें या हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम अपनी बात को किस तरह से रखें और किस तरह से आम जनता को संदेश दें तो कभी-कभी उस उत्तेजना में आकर अपनी बात रखने लगते हैं, हम भूल जाते हैं कि पीठ पर इतने विद्वान और इतने अनुभवी माननीय अध्यक्ष जी हैं।

हम लोगों ने यह भी देखा है कि आप कितना भी अस्वस्थ होते थे और हम लोग आपस में बात भी करते थे, महसूस भी करते थे कि आप थोड़ी देर बैठकर जाते थे और फिर आ जाते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से या हमारे दल की तरफ से किसी बात को लेकर

आप जैसे विद्वान अध्यक्ष जी के आसन पर रहते कुछ कटु निकला हो तो क्षमा चाहेंगे। हम लोगों ने समय-समय पर अपने प्रमुख सचिव साहब का भी सहयोग लिया है और निश्चित रूप से इनका जो विविध अनुभव है, इनके पास कभी भी किसी भी बात को लेकर जाइये, उसको टालने का प्रयास नहीं करते थे बल्कि उसका एक साथ बताते थे कि हम मा0 सदस्यों को कैसे अपनी बात को रखना चाहिए, हमेशा यही मार्गदर्शन देते रहे हैं। आपके सचिवालय के जो अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण हैं उनका भी हमें भरपूर सहयोग मिला लेकिन फिर भी प्रमुख सचिव विधान सभा एवं उनके अधीनस्थ जो भी अधिकारी/कर्मचारीगण हैं, मेरी तरफ से या हमारे दल के मा0 सदस्यों की तरफ से अगर कहीं कोई कष्ट पहुँचा हो तो क्षमा चाहेंगे। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी कई ऐसी बातें होती हैं, हम लोग जब अपनी बात को रखते हैं तो बड़ी विनम्रता से चाहते हैं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का आश्वासन आ जाये और जिस काम के लिए अपनी बात रख रहे हैं वह काम भी हो जाये। न चाहने पर भी कई कामों पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी असहमत होते थे कि यह संभव नहीं है। लेकिन हम लोगों के आग्रह को स्वीकार कर लेते थे। कई बार ऐसी बात आई जब वे सरकार का पक्ष रखते थे और हम लोग उसका विरोध करते थे। चूंकि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी हम लोगों के अभिभावक भी हैं, काफी कुछ उनसे सीखते हैं, हम सभी मा0 सदस्यों को यह सीखना चाहिए कि यह जरूरी नहीं है कि किसी भी बात पर लाइम लाइट में आने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें जिससे किसी को ठेस पहुँचे। मैं भी दूसरे बार का ही सदस्य हूँ, कोई बहुत पुराना सदस्य नहीं हूँ लेकिन हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम लोग सदन में हैं और सदन के बाहर भी मिलेंगे और कई बार शेरो-शायरी में यह बात भी आई है कि हम उतनी ही दुश्मनी बढ़ायें कि कभी बाहर मिले तो आँख न चुरानी पड़े। इस तरह की बात का हम सभी मा0 सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आज जो मा0 सदस्य सदन में जीतकर आये हैं फिर अगली बार भी आयेंगे। लेकिन एक बार जो हमारा आचरण इस कार्यवाही में और संसदीय परम्परा में आकर लिख जायेगा, उस आचरण को मिटा पाना फिर बड़ा कठिन होता है।

चाहे हमारे दल के लोग हों, आमतौर पर हमारे दल की ओर से माननीय वर्मा जी बात रखते थे। कई बार ऐसी बात हो जाती थी, जिसमें हमारे मा0 सदस्यगण उत्तेजित हो जाते थे, कई बार हम लोग भी उत्तेजित हुए। उस उत्तेजना में अगर कहीं कोई ऐसा शब्द निकला हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कई बार हमारे जो मंत्रीगण हैं, क्वेश्चन आवर में हम लोग सप्लीमेंट्री करते हैं, कुछ उससे भागना भी चाहते हैं, लेकिन हम जान रहे होते हैं कि उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए वह भाग रहे हैं, उस स्थिति में भी हम लोग कुछ कह जाते हैं। लेकिन माननीय मंत्रीगणों के पास बना हुआ सरकारी जवाब होता है, उन्हें सरकार के पक्ष को रखना भी है। अगर हम यहाँ से बाहर जायें तो वह हमारी बात को स्वीकार भी करते हैं। फिर भी हो सकता है कि कभी कोई ऐसी बात निकल गयी हो तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ और इस आदरणीय सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष की भूमिका का इन 05 सालों में इतने

अच्छे तरीके से निर्वहन किया और कई बार आपकी सूझ-बूझ से सदन को चलाने में काफी मदद मिली। नहीं तो यह जो दो पक्ष हैं, अगर विपक्ष चाहे कि सदन न चले तो यह सदन नहीं चल सकता है। हम देखते हैं कि जब भी क्वेश्चन ऑवर होता है, हम सब एक-दूसरे से वाकिफ हैं, कई बार हमारे कैबिनेट मंत्री पूछते हैं कि आप लोग हल्ला-गुल्ला नहीं करेंगे क्या ?

वह भी चाहते हैं कि क्वेश्चन आवर निकल जाये और सप्लीमेंट्री का जवाब न देना पड़े। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हम लोगों के अभिभावक हैं, काफी कुछ इनसे हम लोगों ने सीखा है और आज भी सीखते हैं सदन को चलाने में माननीय नेता प्रतिपक्ष का काफी सहयोग मिला और इसी के साथ जो अन्य हमारे माननीय सदस्यगण हैं, हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यगण हैं और सत्तापक्ष के सदस्यगण हैं, अगर हमारी तरफ से या हमारे दल की तरफ से किसी माननीय सदस्य को कोई पीड़ा पहुँची हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही भावुक क्षण है। इस देश के सबसे बड़े संविधान के मन्दिर में 24 करोड़ की आबादी का नेतृत्व यहाँ पर बैठे 403 सदस्य करते हैं। मैं मानती हूँ कि यह बड़े गौरव की बात है, इस सदन का सदस्य होना। मेरा इस सदन को नमन है और यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस सदन में बैठे हैं। आज अन्तिम दिन है, बहुत सारी शुभकामनाएँ सबके लिए और ईश्वर की कृपा होगी, जनता का निर्णय होगा कि कौन वापस आता है और कौन नहीं। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत कुछ हमने यहाँ सीखा। जब से इस सदन में चुनकर आयी हूँ, बहुत कुछ अनुभव रहा है। मैं 2014 में चुनकर आयी थी। एक बड़ी विरासत लेकर मैं इस सदन में आयी थी। मेरे पिता इस सदन में 22 वर्ष रहे, एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। एक तुलनात्मक जिम्मेदारी थी, जब हम बोलने के लिए खड़े होते थे तो लोग देखते थे कि क्या बोलने जा रहे हैं ? लोगों को बहुत उम्मीदे थीं, मैंने हमेशा पूरा प्रयास किया कि संसदीय गरिमा को देखते हुए सदन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँ, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूँ, अपनी पार्टी की बात पूरी ताकत और मजबूती के साथ रखूँ।

अध्यक्ष जी, कई बार वेल में जाने पर बाद में आप मुझे डांटते भी थे। लेकिन जो जनतंत्र के मुद्दे थे, जनता के मुद्दे थे, वह मेरी जिम्मेदारी भी थी कि उनको मैं अपनी पूरी क्षमता से यहाँ पर रखूँ। आपने हमेशा मार्गदर्शन दिया और बहुत ही सहजता से हम लोगों को अपनी बातें कहने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भले ही कभी-कभी नाराज हो जाते थे, लेकिन उनका भी हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को और नेता सदन को, वह आज यहाँ मौजूद नहीं हैं, मै उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ और मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों का जिन्होंने सदन के संचालन में

सहयोग किया, जैसा कि नेता बसपा ने कहा कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते थे, प्रश्नकाल में जहाँ कई बार तर्क-वितर्क होते थे, लेकिन मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों का सहयोग रहता था।

नेता प्रतिपक्ष और आदरणीय राम गोविन्द चौधरी जी से मिला है। एक साथ एक नेता के रूप में उन्होंने हम सबको एक साथ लेकर के चलने का प्रयास किया। मैं तो बहुत जूनियर थी उनसे, लेकिन हमेशा हर विषय पर उन्होंने परामर्श किया और सुझाव दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ। लाल जी वर्मा जी हैं, नेता बसपा हैं और राजभर जी हैं। मैं इन सबका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और प्रमुख सचिव जी विधान सभा यहाँ बैठे हैं इनको बड़ा अनुभव है और उस अनुभव को इन्होंने कभी अपने तक नहीं रखा। हमेशा जो भी सदस्य इनके पास गया और जिस समस्या के साथ गया उसका इन्होंने प्रयास किया कि उसको सुलझाया जाये। मैं इनके सचिवालय के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूँगी और उसके साथ-साथ सरकार में जितने भी अधिकारी थे, उन्होंने समय-समय पर अपना योगदान प्रश्नों के उत्तर में दिया है, मैं उनका भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और अंत में यदि मेरे व्यवहार से या मेरी किसी बात से पीठ का या मा0 सदन का या कोई सदस्य मेरी बात से आहत हुआ हो तो मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। अंत में मेरी शुभकामनाएं हैं सभी साथियों और सदस्यों को कि वापस हम सब आयें। यह मेरी इच्छा है और हम सब जहाँ भी रहें सहृदय हमेशा एक-दूसरे को याद करते रहें।

श्रीमती लीना तिवारी-

परम आदरणीय कर्मठ ईमानदार विधान सभा अध्यक्ष हमारे कर्मयोगी आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी, विद्वान नेता प्रतिपक्ष, नेता बसपा, नेता कांग्रेस, नेता सुहेलदेव सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित विधायकगण आज का यह पल बहुत ही भावुक है। हम सब बहुत ही जोश से लबरेज होकर के इस 17वीं विधन सभा में प्रवेश किये थे और आज इन लोगों के सत्र का यह अन्तिम पल है। ज्ञान शिक्षा के आंगन से जनसेवा के प्रांगण तक हमारी इस यात्रा में बहुत कुछ सीखने और संवारने का स्वर्णिम अवसर मिला हमें, परन्तु हमारी जिज्ञासा और पिपासा आज भी अधूरी है। जो हमारे प्रज्ञा प्रखर अध्यक्ष महोदय के सानिध्य से और भी प्रखर होती रहेंगी। अपेक्षाओं का यह कारवाँ आप लोगों के साथ बढ़ता ही रहेगा और हमारे सर्वोपरि नेतृत्व के साथ बढ़ता ही रहेगा और हमारे सर्वोपरि नेतृत्व की नेत्री अनुप्रिया पटेल जी की छत्रछाया में और हमारे मुख्य मंत्री जी और अन्य मंत्रीगण की अनुकम्पा के आवरण में हमारे चतुर्दिश विकास की धारा अनवरत बहती रहेगी। आपका यह कृपा प्रसाद हम सबके साथ हमेशा बना रहे और हम उनके आशीर्वाद से हमेशा अभिसिंचित होते रहें। हमारी उम्मीदें बरकरार रहें और हमें अपनी सेवा को प्रदान करने का अवसर पुनः मिले। इसी उत्कृष्ट आकांक्षा के साथ हम सही जगह से विदा ले रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी आपका हम सब पर बहुत ही आशीर्वाद रहा। हम सबने आपमें अपने पिता की छवि देखी है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि अगर

हमसे कभी भी कोई गलती या कोई त्रुटि हो गई हो तो बच्चा समझकर के हमें माफ करने की कृपा करियेगा। मैं सभी मंत्रीगण से और हमारे परम आदरणीय मुख्य मंत्री जी जो आज इस सदन में हैं नहीं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ और सभी मंत्रीगण हमारे नेता विद्वान प्रतिपक्ष से सभी लोगों से या मेरे पार्टी के किसी भी सदस्य से कभी भी कोई गलती हो गई हो और कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ हो जो अनुचित था उसके लिए मैं इस सदन में हाथ जोड़कर आप सबसे माफी चाहती हूँ। यह सदन हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है, क्योंकि सदन से ही हमें पहचान मिली है। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम इस सदन में एक सदस्य के रूप में यहाँ निर्वाचित हुए हैं।

मैं अपनी सारी शुभकामनाएं आप लोगों को प्रेषित करती हूँ। मैं उसमें अपने आपको भी सम्बद्ध करते हुए ईश्वर से यह कामना करती हूँ कि हम सब अब पुनः निर्वाचित हो करके इस सदन में आयें और हम इस सदन में उपस्थित होकर अपने आपको गौरवान्वित महसूस करें। इसी के साथ ही मैं आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय को, आदरणीय मार्शल साहब को, सभी अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण को हाथ जोड़कर बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सबको पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द जय भारत। भारत माता की जय।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार विधान सभा में आया था और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपने जिस तरह से सबको स्नेह, प्यार और सम्मान दिया, चाहे वे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों तो हम लोगों को आपसे बहुत सीख मिली है, हमने बहुत कुछ पाया है और मेरी पूरी कोशिश रही कि आपका जो भी निर्देश रहा, हमने उस निर्देश में पूरा प्रयास किया कि हम आपके निर्देशों का पालन करते रहें। ऐसे ही हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, हालांकि वे इस समय यहाँ नहीं हैं लेकिन उनसे भी हम लोग मिलते रहे क्योंकि मैं 18 महीने सरकार में रहा तो इस नाते हम लगभग सभी मंत्रियों से मिलना-जुलना, बातचीत करना, करते रहे। फिर किन्हीं कारणों से मैंने सरकार से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी काफी प्रयास हुआ कि आइये, साथ रहिये। खैर! इस अवसर पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से, हमारे विधायकगण की तरफ से अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, चाहे वे सत्तापक्ष के साथी हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे हमारे मंत्रीगण हों, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने विधायक साथियों की तरफ से क्षमा चाहता हूँ कि अगर कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करियेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सदन की बहुत कार्यवाही देखी, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, इस पर बहुत लोगों को देखा, मैं यहाँ पर तो नहीं आता था लेकिन मैं टी0वी0 पर देखा और सुना करता था।

जिस तरह आपने 05 साल लगातार सदन को चलाया तो हम ऊपर वाले से यही कहेंगे कि आप फिर उस कुर्सी पर बैठें और इस सदन की गरिमा को इसी तरह से बनाये रखें। साथ

ही हम अपने सभी साथियों से कहेंगे कि हमारे बोलने में किसी साथी को थोड़ा खट्टा लगा होगा, किसी को मीठा लगा होगा तो हमें क्षमा करियेगा क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आया था और मैं मेरी जो एक जिज्ञासा है, मेरी जो सोच रही है तो मैं अपनी सोच पर, अपने विचार पर काम करता हूँ। ऐसे ही हमारे माननीय प्रमुख सचिव जी हैं, मैं जब भी आपके कमरे में गया, जब भी मैंने आपसे मिलने के लिए फोन किया तो इन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है। इन्होंने तुरन्त हमको बुला लिया और हमारी जो भी बात रहती थी तो ये उसको सुनते थे और सलाह भी देते थे कि आप इसमें ऐसे-ऐसे करिये तो आपका यह काम जल्दी हो जायेगा।

ऐसे ही हमारे कई माननीय मंत्री जी रहे, जब हम उनके यहाँ जाते थे तो वे लोग भी हमारी पूरी मदद करते थे, कोई काम जहाँ से भी होने लायक होता था और हम उनसे कहते थे तो वे प्रयास करके उसे करा देते थे। अब पिछले पाँच साल बीत रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में हमारी सबको शुभकामना है कि हम सभी लोग जनता चाहेगी तो फिर हम लोग इधर मिलेंगे और जनता नहीं चाहेगी तो हम लोग फिर इधर नहीं मिलेंगे लेकिन बाहर मिलेंगे सदन से बाहर हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी और बहुत कुछ न कहते हुए पुनः मा0 अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ, प्रमुख सचिव जी को भी धन्यवाद देता हूँ और इस सचिवालय के सभी कर्मचारी और अधिकारीगण को धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों के आशीर्वाद की कामना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, भावना में एक बात छूट गई। बाद में ही सही मा0 उपाध्यक्ष जी का चुनाव हुआ और उन्होंने भी थोड़े दिन सदन का संचालन किया है। उन्होंने अच्छे ढंग से संचालन किया उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं और उनको भी बधाई देते हैं कि सदन के संचालन करने में और हम लोगों को सहयोग करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बात भावुकता में छूट गयी थी कि एक हमारे विपक्ष के साथी बहुजन समाज पार्टी के नेता पहले लाल जी वर्मा जी थे, उनके बाद गुड्डू जमाली जी हुए और अब उमाशंकर जी हैं, कांग्रेस के नेता पहले श्री अजय कुमार लल्लू जी थे और अब आराधना मिश्रा 'मोना' जी हैं और अपना दल के नेता श्री नील रतन पटेल जी हैं और अब बहन जी हैं और श्री ओम प्रकाश राजभर इन सारे लोगों ने सदन के संचालन में और विपक्ष की भूमिका निभाने में जितना हमारा सहयोग किया उसके लिए मैं इन सारे लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी साथ ही मैंने यह भी महसूस किया और इसके लिए मैं अपने को बहुत गौरवशाली और सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि सत्ता पक्ष के भी बहुमत में होते हुए मा0 सदस्यों से हमारी टोका-टिप्पणी होना तो मान लीजिये एक प्रक्रिया है, वह होती रही है और होती रहेगी लेकिन उन लोगों ने भी हमें जो स्नेह और प्यार दिया उसके लिए कहना

चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन से सदन में हूँ, मा0 मौर्या जी हैं, बुरा मत मानियेगा कि इतना स्नेह सत्ता पक्ष से कभी विरोधी दल के नेता को नहीं मिला है (मेजों की थपथपाहट)।

सभी लोगों को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यगण एवं विधान सभ के अधिकारी/कर्मचारी और श्रीमन् आप तो सर्वोपरि हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सदन रात तक चलता है, पूरे दिन तक चलता है। आप भी परेशान रहते हैं, जिसके लिए सचिव जी भी रहते हैं, उनके अधिकारी और कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी या जो एक्स्ट्रा कार्मिक सदन के संचालन में लगे रहते हैं, उनके लिए संसदीय कार्य मंत्री जी इस बार चूंकि भारी बहुमत से आप सत्ता में आये हैं इसलिए बड़ा मन करके और उसी बड़े मन से इन अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सदन का मानदेय उपलब्धि का यह आशीर्वाद आप देंगे जिससे वह कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और सचिवालय के छोटे-छोटे कर्मचारी, डेलीवेजेज कर्मचारी जो विधान सभा के हैं, सबको आप भारी संख्या में आप हृदय खोलकर उनकी सहायता करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी आपको पुनः धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमने इस वक्त इसका संज्ञान ले लिया है। मा0 मुख्य मंत्री जी से इसके लिए बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

विचार प्रकट करने का मुख्य माध्यम भाषा और वाणी है परन्तु कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं जब भाषा साथ नहीं देती है, वाणी भी काँपने लगती है और मस्तिष्क विचार सम्प्रेषण नहीं कर पाता है। आज हमने देखा कि हम सब पौने पाँच साल लगभग काम करते हुए, कई तरह से आपस में भिड़ते हुए, कई तरह से बहस करते हुए अपने-अपने विचार के पक्ष में सीना तानकर लड़ते हुए उसके लिए तर्कसंगत तथ्य खड़ा करते हुए यहाँ पर काम करते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यहाँ पर काम करते रहे हैं और एक वृहद परिवार के रूप में, इसे मैंने अनुभव किया है और यह बात मैं किसी बौद्धिकता के कारण नहीं कह रहा हूँ। मुझे कभी जीवन में भी यह कल्पना नहीं थी कि 403 का सदन और सब लोग अपने-अपने क्षेत्रों के सुयोग्य प्रतिनिधि, विचारशील प्रतिनिधि और ऐसे लोग मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को बाहर, भीतर जहाँ-जहाँ मिले, उनके शहर में, जहाँ वह रहते हैं वहाँ भेंट हुई तो, ट्रेन में भेंट हुई तो, जहाँ भी मुलाकात हुई, चाहे वह किसी भी दल के हों, उन्होंने मुझे ऐसा प्यार दिया है कि जैसा मैंने कहा था कि मेरी

वाणी साथ नहीं देती इसलिए मैं कुछ भी कहने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। यह विधायक होना सामान्यतः दिखाई पड़ता है कि चुनाव प्रचार और उस प्रचार के लिए उपकरण, नेतागण आप ऐसी 10-12 चीजों को जोड़ दें तो मान लिया जाता है कि चुनाव का कर्मकाण्ड पूरा है लेकिन उस चुनाव के बाद और पहले व्यक्ति को अग्नि स्नान से गुजरना होता है। मैं जानबूझकर अग्नि स्नान शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे हम आप पानी से स्नान करते हैं लेकिन आग से नहाना हो तो कैसा रहेगा ? तो हम लोग चुनाव में उनके घर जाते हैं जो पूरे पाँच वर्ष हमको गाली दिया करते हैं और हम उनको प्रणाम करते हैं, यह अग्नि स्नान ही तो है और क्या है। बार-बार उनके पास जाते हैं।

जो लोग हमारी गाड़ियों पर कभी ईंटा फेंके हैं, वह भी मिल जाते हैं तो हम लोग मुस्करा कर कहते हैं कि कहिये, क्या हाल-चाल हैं, परिवार ठीक है, आप मजे में हैं। ऐसा अग्नि स्नान करके ही इस सभा मण्डप में प्रवेश मिलता है और यह सभा साधारण बैठक नहीं है, संवैधानिक दृष्टि से यह पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की भाग्य विधाता है। इसके अलावा हम लोग जिस दिशा में किसी विचार को ले जाना चाहें तो उस विचार को यहाँ रख देने से उस विचार की गति बहुत तेज हो जाती है। अथर्ववेद में इसीलिए सभा को मजिष्ठा कहा गया है, जो समाज का, हमारा और सबका अनिष्ट दूर करती है, वह सभा है। सभा में यहाँ तमाम संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, सभा का स माने सहित और भा माने प्रकाश, जो प्रकाश सहित है, जो हमारा मार्गदर्शन करती है, ऐसी संस्था सभा है। भारत में प्राचीनकाल से और दुनिया के किसी भी देश में ऐसा इतिहास सभा का कहीं नहीं मिलता है।

हमारी इस उत्तर प्रदेश विधान सभा का भी अपना इतिहास है। मा0 राम गोविन्द चौधरी जी यहाँ पर बैठे हैं जो सर्वाधिक बार यहाँ आये हैं, मा0 खन्ना जी हैं, यह लोग अपने समय की कथाएँ सुनाते समय गर्व से कहते होंगे कि हमने अमुक नेता के साथ काम किया है। आगे ऐसे दिन आने वाले हैं, जब कोई विधायक जो इस बार का है, पहली बार जो आया है, वह आगे चलकर कहेगा कि हमारा सौभाग्य है कि हमने सुरेश खन्ना जी के साथ काम किया है, जो 7-8 बार चुनाव जीते हैं और उनके मन में कोई अहंकार नहीं है। वह विधायक चाहे किसी भी दल का हो, कहेगा कि हमने राम गोविन्द जी के साथ काम किया है, उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ हँसे-बोले हैं, उनकी डाँट खाये हैं, उनका मार्गदर्शन पाये हैं तो इस सभा में इसी प्रकार बहुत पहले से, बहुत बड़े-बड़े महानुभाव यहाँ आये हैं और इन्हीं बेंचेज को, कुर्सियों को सुशोभित करते रहे हैं। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, वहाँ तो पुरुषोत्तम दास टण्डन जी जैसे लोग बैठते थे। जिस दिन आप लोगों ने मुझे यहाँ सर्वसम्मति से बैठाया तो मेरे ध्यान में बार-बार यह बात आती थी कि उस आसन पर बैठने की योग्यता हमें नहीं है। हमारी पढ़ाई भी किसी ऐसे कालेज में, जहाँ ठीक-ठाक भवन हो, अध्यापक हो, नहीं हुई।

मेरे मन में इस दुनिया के सभी विषयों को पढ़ने की इच्छा थी। जब मैं विधायक हो गया तब मुझे पढ़ाई की सुविधा मिल गयी। कुछ मित्र जो मेरे साथ बैठते हैं, वह जानते हैं कि विधायक होने के बाद मैंने दुनिया के अधिकांश विषयों पर काम किया है। इस कुर्सी पर आना, इसकी पात्रता बहुत बड़ी है। इस कुर्सी पर आने के बाद वैसा आचरण करना कि सामने बैठे प्रत्येक सदस्य के प्रति ऐसा भाव रहे कि यह हमारा अविभाज्य अंग है इंफिचर्ड अंग है इसकी कोई विभाजन रेखा नहीं है। दलों की तख्ती लग जाने के कारण कोई प्रिय हमसे खिन्न हो गया ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा आदर मिला कि व्यक्त करने के लिए मेरे पास भाषा और वाणी की क्षमता नहीं है। मैं आप सबके प्रति अनुगृहीत हूँ। आज राम गोविन्द चौधरी जी ने क्षमा याचना की बात मेरे प्रति की, मेरे व्यवहार के प्रति, कोई गलती हो गयी हो तो। यह तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम लोग साथ दारूलशफा के किनारे लईया-चना खाकर टहलते रहे, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी कोई बात हमको बुरी लगी हो, ऐसा असंभव है। मेरे सामने लल्लू जी बैठे हैं। लल्लू जी कभी-कभी हमसे नाराज हो जाया करते थे, बाद में पता लगा कि ये नाराज ज्यादा रहते हैं किसी कारण से नहीं, कभी-कभी अकारण भी नाराज हो जाते हैं। जो लोग संविधान सभा की कार्यवाही पढ़े हैं।

आज खन्ना जी ने इसे कोट किया कि डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा की कार्यवाही में कोट किया और सबको धन्यवाद दिया। आखिरी दिन जैसे आप लोग सबको यहाँ धन्यवाद दे रहे हैं वैसे ही सबने उनको धन्यवाद दिया, तो उन्होंने कहा कि सबके प्रति धन्यवाद मगर एक व्यक्ति ऐसे हैं नजिरुद्दीन अहमद जिनकी बात न मेरी समझ में आयी और न मेरी बात उनकी समझ में आयी। लेकिन मैं लल्लू जी के लिए ऐसा नहीं कह रहा। हम दोनों एक-दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं और उसका कारण है इनके चुनाव लड़ने और फील्ड में काम करने की शैली बहुत परिश्रम करने की रही। यह मुझे बहुत आकर्षित करती रही है और हमारी शुभकामना है इन द फ्यूचर इनका जो स्वप्न हो वह पूरा हो। मुझे इतनी बात कहकर शांत हो जाना चाहिए मैं बड़ी देर से अपने आपको संभाल नहीं पा रहा हूँ। जब मैंने देखा कि यहाँ का पूरा वातावरण ही बहुत भावुकतापूर्ण हो गया तो मैं क्या शब्द बोलूं ? आज यह पता चला कि रोते हुए भी बोला जा सकता है। कोई ज्यादा तकनीकी जानकार हो तो बोलते समय भी रो सकता है। मैंने दोनों बातें बताईं कि रोते हुए बोला जा सकता है और बोलते हुए भी क्या रोया जा सकता है ? यह तो स्वाभाविक है। अधिकांश लोगों को मैंने देखा कि सबके मन में प्रीति, प्रेम और वियोग की व्यथा है जो स्वाभाविक ही इस प्राचीन भवन जिसके नीचे हम बैठे हैं, खड़े हैं, जहां अनेक महापुरुष बैठकर यहाँ काम करते रहे हैं, उनकी कृपा उनका प्रसाद उनकी ऊर्जा है जो यहाँ फैली हुई है, प्रत्येक कुर्सी के पास, ऊपर-नीचे, यहाँ जो लोग बैठे हैं, सभी हमारे मित्र हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा। इसलिए सबके प्रति मैं आदर भाव व्यक्त करता हूँ। आप लोग हमसे माफी मांग रहे थे। सही बात तो यह है कि हमसे लोग बहुत ज्यादा नाराज

हुए, बड़ा कठिन काम रहा पर मैंने दर्शाया तो नहीं। कोई कहे बैठिये तो मैं नाराज हो जाऊँगा। मैं यह देख रहा था कि इनको हमारी बात से कष्ट हो रहा है लेकिन वह संवैधानिक दायित्व का निर्वहन था।

फिर भी हमारी किसी बात से अगर कष्ट पहुँचा हो, हमने आपको बैठाया, टोंका, इधर के माननीय सदस्यों को तो ज्यादा टोका क्योंकि मेरी कठिनाई तब आती थी, जब राम गोविन्द चौधरी जी बोलने के लिए खड़े होते थे। मुझे परम्परा ध्यान रहती थी कि नेता प्रतिपक्ष को सुना जाना चाहिए, लेकिन बैठे-बैठे हमारे हमारे अनेक युवा विधायक जो खूब पढ़े हैं, अनेक इसमें पी0एच0डी0 हैं, अनेक डी0-लिट हैं, बहुत सुन्दर टीम हमारे दायें बैठी है, कितने प्रतिभाशाली लोग हैं, वह भी कुछ टोका-टिप्पणी कर देते थे, तो मैं उनसे नाराज हो जाता था। मैं ऐसे अपने जो पुत्र और भाई जैसे विधायक हैं, उनसे हाथ जोड़कर माफी माँगता हूँ और जो उधर प्रतिपक्ष के लोग बैठे हैं, वह सब मित्र हैं, मैं सबके प्रति आदर-भाव व्यक्त करता हूँ इस सत्रहवीं विधान सभा ने कई रिकार्ड भी कायम किये हैं, हम लोग रात्रि में लगातार बैठे हैं, ऐसा पहले कदाचित नहीं हुआ था। यहाँ पर कामनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का कार्यक्रम हुआ, सभी ने सहयोग दिया, माननीय नेता विरोधी दल का भी भाषण हुआ। यह एक ऐतिहासिक बात है और सबसे बड़ा इतिहास विधान सभा ने तब गढ़ा, जब सारी दुनिया कोरोना से पीड़ित थी और दुनिया की किसी भी ऐसी संस्था में बैठक नहीं हुई थी, तब बैठक करने का जो निश्चय हुआ तो यह हुआ कि कहाँ से उदाहरण लिया गया तो कोई उदाहरण नहीं था और हम लोग बैठ करके किसी तरह सबके सहयोग से बोलते थे। मैं फिर चौधरी साहब का उल्लेख करूँगा, वह बैठक चुनौती पूर्ण थी, जब विधान सभा में फीते बाँधना, अलग-अलग बैठने के लिए कहना, पत्रकारों का नाराज होना, ऐसा अनेक बार हुआ।

इस विधान सभा के प्रतिनिधि के रूप में मैंने भारत की अधिकांश राजधानियों में, विधान सभा की कमेटियों में हिस्सा लिया है और यहाँ के बारे में उन्हें बताया, उन्हें अच्छा लगा और केवल देश की संस्थाओं में ही नहीं, दुनिया की अन्य कई देशों की संस्थाओं में भी मुझे जाने का अवसर आया। लेकिन जो आज का अवसर है, कहते हैं कि 'टाइम हील्स' समय दुख को घटा देता है। लेकिन मुझे आज दोपहर के बाद से बार-बार याद आता है कि यह सब मित्र आज के बाद इकट्ठे नहीं मिलेंगे और जैसे संक्रामक बीमारी होती है और किसी बीमार के पास बैठो तो बीमारी बढ़ जाती है, ऐसे ही स्वास्थ्य, विचार और प्रेम भी संक्रामक होता है। आज मैं सबको देख रहा हूँ कि सभी भावुक हो रहे हैं। मैं सबके प्रति यह आदर-भाव व्यक्त करता हूँ और जो-जो मैं इस समय कह रहा हूँ, मुझे बार-बार लगता है कि मैं वह कह नहीं पा रहा हूँ, वह अधूरा है। यह हमारी विधान सभा, अगर पोयटिक भाषा में कहें तो एक गीत जैसी है। साढ़े चार वर्ष, पौने पाँच वर्ष हो गये हैं, इसका एक गीत, एक लय और एक दिशा है। इसमें विधान

सभा की कार्यवाही और यहाँ के लोगों का मिलना-जुलना, आपस में प्रीति और प्यार बनाये रखना, दर्शाना रहा है। हमारी शुभकामना है कि आप अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में, अपने-अपने दल के अनुरूप लोग अभियान चला रहे हैं, आप लोगों का अभियान सफल हो और यह जो इस समय आज के आदरणीय सदन का भव्य चित्र है और यहाँ से सदस्यों को जो ऊर्जा मिलती है, वह ऊर्जा आपको समाज में यशस्वी बनाये, लोकप्रिय बनाये। मैं आप सबके भीतर बैठे कार्य-चैतन्य को प्रणाम करता हूँ। मैं एक बार फिर से अगर मुझसे कोई गड़बड़ी हो गयी हो तो क्षमा चाहूँगा।

(माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब हम जन-गण-मन के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्रगान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे,
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय, जय हे।।

(सदस्यों द्वारा भारत माता की जय का उद्घोष किया गया)

श्री अध्यक्ष-

अब हम सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 29 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुआ।)

लखनऊ :
दिनांक 17 दिसम्बर, 2021

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0-97 विधान सभा (162)-28-06-2022-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।